राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] षष्टम् विधान सभा के छटे सत्र का प्रथम दिवस [संख्या 1

सोमवार

दिनांक 24 सितम्बर, 1979.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू)।

राज्य में नये स्कूल खोलने की नीति

(1) **श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू)**: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार ने इस वर्ष राजस्थान में नये स्कूलों के खोलने के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की है ?

(2) यदि हां, तो क्या उस क्राइटेरिया का पूरा पालन किया गया है ? और क्या उस क्राइटेरिया में पिछड़े क्षेत्रों का भी ध्यान रखा गया है ?

(3) राजस्थान में इस वर्ष कितने प्राइमरी, मिडिल व सैकण्डरी स्कूल खोले गये हैं ? कृपया जिलेवार व निर्वाचन क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

शिक्षा मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) राज्य सरकार ने इस वर्ष स्थान विशेष की आवश्यकता, जनता की मांग, क्षेत्रीय असन्तुलन तथा वित्तीय प्रावधान की सीमा को ध्यान में रख कर नये स्कूल खोलने का निर्णय लिया है।

(2) उक्त आधार पर ही इस वर्ष स्कूल खोले गए हैं।

(3) इस वर्ष 1044 प्राथमिक, 164 उच्च प्राथमिक और 180 माध्यमिक स्कूल खोले गए हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है, उसको देखने से ऐसा लगता है कि निर्धारित नीति के अनुसार उन्होंने स्कूल नहीं खोले। मेरे प्रश्न का जो दूसरा भाग है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस क्राइटेरिया का पालन किया गया और इसके अनुसार पिछड़े क्षेत्रों का ध्यान

(2)

(श्री श्रोंकारलाल चौहान)

रखा गया है ? मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में 32 कास्ट्स और 24 ट्राइब्स की कुल मिलाकर 56 रिजर्व कान्स्टीट्यूएन्सीज हैं, क्या उनके बारे में निर्धारित नीति का पूर्णत: पालन किया गया है ? मैं मन्त्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि इस नीति का पालन इन क्षेत्रों में नहीं किया गया है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना गलत है, इस वर्ष जो नीति निर्धारित की गई है उसी के आधार पर हर क्षेत्र में स्कूल खोले गए हैं ।

(व्यवधान)

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : आपने राजनीतिक दृष्टि से स्कूल खोले हैं। जो लिस्ट आपने रखी है –

(व्यवधान)

तीन महीने हो गये अब तक आपने क्यों नहीं लिस्ट निकाली ? एक एक विधायक को आप घर पर बुला कर उससे ....

(व्यवधान)

करते हैं . . . . . .

(व्यवधान)

अब यह सब भूल जाओ, यह नहीं चलेगा।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण दे रहे हैं–

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री किशनसिंह भाटी ।

श्री **किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दो सौ के सदन में 41, 42 सदस्य ऐसे भी हैं जिनके क्षेत्र में जानबूझकर स्कूल नहीं खोले हैं । आपने पहले आश्वासन दिया था कि पिछड़े क्षेत्र में जनसंख्या को नहीं देखते हुए भी स्कूल खोले जायेंगे लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है–

(व्यवधान)

श्री **मदनसिंह दांता** (दांतारामगढ़) : क्या यही कारण है कि इसी तरह से भेदभाव के कारण ये लोग उधर बैठे हुए हैं ?

श्री **भंवरलाल शर्मा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थिति शिक्षा की है, उसमें असन्तुलन है. . . .

(व्यवधान)

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सब-कमेटी बनी हुई है, उसमें चतुर्वेदीजी, शिक्षा मंत्रीजी खुद और दोनों एक ही पक्ष के हैं, ये कैसे न्याय कर सकते हैं ?

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय विश्नोई जी, कृपया बिराजिये ।

श्री **नाथूराम** (बागीदोरा) : आदिवासी क्षेत्रों में एक भी स्कूल नहीं खोला गया ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया उत्तर आने दीजिये, नहीं तो मजबूर होकर दूसरा प्रश्न लेना पड़ेगा। मंत्री महोदय को बोलने का अवसर तो दीजिये.........

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में शिक्षा के प्रसार की जो स्थिति थी और जो आज है, यदि उसका वर्णन होने लगे तो स्थिति स्पष्ट हो जावेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : भाषण नहीं चाहते हैं...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक आन्सर दीजिये !

Please give specific answer to 'specific question...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया उत्तर देने दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप सुनिये तो सही, मैं जवाब दे रहा हूं..

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत): भाषण नहीं होना चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने पिछड़े क्षेत्रों में कितने स्कूल खोले? मुख्य मंत्री महोदय को जवाब देने दीजिये।

श्री मदनसिंह दांता : मुख्य मंत्रीजी का समय आयेगा तो पूछेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय...

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : आप जिलेवार सूची पढ़ दीजिये...

(व्यवधान)

किस किस जिले में कितने कितने स्कूल खोले हैं यह बता दीजिये।

एक माननीय सदस्य : पोल खुल जायेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिस समय जनता पार्टी शासन में आई उससे पूर्व अजमेर जिले में केवल 50 माध्यमिक विद्यालय थे।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : जिलेवार सूची दे दीजिये, किस किस जिले में कितने कितने स्कूल खोले गए हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह जी, कृपया विराजिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : पूर्व में ही खोले गए हैं, पश्चिम में नहीं खोले गए।

श्री ओंकारलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, 180 स्कूलों को सैकण्डरी स्कूलों में कन्वर्ट किया गया है, पहली बात तो यह है कि अब जो उन्होंने लिस्ट फाइनल की है, क्या उसका कोई जस्टीफिकेशन नजर आता है जब कि आधा सत्र खतम हो रहा है और सैकण्डरी स्कूल बढ़ाने में, नए स्कूल खोलने में इतनी देर क्यों लगाई ? क्या इसके पीछे राजनैतिक कारण नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : शिक्षा मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि हर जिले में डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट कमेटी बनी हुई है और उसकी सिफारिशों से डवलपमेंट के काम, चाहे वह गांवों में पानी की कमी दूर करने के काम हों, चाहे स्कूलों के होते रहे। क्या आपने हर जिले से डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट कमेटी से गाइड लाइन्स लेकर कोटा अलॉट करके नाम मंगवाए ? मंगवाए तो बता दें नहीं तो जो परम्परा चलती आ रही है यह क्यों छोड़ी ? यहां बैठ कर पॉलिटिकल फैसले किए, इसका क्या कारण था?

श्री मूलचन्द डागा : मैंने सदन की मेज पर रखा जवाब चाहा। उन्होंने कहा सदन की मेज पर कोई जवाब नहीं है। सदन का अधिकार है कि सदन की मेज पर जवाब आना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि वह जवाब कहां है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : वह सूची तो आनी चाहिए ताकि हम देख सकें।

श्री उपाध्यक्ष : सूची व उत्तर दोनों ही हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अभी जाकर मैंने पूछा, मना किया कि नहीं है।

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : उपाध्यक्ष ने कहा कि सदन की मेज पर है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदार नाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : पापुलेशन व डिस्टेंस को बेसिस बनाया गया। पहले वाले क्राइटेरिया को बदलने का क्या आधार था ? पिछले साल जितने फैसले हुए एजूकेशनल कौन्सिल में फैसले हुए पापुलेशन व डिस्टेंस इन दोनों को क्राइटेरिया मान कर चलते थे उनको क्यों बदला ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय का उत्तर आने दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुत सारे प्रश्न माननीय सदस्यों ने रखे हैं। मैं यह विवरण दे रहा हूं ताकि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट हो जावें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माथुर साहब व प्रोफेसर केदार जी का जबाब दे दो।

श्री शंकरलाल : विवरण नहीं चाहिए, उत्तर चाहिए। नेता महोदय ने बताया है कि जिला डवलपमेंट कमेटी की गाइड लाइन्स को आपने फोलो क्यों नहीं किया ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी का उत्तर आने दीजिये।

श्री शंकरलाल : वह क्या पढ़ रहे हैं ? विवरण कहां दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : जिसको आप विवरण समझते हैं, वह उनका उत्तर है।

(व्यवधान)

कृपया, बिराजिये, मंत्री महोदय का उत्तर आने दें।

एक माननीय सदस्य : यह शाखा नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर आपकी उत्तर सुनने की इच्छा नहीं है, तो मुझे कुछ कहना नहीं है।

कई माननीय सदस्य : है।

श्री भंवरलाल शर्मा : जनता शासन से पूर्व.........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री लालचन्द (भादरा) : आपने ढाई साल यह कह कर निकाल दिए कि पुराने सरकार ने यह किया......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री केसरसिंह राठौड़ : हमने पूछा है कि पापूलेशन व डिस्टेंस के क्राइटेरिया को क्यों बदला ? क्या जिला कमेटियों की सिफारिशें आईं, उनको ध्यान में रखा? इस बात का तो जवाब नहीं देते हैं और बार-बार जनता सरकार से पूर्व की बात करते हैं। इससे पूर्व तो बहुत काम हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुख्य मंत्री चुपचाप बैठे देख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय का पहले उत्तर आ रहा है।

(व्यवधान)

मैं अनुमति नहीं दूंगा, पहले मंत्री महोदय को सुनिए।

(व्यवधान)

श्री विज्ञान मोदी : क्राइटेरिया बदलने के पीछे क्या कारण है, मंत्री महोदय क्यों नहीं बताते ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बिराजिए।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : यह सदन का समय बरबाद करना चाहते हैं। हल्ला मचा रहे हैं। जरा सुनने की कोशिश करें।

(व्यवधान)

श्री जयनारायण सालोदिया : हल्ला मचाने का ठेका तुमने ले रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, बैठ जाइये।

श्री रतनलाल वर्मा : ये आड़पने करते हैं.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न पूछना आपका अधिकार है, मंत्री महोदय का उत्तरदायित्व है प्रश्नों का उत्तर दें। अगर मंत्री महोदय स्पष्ट उत्तर नहीं देते तो आधे घन्टे की चर्चा रख सकते हैं लेकिन कृपया उनका उत्तर आने दीजिए। गुप्ताजी, उत्तर आने दें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सरकार के शासन करने की.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, पहले मंत्री महोदय का उत्तर आने दें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मुख्य मंत्री एक घोषणा करते हैं, वित्त मंत्री दूसरी घोषणा

6

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता) करते हैं। यहां एक नहीं 4-4 शिक्षा मंत्री हैं, जो राज्य शिक्षा मंत्री है उनको अधिकार नहीं । 4-4 शिक्षा मंत्री हैं । पहले नोहर में शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि अगर पहला कालेज खुलेगा तो नोहर में खुलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिए ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह शासन की अव्यवस्था है, आपाधापी है.....

(व्यवधान)

स्कूल नहीं खोल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स नहीं खोल रहे हैं, मिडिल स्कूल्स नहीं खोले, सैकन्डरी स्कूल्स नहीं खोले । जो क्राइटेरिया है उसकी अवहेलना हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्णदास गुप्ता जी बोलें, उसको नोट नहीं किया जाए।

श्री एच. एल. शर्मा (बेगूं) : छाती कूटो।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : × × × ×

क्र.सं.	जिला	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	मा.विद्यालय
1	अजमेर	69	31	30
2	अलवर	208	43	40
3	भरतपुर	219	72	51
4	जयपुर	293	88	79
5	झुन्झुनू	80	34	30

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये गुप्ताजी ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुप्ताजी, आपका भाषण रिकार्ड नहीं हो रहा है, आप कृपया विराजिये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप विराजिये। कृपया शान्त रहें । माननीय सदस्य । माननीय गुप्ताजी, बिराजिये, आप का भाषण नोट नहीं होगा ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : नोट नहीं किया जाय ।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये । माननीय गुप्ताजी, आप बैठ जाइये । अगर आप यह चाहते हैं कि सदन का पूरा समय इसी प्रश्न पर समाप्त हो जाय तो मैं आपको इसके लिये अनुमति नहीं दूंगा । अगर मेरी आपको इस तरह की चेतावनी देने के बावजूद भी आप नहीं बैठेंगे तो मुझे इसके अलावा भी दूसरी कार्यवाही करनी पड़ेगी । आप अपना भाषण बन्द कर दें ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं दूंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न का जवाब दें ।

×××उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ताजी, आप, कृपया बिराजिये। अपना भाषण बन्द कर दें।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कौशलजी ने कैसे कहा कि इनको सदन से बाहर निकाला जाय।

श्री उपाध्यक्ष : गुप्ताजी, आप बिराजिये। आप बिराजिये। शिक्षा मन्त्रीजी जवाब दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जब स्कूल खोलने का प्रश्न राज्य सरकार के सामने आया उस वक्त देखा गया कि पूर्व में स्कूल संतुलित तौर पर नहीं खोले गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने स्कूल खोलने का क्राइटेरिया क्यों बदल दिया ? यह बतावें।

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय सदस्यों ने दल बदल का क्राइटेरिया बदल दिया इसलिये स्कूल खोलने का भी क्राइटेरिया बदल दिया गया।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): विज्ञानजी, आप तो चुप रहिये। आप क्यों बोल रहे हैं।

आपके शासन काल में तो काफी अनियमिततायें हुई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। मुख्य मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप बिराजिये, मुख्य मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही इस प्रश्न से संबंधित रिलेवेन्ट सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहती हूं।

श्री लालचन्द (भादरा) : आप बैठ जाइये, पुष्पाजी।

श्री उपाध्यक्ष : पुष्पाजी, आपके पहले बहुत से सप्लीमेंट्री प्रश्न दूसरे माननीय सदस्यों के हैं, पहले उनका जवाब आने दीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी गुजारिश है कि मेरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले उसका जवाब दिला दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष: मेरी भी गुजारिश है, पुष्पाजी आप बिराजिये मंत्रीजी जवाब दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जब स्कूल खोलने का प्रश्न सरकार के सामने आया, तब यह पाया गया कि पूर्व में जो भी स्कूल खोले गये वह बहुत ही असन्तुलित तरीके से खोले गये इसलिये उस असन्तुलन को ठीक करने के लिये यह व्यवस्था की गयी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो आपने यह 180 स्कूल खोलकर सन्तुलन ठीक कर दिया?

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या मन्त्रीजी अगस्त के महीने में स्कूल खोल कर सन्तुलन ठीक कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, माननीय सदस्य ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): मंत्री-जी आपसे जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दें ।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह विपक्ष के माननीय सदस्य इस प्रकार सदन का समय नष्ट कर के हमारे प्रश्नों के जवाब को टालना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी ।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रश्न सदन में पूछा गया है . . .

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से संबंधित एक रेलेवेन्ट प्रश्न मैं भी पूछना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शर्माजी, आप विराजिये ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि मुख्य मन्त्रीजी इस प्रश्न का जवाब देना चाह रहे हैं इसलिये मैं चाहूंगा कि मेरे प्रश्न का जवाब भी आ जाय ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या दल बदलुओं की भी आत्मा होती है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी क्या आत्मा है इन्होंने तो दल बदल लिया है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराज जाइये मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा । आप विराजिये ।

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, अगर बजरंगलालजी के प्रश्न का जवाब आता है तो पहले पुष्पाजी बोलेंगी और उनका जवाब आयेगा ।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : पुष्पाजी प्रश्न पहले पूछेंगी और बराबर पूछेंगी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये । बजरंगलालजी, आप विराजिये पहले आप बैठिये । मेरी बात चलेगी आपकी बात नहीं चलेगी । बजरंगलालजी, आप शायद रूल्स आफ प्रोसीजर से परिचित हैं कि सदन की प्रक्रिया क्या है । आप जानते हैं कि जब भी मुख्य मंत्रीजी जवाब देते हों तो माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर लें । इसलिये आप विराजिये । कृपया इन्टरवेन्शन न करें ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा . .

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये । मुख्य मन्त्रीजी जवाब दे रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बिलकुल सीधा सा है और जटिल बनाया गया है। इसलिए स्कूल खोले थे कि इसी सदन में चर्चा हुई थी उसके दौरान में माननीय सदस्यों को जानकारी है कि माननीय खेतसिंहजी ने यह कहा था कि राजस्थान की सरकार स्कूल खोलने में बहुत न्यायसंगत रही है...

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं। मैंने कभी नहीं कहा।

(व्यवधान)

न्यायसंगत रहती तो यह हाल ही नहीं होता।

(व्यवधान)

पिछले साल का प्रस्ताव क्यों छोड़ दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह इसलिए कहा था कि जनता पार्टी के शासन में आने के बाद खूब स्कूल खुले। इसलिए कहा था...

(व्यवधान)

कुछ सुनें तो अच्छा हो।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि पिछले सदन में इसकी चर्चा हुई और जनसंख्या को आधार माना। श्री केदारजी बात कह रहे थे, जनसंख्या का आधार माना उसके कारण इसका असंतुलन स्वतः ही खतम हो गया। कहीं कहीं ऐसे स्थान भी आ गये जहां दो दो, तीन तीन मील की दूरी पर दो दो, तीन तीन स्कूल खुल गए। अब प्रश्न यह था कि जिले और क्षेत्रों में जो असमानतायें हैं वह किस प्रकार से समाप्त की जायें उसकी दृष्टि से यह सब कुछ स्कूल खोले गये। यदि सदन का मूड हो...

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : हां मूड है। बताइये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका तो मूड बहुत अच्छा है, सदा ही रहता है।

असन्तुलन की बात शिक्षा मंत्रीजी बताना चाहते हैं किस प्रकार का असन्तुलन रहेगा। असंतुलन दूर करना सरकार का प्रमुख कर्त्तव्य था। उस दृष्टि से स्कूल खोले। उसको सदन सुनना नहीं चाहता। कांग्रेस के लोग नहीं सुनें यह तो समझ में आता है क्योंकि इन्होंने डवलपमेंट किया नहीं ...

(व्यवधान)

लेकिन जनता पार्टी के सदस्य भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम क्वेश्चन के लिए एक हो जायें, नीति के आधार पर एक नहीं हो सकते। इसलिए सुन लें।...

(व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया गया है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी दोनों ने मिल कर उत्तर दे दिया। मेरा प्रश्न यह है....

(व्यवधान)

श्री कल्याणसिंह सांखला (अजमेर-पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, फागी का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है....

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान में सबसे अधिक मजदूर जिस क्षेत्र में रहते हैं वह वनीपार्क है और इन्डस्ट्रियल एरिया है । यह मैं कहना चाहता हूं कि सबसे अधिक श्रम विरोधी सरकार आज तक आई है मुल्क में तो वह सरकार है जिसके मुखिया श्री भैरोंसिह शेखावत हैं..

श्री **रतनलाल वर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र ने श्री भैरोंसिहजी को भी विधान सभा में दो बार आने का मौका दिया है....

(व्यवधान)

श्री **रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) : भाषण नहीं चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री **कौशलकिशोर जैन** : माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं या भाषण कर रहे हैं ? भाषण करने की इजाजत नहीं दी जा सकती ।

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें ।....

(व्यवधान)

श्री **रतनलाल वर्मा** : यह भाषण देना चाहते हैं तो चौपड़ पर जायें । यह विधान सभा है, भाषण देने की आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, बिराज जायें । माननीय गुल मोहम्मदजी, बिराज जायें । माननीय डागाजी ....

श्री **मदनसिंह दांता** (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह × × × लेकिन यह असेम्बली में आये हैं यह × × × × × × असेम्बली है जनता पार्टी की ।...

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि अगर प्रश्न काल को भाषण काल में बदलना है तो आपको पूरा अधिकार है, बदल दीजिए लेकिन ....

(व्यवधान)

आप कृपया बिराज जायें .

श्री **खेतसिंह राठौड़** : यह सही है कि स्कूल खोलने में बहुत अनियमिततायें हुई हैं; इसलिए हल्ला हो रहा है ।..

श्री **मदनसिंह दांता** : मैंने इस असेम्बली को........

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर और गुढ़ा निर्वाचन क्षेत्र में और पचपदरा निर्वाचन क्षेत्र में एक भी प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल नहीं खोली.......

श्री **मदनसिंह दांता** : मैंने इस असेम्बली को × × × असेम्बली नहीं कहा । मेरी रिट है हाई कोर्ट में कि जनता पार्टी जो असेम्बली में बैठी है यह × × × है...

(व्यवधान)

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री **उपाध्यक्ष** : आप अनावश्यक चर्चा कर के प्रश्नकाल के महत्व को समाप्त कर हैं......

श्री **बजरंगलाल शर्मा** : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है......

श्री **उपाध्यक्ष** : आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि जब आप बीच में बोलेंगे तो जवाब आयेगा ?

श्री **शंकर लाल** (जैंतारण) : जो मूल प्रश्न था कि क्राइटेरिया बतायें उसका तो जवाब आया नहीं मेरा सुझाव है कि आप इसके लिए अलग से चर्चा रख लें आधा घंटे की ताकि इसके बारे में सारे लोग बोल सकें। दूसरे प्रश्न को ले लें। कोई जवाब आया नहीं इसके बारे में।

(व्यवधान)

श्री **सुरेशकुमार** (भरतपुर) : दांता साहब ने ××× असेम्बली बताया है.....

(व्यवधान)

श्री **कौशलकिशोर जैन** : माननीय दांता साहब का सदन के माननीय सदस्यों को ××× कहना उचित नहीं है। इन शब्दों को निकलवाइये ।

श्री **मदनसिंह दांता** : मैं फिर एलान करता हूं कि यह जो जनता पार्टी के लोग यहां बैठें हैं, ××× यह ××× असेम्बली के अन्दर बैठे हैं आर्टिकल 326...

श्री **उपाध्यक्ष** : मैं इस प्रश्न के उत्तर में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। माननीय दांता साहब आप शांत रहें। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से 40 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। प्रश्न का भी समुचित उत्तर नहीं आ सका है। मंत्री महोदय का उत्तरदायित्व भी है, माननीय सदस्यों का भी उत्तरदायित्व है कि मुझे सहयोग दें। मुझ खेद के साथ कहना पड़ता है कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य मुझे उचित सहयोग नहीं दे रहे हैं। अगर इसी प्रकार से प्रश्नकाल की परम्परा को पूरा करना है तो इसी प्रश्न पर 10-20 मिनट और चर्चा कर ली जाय, तो एक ही प्रश्न आने का रिकार्ड रहेगा..

(व्यवधान)

श्री **मदनसिंह दांता** : जनता पार्टी के सदस्यों ने आपके प्रति अविश्वास प्रस्ताव रखा। इस पार्टी ने, इन्होंने मर्यादाएं तोड़ी हैं। यह ××× असेम्बली में बैठे हैं, ये ××× हैं...

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : संतोष क्यों नहीं दिलवा देते ..

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ××× कहना...

श्री **कौशलकिशोर जैन** : सभी माननीय सदस्यों को ××× कह कर, इस सदन का अपमान किया है......।

श्री **ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : नियम 272 के अनुसार सदन को ××× कहना था। ××× कहना ...

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री महोदय उत्तर देना चाहेंगे या दूसरा प्रश्न पुकारूं।

××× शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(12)

श्री ईश्वरचन्द्र : × × × कहना कहां तक उचित है ?

श्री कौशलकिशोर जैन : कुल 272 में स्पष्ट लिखा है . . . shall not make a personal charge against a Member ....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने इसे देख लिया है । आप बिराजिये ।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय सदस्यों को × × × कह कर इसका उल्लंघन किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं अपनी बात कहना चाहता हूं लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे कहने का पूरा अवसर दिया जाये । मैंने निवेदन किया कि यदि मेरी बात से संतोष नहीं होगा तो पुनः प्रश्न किये जा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपके काम से ही संतोष नहीं ....

श्री मोहनलाल शर्मा (केकड़ी) : आप झूठ बोल रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमें . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप जवाब दीजिये . . .

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : पहले हाउस में एश्योरेन्सेज दिये थे उनको ब्रेक क्यों किया है ? पहले ललितजी मंत्री थे लेकिन उनके आश्वासनों के विपरीत इस साल वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी ने रीजनल इम्बे-लेन्स वापस क्यों क्रियेट किया है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : सेप्टेम्बर तक आपने पहले फैसला नहीं किया था । पहले यह फैसला नहीं कर सके । सेप्टेम्बर तक आपने फैसला नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह (चितौड़गढ़) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह जानने का सदन का अधिकार नहीं है कि स्कूल खोलने का क्या क्राइटेरिया है ? पापूलेशन और डिस्टेंन्स का जो क्राइटरिया था उसमें भी परिवर्तन किया तो क्यों किया ? यदि नहीं किया तो स्पष्टीकरण दीजिये । इस सदन को अधिकार इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का ट्रेजरी बैंचेज से है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्यों को जिस तरह जानकारी करने का अधिकार है वैसे ही मेरा कर्तव्य है कि मैं जवाब दूं . .

श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने आपके हाथ मजबूत करने के लिये यह सप्लीमेंट्री पूछा है । आप जवाब दीजिये और तुरन्त जवाब दीजिये, निर्भीक जवाब दीजिये ।

श्री सूरजपालसिंह : आप स्पेसिफिक जवाब दीजिये, जो विरोधी दल के नेता ने पूछा है....

(व्यवधान)

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : माफी मांग लीजिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस असंतुलन के कुछ उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री शंकरलाल : इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रश्न को स्थगित नहीं करूंगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस असंतुलन के दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा । इन दो उदाहरणों से आपको मालूम होगा राजस्थान में कितना असंतुलन था.....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : महारावल साहब पूछ रहे हैं, क्राइटेरिया क्यों बदला आपने ?

श्री शंकरलाल : आपने क्राइटेरिया क्यों बदला ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें । यह माननीय मंत्री महोदय की जिम्मेदारी है....

श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : ... .इसका ब्रीच ऑफ।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी इस प्रश्न के उत्तर से पहले प्रश्न के उद्घाटन में वे शायद कामयाब नहीं हो सके हैं । कृपया उनका उत्तर सुन लीजिये ...

(व्यवधान)

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । आधे घंटे की चर्चा के लिये पेश किया जाना चाहिये । इसको आगे रखा जाना चाहिये । इसको आधे घंटे के लिये रखा जाना चाहिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : विपक्ष के नेता महोदय ने जो पूछा, उसका जवाब देंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया विराज जाइये ।

श्री एच. एन. शर्मा : समय परिवर्तन-शील है और परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ही स्कूल खोले गये हैं ।

(व्यवधान)

क्राइटेरिया बदल गया ।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : यह धान्धली नहीं चलेगी ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आपकी भी इस तरह नहीं चलेगी ।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय की वकालत कर रहे हैं, स्पष्ट उत्तर दीजिये । आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : हाउस में स्पष्टीकरण कीजिये ।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान की जनता भैरोंसिंह की आज्ञा से चल रही है ।

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष-जी, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे शिक्षा के क्षेत्र से सम्बन्धित है और सरकार की नीति से सम्बन्धित है अतएव मैं आपके द्वारा सरकार से नम्रतापूर्वक निवेदन करना

(14)

(श्री लक्ष्मणसिंह)
चाहता हूं कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय और दूसरा प्रश्न लिया जाय ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जवाब नहीं दिया आपने ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक का भी जवाब नहीं दिया । कहां दिया जवाब ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजे । माननीय सदस्य, बिराजे । मैं निवेदन करना चाहूंगा शायद इस प्रश्न पर 50 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं । अगर मंत्री महोदय को सदन में इस तरह से जवाब नहीं देने दिया गया तो आगे के प्रश्नों का समाधान कैसे होगा ?

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया एक बार बिराजें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप पूछ लीजिये मंत्री महोदय से कि वे उत्तर देना चाहते है या नहीं ?

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वयं ही तय कीजिये कि इनका आन्सर उचित है या नहीं ?

श्री मदनसिंह दांता : विरोधी दल के नेता की मांग है कि प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय, इसलिये वोट लिया जाये।

श्री कौशलकिशोर जैन : वोट होते हैं प्रश्नोत्तर काल में ?

श्री किशनसिंह भाटी : प्रश्न का उत्तर तो आपको दिलवाना ही चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं, आप मंत्री महोदय का उत्तर देना चाहते हैं क्या ?

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय मुख्य मंत्रीजी का स्पष्टीकरण आना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : अगर इस तरह माननीय सदस्य खड़े होकर कहते रहे तो शायद प्रश्न का उत्तर ही नहीं आयेगा ।

श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) : माननीय मंत्री महोदय के पास जवाब है ही नहीं । अगर है तो उत्तर दे दीजिये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्राइटेरिया क्यों बदला ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : इधर और उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि प्रश्न का जवाब दिया जाय तो फिर मंत्री महोदय जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भूतपूर्व यातायात मंत्रीजी, कृपया आप बिराजें ।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : जोर से बोलिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्कूल खोले गये हैं

(श्री भंवरलाल शर्मा)
उनको जिले के अनुसार....

(व्यवधान)

यदि संख्या सुनलें तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी ।

एक माननीय सदस्य : माननीय भूतपूर्व यातायात मंत्रीजी को तो रोक दिया लेकिन इन वर्तमान मंत्रियों को तो कहिये ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : ...जो जिलेवार स्कूल खोले हैं, उनका विवरण देना चाहता हूं । जो इस प्रकार है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय क्या जवाब दे रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ।

श्री शंकरलाल : यह कोई जवाब नहीं है । क्या क्राइटेरिया है, यह जवाब आना चाहिये । प्रश्न तो यह है कि क्राइटेरिया क्यों बदला ?

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : सीकर में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी मैं निवेदन करूंगा जो मुख्य प्रश्न पूछा गया है वह यह है कि किन मापदण्डों के आधार पर स्कूल खोले गये हैं ? पहले जो मापदण्ड था उसमें क्यों परिवर्तन किया गया है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने जैसा निवेदन किया ये स्कूल खोलते समय ....

(व्यवधान)

जब स्कूलों की स्थिति देखी तो इम्बेलेन्स दिखाई दिया वह इम्बेलेन्स दूर हो और क्षेत्रीय सन्तुलन बना रहे, यह आधार है । पिछली बार जनसंख्या के आधार पर जो स्कूल खोलने की चर्चा हुई थी उसकी कुछ माननीय सदस्यों ने प्रशंसा की थी और कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि जनसंख्या के आधार पर स्कूल खोलना उपयुक्त नहीं होगा इसलिये इस पर विचार होना चाहिये..........

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) : किसने कहा था कि जनसंख्या के आधार पर नहीं खोलने चाहिये ? आप सदन में गलत बयान दे रहे हैं ।

श्री विज्ञान मोदी (सुमेरपुर) : उस क्राइटेरिया को बदलने का औचित्य क्या था ?

श्री शंकरलाल : किसी ने नहीं कहा ।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब यों ही सिटपिटा रहे हो ।

श्री बजरंग लाल शर्मा : शिक्षा मंत्रीजी पर रहम खाकर इनका जवाब तो सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : प्रश्न का जवाब नहीं आया है, इसलिये स्थगित किया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब नहीं आया है, इसलिये स्थगित किया जाय ।

श्री सूरजपाल सिंह: क्या आप, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी के जवाब से सन्तुष्ट हैं ?

(18)

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय न तो इस प्रश्न का उत्तर दिया और न हमारे प्रश्नों का जवाब दिया जो जवाब दिए वह भी भ्रामक हैं। मुख्य मंत्रीजी यहां पर मौजूद हैं सदन में अच्छे उत्तर आवें, ठीक उत्तर आएं इसकी जितनी जवाबदारी हमारी है उतनी ही इनकी जिम्मेदारी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं . . .

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करता हूं कि जो चाहें उत्तर देने को तैयार हैं। आज सदन का पहला दिन है पहले दिन में जितनी एक्टिंग करेंगे . . . .

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : मुकम्मिल उत्तर होना चाहिए। क्या आप यह मानते हैं कि मुकम्मिल उत्तर है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न, यह जो सवाल अहम बन गया है, जो लिस्ट इन्होंने बनाई है इस लिस्ट के ऊपर सभी माननीय सदस्यों को बड़ा एतराज है। इसलिये क्या आप विरोधी दल के माननीय नेताओं से इस लिस्ट को एजूकेशन मिनिस्टर के साथ बैठ कर रिव्यू कराने को तैयार हैं।

(व्यवधान)

अगर रिव्यू कराने को तैयार नहीं हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट कमेटीज के बारे में मुख्य मंत्रीजी जानते हैं कि पानी गांव में कहां दिया जाय, पानी की सिफारिश वहां से आती है, बिजली की सिफारिश वहां से आती है। तो फिर स्कूलों की सिफारिश डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट कमेटी से क्यों नहीं मांगी गई ? यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मांगी गई।

श्री श्योपत सिंह मकासर : नहीं मांगी गई।

(व्यवधान)

श्री शंकरलाल : प्रश्न को स्थगित किया जावे। विरोधी दल के नेता ने कहा है कि प्रश्न को स्थगित किया जावे. . . .

(व्यवधान)

प्रश्न को स्थगित किया जावे।

श्री निर्मलकुमार सकलेचा (झालरापाटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माथुर साहब ने जैसा कहा है . .

श्री मदनसिंह दांता : इनके राज्य में पोलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, एजीटेशन विदाउट करेक्टर हो रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, जब राजस्थान सरकार में वर्तमान योजना मंत्री नियुक्त हुए तो योजना कमेटियों का गठन किया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और घोषणा भी की, पहले सुझाव भी मांगे कि मैं इस प्रकार की डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की नियुक्ति करना चाहता हूं, आपकी क्या राय है ? हमने अपनी राय दी, स्वीकृति दी इसके बाद में स्कूल खोलने के लिये, प्रमोशन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमेटीज ने सरकार के पास में सिफारिशें भेजी हैं। पिछले साल जब क्राइटेरिया पापुलेशन. . . . . .

श्री ईश्वरचन्द्र : नहीं भेजी ।

श्री खेतसिंह राठौड़: भेजी हैं, हमने भेजी हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर: हमने भेजी हैं।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : जोधपुर जिले के जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला कमेटी के अन्दर इसकी चर्चा हुई है और हमने स्कूलों के नाम दिए हैं.....

श्री ईश्वरचन्द्र : पिछले साल...

श्री परसराम मदेरणा : इस साल दिये हैं।

श्री श्योपत सिंह मकासर: इस साल दिये हैं।

श्री मदन सिंह दांता : इन्होंने नहीं दिए होंगे ।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे ऐसा प्रतीत होता है.....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्कूलों के.....

(व्यवधान)

दस-दस हजार की आबादी के अन्दर आपने स्कूल नहीं खोले । 28 साल तक शासन करने के बाद भी स्कूल नहीं खोले.....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, ऐसा प्रतीत होता है कि भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य अगर शिक्षा मंत्री जी का कार्य-भार सम्भालना चाहे तो उनकी मर्जी की बात है। हम कहते हैं कि एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया और पापूलेशन को बेसिस माना तो हम यह मान कर चल रहे थे कि हमारे साथ में जस्टिस होगा, इन्साफ होगा । डिस्टेंस भी रखा इस क्राइटेरिया को बदलने के पीछे जो कुछ भी आइडिया है, वह मैं समझता हूं कि भारी पक्षपात करने के लिए शिक्षा मंत्री जी उतारू हैं। यह दुर्भावनापूर्ण तरीके से स्कूल खोले गये हैं। इससे ज्यादा सरकार के लिये शर्म की बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में जितना शिक्षा का विस्तार राजस्थान में हुआ है वह राजस्थान के लिए रिकार्ड है.....

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर: आप विस्तार किस ढंग से कर रहे हैं.....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल शर्मा: पोइन्ट ऑफ आर्डर पोइन्ट ऑफ आर्डर ।

व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री श्योपत सिंह मकासर: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्कूल जिस ढंग से खोले गये हैं उनसे ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्रीजी को मालूम था कि इसके बाद वे नहीं रहेंगे, तथा उनकी यह हुकूमत नहीं रहेगी इसलिए अभी खोल दो जितने खोल सको। यही दृष्टिकोण है इसमें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त घोषित कर दिया है । कृपया विराजें ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट देखें)

व्यवस्था का प्रश्न

जनता पार्टी के सदस्यों के लिये प्रयुक्त शब्दों का अपलोपन

श्री सुरेश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्नकाल के दौरान माननीय सदस्य श्री मदनसिह जी दांता ने जनता विधायकों को ××× असेम्बली बताया था, मुझे इसमें आपत्ति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये शब्द उचित नहीं हैं। ये सदन की कार्यवाही में अंकित नहीं किये जाने चाहिए।

श्री श्योपत सिंह मकासर : ये लाफुल तो इधर बैठे हैं और ××× उधर बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : मैंने ही नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति ने कहा है कि यह जनता सरकार अयोग्य है, × × ×

श्री शंकर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने फर्माया था . . .

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि इस सदन के सारे सदस्य ××× हैं और इनको बदलिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले आप इस बारे में व्यवस्था दीजिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये।

मैंने प्रश्नकाल समाप्त घोषित कर दिया है, अब प्रश्नों के संबंध में कोई नहीं पूछे। इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो जानकारी कर लें।

जहां तक कुछ शब्दों के बारे में आपत्ति की गई है, मैं प्रोसीडिंग देख लूंगा और उसके बाद में जो भी निर्णय होगा करूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : मैं कांस्टीट्यूशनली कहता हूं . . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक शिक्षा मंत्री जी कन्फ्यूज्ड हैं, दस-दस लिस्टें बन गई फिर भी ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता ने कह दिया उसके बाद भी आप स्थगित नहीं कर रहे हैं।

श्री शंकर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने स्वयं ने फर्माया था शिक्षा मंत्री जी के ध्यान हो जाने के बाद में . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंग लाल जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि व्यवस्था का प्रश्न जो प्रश्न सदन में है उसके संबंध में ही उठाया जा सकता है।

श्री बजरंग लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस की प्रोसिडिंग्स के संबंध में ही प्रश्न उठा रहा हूं। संविधान में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति सदन का सदस्य है, यदि उसमें ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से वह सदन का सदस्य नहीं रह सकता है तो उसके मामले पर फैसला होना चाहिए। दो माननीय सदस्यों के बारे में श्री गिरधारी लाल भार्गव ने कहा है, श्री गुल मोहम्मद जो

××× शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

जौहरी बाजार निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं और दूसरे श्री मदनसिंह दांता के बारे में कहा है कि इनकी × × × में भेज कर जांच करानी चाहिए जिसका अर्थ यह है कि वे × × × ठीक नहीं हैं।

कई माननीय सदस्य : यह नहीं कहा है....

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : यह नहीं कहा है।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इसका अर्थ यह होता है....

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमंडी) : आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मैं समझता हूं कि इसके लिए पुष्पा जैन ही ठीक रहेंगी। वे जांच कर के बता देंगी....

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय खास तौर से परेशान नजर आते हैं। कभी-कभी वे अपने बाल भी नोच रहे हैं। आप व्यवस्था देंगे कि इस सदन में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंगलाल जी, आप बिराजिये।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह गंभीर प्रश्न है....

(व्यवधान)

जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह उपयुक्त नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : दोनों को × × × भेज देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री एच.एन. शर्मा : रात का नशा बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

शोकाभिव्यक्ति। सदन के नेता महोदय।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

लार्ड माउन्टबेटन, सर्व श्री बाल कृष्ण कौल, रामानन्द अग्रवाल, नारायण चतुर्वेदी, गुरुदयाल सिंह सन्धु, हिम्मत सिंह एवं मोतीचन्द खजांची के देहावसान पर शोकाभिव्यक्ति एवं उनके प्रति श्रद्धांजलि।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वर्गीय लार्ड माउन्टबेटन, स्वर्गीय बाल कृष्ण कौल, स्वर्गीय रामानन्द अग्रवाल, स्वर्गीय नारायण चतुर्वेदी, स्वर्गीय गुरुदयाल सिंह सन्धु, स्वर्गीय हिम्मत सिंह एवं स्वर्गीय मोतीचन्द जी खजांची, इन सब व्यक्तियों के प्रति सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, लार्ड माउन्टबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वे भारत के अच्छे मित्र थे। भारत की आजादी के प्रयास में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। उनके समय में ही भारत स्वतन्त्र हुआ। उनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत स्वतन्त्र होने के बाद जो समस्याएं खड़ी हुई उन समस्याओं के समाधान में उनका काफी योगदान रहा है। एक नौका दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हो गया।

× × × शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार आलोपित किये गये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके शोक संतप्त परिवार को शांति मिले, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं।

श्री बाल कृष्ण कौल इस विधान सभा के सदस्य थे। राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री भी रहे। अजमेर के नसीराबाद निर्वाचन क्षेत्र से वे निर्वाचित होकर आते थे। अजमेर राज्य के वे वित्त और गृह मंत्री भी रहे। आजादी के आन्दोलन में उनका योगदान रहा है। उन्होंने एक निर्भीक कार्यकर्ता के रूप में, राजनैतिक नेता के रूप में कार्य किया है। उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल इस सदन में मेरे साथ दो बार सदस्य रहे हैं। वे एक अच्छे वक्ता थे। वे अपनी पार्टी के पक्ष को रखने के साथ-साथ गरीबों की समस्याओं के लिए भी लड़ते रहे। उनका भी अचानक स्वर्गवास हो गया। उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा।

श्री नारायण चतुर्वेदी प्रथम विधान सभा के सदस्य थे। 7 सितम्बर, 79 को उनकी हत्या हो गई....

श्री बाल कृष्ण थानवी : वह आपका पाला हुआ सांड बताया जाता है ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी को भी हत्यारा कह देना आसान बात है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि श्री चतुर्वेदी 1952 से 57 तक इस विधान सभा के सदस्य रहे। वे अच्छे मिलनसार व्यक्ति थे। सामाजिक क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में कार्यकर्ता थे काफी लोकप्रिय थे, वे मृदुभाषी थे। उनके निधन से काफी हानि हुई है। उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा।

श्री हिम्मत सिंह इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं। विधान सभा में उनकी एक विशेष बात यह रहती थी कि वे हर बात पर व्यंग्य बहुत कसा करते थे। उनके व्यंग्य ज्यादा चलते थे। वे बहुत अच्छे वक्ता भी थे। काफी अनुभवी होने के नाते सदन में उनकी राय का महत्व भी था। वह भी हमारे बीच से उठ गये। उनके निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री गुरु दयाल सिंह सन्धु प्रथम और पंचम राजस्थान विधान सभा के सदस्य थे। उनका राजनैतिक क्षेत्र गंगानगर जिले के अन्दर था। वे समाजवादी दल से सम्बन्धित थे। वे निर्भीक और स्पष्ट वक्ता थे। इस कारण से कई लोग उनसे अप्रसन्न हो जाते थे परन्तु फिर भी सही बात कहने में वे कभी संकोच नहीं करते थे। उनके स्वर्गवास पर मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री मोतीचन्द खजांची बीकानेर से प्रथम विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होकर आये थे। उनका व्यवसाय से भी सम्बन्ध था परन्तु फिर भी वे कला और संस्कृति में काफी रुचि रखते थे। उनके पास हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रहालय था। कला और संस्कृति में उनका काफी योगदान रहा है। उनका भी स्वर्गवास हो गया। उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, इस बार जुलाई-अगस्त

(श्री रामसिंह विश्नोई)

में भयंकर बाढ़ आई, उसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है। उनके बारे में भी....

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, लार्ड माउन्टबेटन एक अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योद्धा तथा राजनेता थे। ग्रेट सोल्जर, स्टेट्समेन थे। वे भारतवर्ष के अन्तिम वायसराय और क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव थे। उन्होंने जिस दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता के द्वारा भारतवर्ष और बर्तानिया के बीच जैसा सौहार्दपूर्ण रिश्ता स्थापित किया, वह चिरस्मरणीय रहेगा। यह विधि की विडम्बना है कि जिस आदमी ने समुद्री बेड़े में सेवा कर ख्याति प्राप्त की, उसका अन्त भी समुद्र में ही हुआ। लार्ड माउन्टबेटन की आकस्मिक मृत्यु उनके मित्रों के लिए खेदजनक और दुखद घटना है।

मैं स्व. लुइस लोर्ड माउन्ट बेटन की दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करता हूं। और उनके परिवार के प्रति हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल इस सदन के सदस्य थे। वे वित्त मंत्री भी रहे। वे एक लोकप्रिय नेता थे। उनको मैं भलीभांति जानता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल भी इस सदन के सदस्य रहे और विपक्ष में भी मेरे साथ बैठे। मत-मतान्तरों के बावजूद भी मैं उनको आदर की दृष्टि से देखता था। वे परिश्रमी थे, लोकप्रिय नेता थे।

श्री नारायण चतुर्वेदी एक मृदुभाषी विधान सभा के सदस्य थे। उनको सनसनीखेज मृत्यु एक चिन्ता का विषय बनी हुई है। ऐसे लोकप्रिय नेता की दुर्घटना ग्रस्त होकर मृत्यु होना समाज के लिये एक दुर्भाग्य पूर्ण बात है।

श्री गुरु दयाल सिंह सन्धु भी इस विधान सभा के सदस्य थे। वे लोकप्रिय नेता थे उनकी भी आकस्मिक मृत्यु हुई। जिस प्रकार उनकी मृत्यु हुई वह भी एक सन्देह का विषय है। वे गंगानगर जिले के उच्चकोटि के राजनेता थे, लोकप्रिय नेता थे। उनके मरने से गंगानगर में एक प्रतिष्ठित, सम्भ्रान्त नागरिक उठ गया।

श्री हिम्मत सिंह और श्री मोतीचन्द खजान्ची से व्यक्तिगत रूप से मैं परिचित नहीं हूं। वे भी लोकप्रिय नेता थे।

श्री बालकृष्ण कौल, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री नारायण चतुर्वेदी, श्री गुरु दयाल सिंह सन्धु, श्री हिम्मत सिंह, श्री मोतीचन्द खजान्ची, इन सभी दिवंगतों की आत्माओं की चिर शांति के लिये मैं अपनी ओर से और मेरे दल की ओर से प्रार्थना करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति व्यक्त करता हूं।

अभी दुर्घटना, बाढ़ के कारण जो व्यक्ति मारे गये हैं उनकी मृत्यु पर खेद व्यक्त करते हुए मेरे दल की ओर से और मेरी तरफ से परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को चिर शांति प्राप्त हो। उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक सम्वेदना और सहानुभूति प्रकट करते हुए इस प्रस्ताव का मेरे दल की ओर से और मेरी ओर से सादर समर्थन करता हूं।

(22)

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में बाढ़ से मरने वालों के प्रति और सम्वेदना जोड़ देते तो ज्यादा उचित होता। बाढ़ से चार सौ आदमियों की मृत्यु हुई है। वह भी आपके प्रस्ताव में आ जाता तो।

एक माननीय सदस्य : पार्लियामेंट में भी ऐसा ही हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूं अलग से आ जाता तो ज्यादा ठीक रहता।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : मोरवी को बाढ़ आई उसमें जिनकी मृत्यु हुई उनके लिये वहां भी लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिंह जी, कृपया बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मेरी पार्टी की उनके साथ पूर्ण सहानुभूति है। भगवान उनकी क्षति को सहन करने की उनके परिवारों को शक्ति प्रदान करें।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : जो शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव सदन के नेता ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

लार्ड माउण्टबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। महारानी विक्टोरिया के प्रपौत्र होते हुए भी तत्कालीन प्रधान मंत्री क्लीमेंट एटली ने यह उपयुक्त समझा कि वे भारत के सत्ता हस्तान्तरण में मुख्य भूमिका निभा सकेंगे।

लार्ड माउण्टबेटन जैसा कि विरोधी दल पक्ष के नेता ने कहा, बहुत ही छोटी आयु में, 42 वर्ष की आयु में रायल ब्रिटिश नेवी के एडमिरल हुए। द्वितीय महायुद्ध में लैण्ड फोर्सेज के सुप्रीम कमाण्डर साउथ ईस्ट एशिया में रहे। मार्च, 1947 से अगस्त, 1947 तक भारत के वायसराय रहे, और अगस्त, 1947 से जून, 1948 तक गवर्नर जनरल रहे। स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय नेताओं ने उन्हें गवर्नर जनरल नियुक्त करना उपयुक्त समझा।

जो किताब मिड-नाइट फ्रीडम लैपियर ने लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत के विभाजन के वक्त हिन्दुस्तान की तमाम फौजें पंजाब की तरफ लगी हुई थीं फिर भी पूरी कोशिशों के बाद भी वहां शांति स्थापित करने में सफल नहीं हो रही थी लेकिन दूसरी ओर कलकत्ता में एक महात्मा गांधी पूरे भारत के आधे से ज्यादा हिस्से में शांति स्थापित कर सके थे। यह इस बात का द्योतक है कि गांधी जी के व्यक्तित्व की अमिट छाप उन पर पड़ी थी। हमेशा वे गांधी जी के प्रसंशक रहे।

आजादी के बाद गवर्नर जनरल के ओहदे से वापस जब वे बर्तानिया गये तो भी वे फर्स्ट एडमिरल ही बने। उसके साथ ही साथ चीफ आफ दी डिफेंस स्टाफ भी बने। उन्होंने एडमिरल की हैसियत से, एक योद्धा की हैसियत से ख्याति प्राप्त की। उनका स्वर्गवास भी एक विडम्बना है, समुद्री नाव में बम विस्फोट से हुआ।

हमारी भारत की फौजों के 50 के आस-पास सदस्य उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये बर्तानिया गये थे ये भारत को उनसे प्रेम था। उनकी सबसे छोटी दोहिती, जिसकी उम्र 12 वर्ष की है जो

(श्री परसराम मदेरणा)

उस वक्त उनके शव के साथ चल रही थी, का नाम भी उन्होंने इण्डिया रखा था । भारत की जनता भी उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखती रही ।

मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं ।

पिछले 6 महीनों की अल्प अवधि में हमारी विधान सभा के 6 भूतपूर्व सदस्यों का स्वर्गवास हुआ । स्व. श्री बालकृष्ण कौल, स्व. श्री रामानन्द अग्रवाल, स्व. श्री नारायण चतुर्वेदी, स्व. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु, स्व. श्री हिम्मतसिंह, स्व. श्री मोतीचन्द खजान्ची, का इस सदन में, सदन की कार्यवाही में बहुत बड़ा योग रहा है । इसके साथ ही साथ सार्वजनिक और अलग-अलग सामाजिक क्षेत्रों में उन्होंने महत्वपूर्ण और निष्ठा के साथ काम किया है । उन्होंने अच्छे उदाहरण हमारे समाज के सामने प्रस्तुत किये हैं । उनमें से बहुत से अच्छे पार्लियामेंटेरियन और वक्ता थे, अच्छे प्रशासक भी रहे, आजादी के सरगर्म भी रहे, शोषक वर्ग के हमेशा हिमायती रहे, ललित कला और दूसरी अकादमी, अलग-अलग क्षेत्रों में माननीय सदस्यों की रुचि रही । उनके निधन से हमारे सार्वजनिक जीवन में एक रिक्तता आई है, जिसे वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी पूरा करने का प्रयास करेगी । उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं उनके शोक संतप्त परिवारों को इस असहय दुःख को सहन करने के लिये भगवान शक्ति प्रदान करे ।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, जुलाई 16 और 17 को पश्चिमी राजस्थान में आकर बाढ़ आई है । इस विनाशकारी बाढ़ में 425 के आसपास व्यक्ति बह गये उनके बहने से 425 परिवार ही नहीं सैंकड़ों परिवार प्रभावित हुए । यह ऐसी दुर्घटना थी कि जिससे हुई क्षति की पूर्ति होना बहुत असम्भव दिखता है ।

जो बाढ़ में बह गये हैं उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । शोक संतप्त परिवारों के प्रति सम्वेदना प्रकट करता हूं मैं स्वयं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से भी ।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी सदन के माननीय नेता ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

लार्ड माउन्टबेटन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आखिरी प्रतिनिधि के रूप में भारत में आये थे । उन्होंने भारत की आजादी में जो रोल अदा किया था उससे वह भारत के मित्र बन गये । यहां से जाने के बाद भी वह बराबर भारत की तरक्की और यहां के आम अवाम में दिलचस्पी लेते रहे । मरते दम तक वह भारत के मित्र रहे । यही कारण है कि भारत के देशवासियों और सभी दलों के लोग उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट कर रहे हैं ।

श्री बालकृष्ण कौल मेरे बहुत ही पुराने साथी रहे हैं । इस सदन में कई वर्षों तक उन्होंने बहैसियत वित्त मंत्री का काम किया । वह एक बड़े पुराने फ्रीडम फाइटर रहे । जंगे आजादी में उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां कीं । आज वह हमारे बीच में नहीं रहे हैं ।

(24)

(श्री मथुरादास माथुर)

श्री रामानन्द अग्रवाल इस सदन के एक प्रगतिशील सदस्य और कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत अर्से तक मन्त्री रहे। उन्होंने हमेशा इस सदन में गरीब तबके और मजदूर लोगों की आवाज को बुलन्द करने का प्रयत्न किया।

श्री नारायण चतुर्वेदी एक अच्छे जर्नलिस्ट थे। प्रथम विधान सभा के सदस्य रहे। वह कई बैंकों के भी चेयरमैन रहे। एक अच्छे कार्यकर्ता थे। उनकी जिस हालत में मौत हुई उसका हमें खेद है।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु इस सदन के माननीय सदस्य रहे। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है वह बहुत साफ बात कहने वाले व्यक्ति थे। गंगानगर जिले के राज नेता थे। उनकी भी मृत्यु जिस हालत और स्थिति में हुई उसका हमें खेद है।

श्री हिम्मत सिंह इस सदन के माननीय सदस्य रहे। बड़े अच्छे वक्ता थे। जैसा कि मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया, सटायर के रूप में अच्छे वक्ता थे। ऐसे व्यक्ति की हमेशा याद आती है।

श्री मोतीचन्द खजांची इस सदन के माननीय सदस्य रहे। वह पुराने आर्ट को और पुरानी चीजों को इकट्ठा करते थे। वह प्रथम विधान सभा के सदस्य रहे।

हमारे यह छः पुराने साथी दुनियां में नहीं रहे। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

जैसा कि विरोधी दल के नेता और सदन के नेता ने कहा, जुलाई के महीने में 16 और 17 को लूणी नदी में बाढ़ आने से पश्चिमी राजस्थान के अन्दर काफी क्षति हुई है, उसमें सैकड़ों व्यक्ति मारे गये हैं। बहुत से परिवार नष्ट हो गये हैं। इसी तरह से गुजरात में मोरवी नदी में बाढ़ आने से हजारों आदमी मर गये हैं। राजस्थान में बाढ़ से इतनी तादाद में आदमियों की मौत होने, बरबादी होने की पहली घटना है। सदन के माननीय नेता ने शोक प्रकट किया है। मैं भी उनके साथ और दूसरे माननीय विरोधी दलों के नेताओं के साथ अपनी भावना प्रकट करता हूं। इस समय तो मैं उन परिवारों, जो शोक सन्तप्त परिवार हैं के लिये कुछ कहना नहीं चाहता। वक्त आयेगा तब हमें उनके लिये क्या करना चाहिये, वह कहूंगा। इस वक्त मैं सभी किसान भाइयों के प्रति अपनी सम्वेदना प्रकट करता हूं मेरी ओर से, इस पार्टी की ओर से इस बात के साथ मैं अपने स्थान पर बैठता हूँ।

श्री श्योपत सिंह मकासर (हनुमानगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन के माननीय नेता ने प्रस्ताव रखा है।

हमारे यहां उपनिवेशवाद रहा उसके आखिरी प्रतिनिधि लार्ड माउन्टबेटन रहे। उपनिवेशवाद के दौर के अन्दर वह वायसराय के रूप में रहे। उस व्यक्ति की दोस्ती की चर्चा मुख्य मंत्री ने की। जंगे आजादी के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिस वक्त माउन्टबेटन वायसराय आये थे हमारे बहुत से लोग जंगे आजादी में शहीद हुए, इस बात को भी भूलना नहीं चाहिये। यह व्यथा के रूप में देश को बताना चाहता हूं।

श्री बालकृष्ण कौल के साथ 62 के बाद में साथ रहने का मौका मिला। इस विधान

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

सभा में इतनी दिलचस्पी थी कि दर्शक दीर्घा में बैठ कर सदन की कार्यवाही सुना करते थे बुढ़ापे की हालत में, बीमारी के दिनों में। यह जाहिर करता है कि उनकी दिलचस्पी राजस्थान की प्रगति में कितनी थी। उनकी हमेशा याद रहेगी।

इसके साथ साथ श्री रामानन्द अग्रवाल नेता के रूप में इस विधान सभा में रहे। 62 के बाद मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है। राजस्थान के महनतकशों के वे दोस्त थे। उनके स्थान की पूर्ति होना बहुत मुश्किल है। उनको भुलाना बहुत मुश्किल है। किसी भी शख्स को नेता बनने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। बहुत समय बाद नेता पैदा होता है। इस कारण से श्री रामानन्द अग्रवाल के स्थान की पूर्ति हो सकेगी या नहीं यह कहना बहुत मुश्किल है। जब भी कभी राजस्थान के महनतकशों मजदूरों और किसानों की मांगों के लिए लड़ाई होती थी तो वह अगुवाई किया करते थे विधान सभा के अन्दर और विधान सभा के बाहर भी।

इसके साथ-साथ श्री गुरदयाल सिंह सन्धु, हमारे जिले के एक लड़ाकू योद्धा कहूंगा मैं उन्हे, व्यक्ति थे। जिस तरह से विधान सभा में वह दहाड़ा करते थे बोला करते थे वह किसानों की आवाज बुलन्द किया करते थे, उसी तरह बाहर भी किया करते थे। इमर्जेंसी में बहुत ही निर्भीक थे। मुझे याद है, इमर्जेंसी के दौरान जब सभी लोग डर कर बैठ गये थे वह शख्स था जिसने लगातार महीने भर भूख हड़ताल करके सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। ऐसे योद्धा के न होने से हमारे गंगानगर जिले का बहुत ही नुकसान हुआ है।

इसके साथ-साथ श्री हिम्मतसिंह, श्री मोतीचन्दजी खजांची विधान सभा के सदस्य रहे। मुझे तो कभी उनके साथ रहने का मौका नहीं मिला है। यह क्षति है राजस्थान के लिये कि इस थोड़े से अर्से में वह चल बसे। बिछुड़ गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से नारायण चतुर्वेदी और गुरदयाल सिंह की मौत हुई गुण्डा एलिमेन्ट के जरिये, गुण्डा एलिमेन्ट के द्वारा जिस ढंग से उनकी मौत की गई उसके प्रति आक्रोश प्रकट करता हूं। मैं श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करूंगा। ये दोनों कार्यकर्ता विधान सभा के सदस्य रहे, राजनैतिक पार्टियों के कार्यकर्त्ता भी रहे और अनेक ओहदों पर कार्य करते रहे। ऐसे राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं की जिन गुण्डों के द्वारा मौत हुई वे सरकार के ज्यादा नजदीक थे यह ताज्जुब की बात है। ऐसे राजनैतिक कार्यकर्ता की गुण्डा एलिमेन्ट के द्वारा मौत हो जाय और राजस्थान सरकार इसमें पूरी दिलचस्पी न ले, न्याय नहीं मिले तो यह और भी कसकने वाली बात है। इसलिये मैं आक्रोश प्रगट करता हूं।

बाकी जो भी हमारे साथी थे, जो अब नहीं रहे स्वर्गवासी हो गये, उनके शोक सन्तप्त परिवारों के प्रति मैं अपनी सम्वेदना प्रगट करता हूं।

श्री नूरा (मसूदा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के नेता ने जिनका स्वर्गवास हो गया है उनके बारे में

(श्री नूरा)
श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रस्ताव रखा है।

लोर्ड माउण्टबेटन इंगलैंड के भारत के अन्दर आखिरी प्रतिनिधि थे, हमारे देश की भावनाओं को देखते हुए उनके टाइम में देश को आजादी मिली। उन्होंने देश को समझा। हमारी भावना को समझते थे, ऐसे आदमी की मृत्यु को हम क्षति और नुकसान मानते हैं। उनके परिवार और देश को उनकी पूर्ति करने का मौका मिले।

विरोधी दल के नेता और हमारे सदन के नेता हमारी विधान सभा के सामने पहला ही यह मौका आया है चुने जाने के बाद जब एक साथ इतने सारे विधान सभा के सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, यह राजस्थान की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। श्री बालकृष्ण कौल, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री नारायण चतुर्वेदी, श्री गुरदयाल सिंह सन्धु, हिम्मत सिंह, मोती चन्दजी खजान्ची ये सब साथी अब नहीं रहे। राजस्थान के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं इन सब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

रामानन्दजी हमारी पार्टी के सदस्य थे, मरते दम तक हमारी पार्टी के अच्छे नेता रहे। उनके दिल में उनमें आम लोगों की सेवा करने की भावना थी, साथ ही अन्य साथियों की भी राजस्थान की सेवा करने की भावना थी। लेकिन जब जिसका टाइम आता है मौत किसी को नहीं छोड़ती है। जिन परिवारों से ये साथी आए हैं उन परिवारों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति मिले। उनके स्वर्गवासी होने पर मैं अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री नवनीतकुमार पालीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है····

श्री नूरा : मैं एक बात छोड़ गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भी प्रस्ताव रखा है। पहली दफा बाढ़ से इतना नुकसान हुआ है। जिनकी बाढ़ से मृत्यु हुई है उनके परिवारों को दुःख को, परेशानी को सहने की शक्ति मिले। हमारे राजस्थान में ऐसा समय कभी नहीं आवे जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़े, यह कामना करता हूं। मैं तो सरकार से कहूंगा कि ऐसा नुकसान करने वाले नदी, नाले हैं, उनमें बाढ़ आने से पूर्व ध्यान रखे ताकि अकाल नहीं आवे। उन परिवारों, जिन परिवारों के लोग बह गये हैं, जिनका नुकसान हुआ है, को दुःख सहने की शक्ति प्राप्त हो।

श्री नवनीतकुमार पालीवाल (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो प्रस्ताव रखा है उसके संबंध में भी मैं भी अपनी ओर से भावना समर्पित करता हूं।

लॉर्ड माउण्टबेटन, गुलामी और आजादी के बीच की कड़ी थी। आक्रान्ता और आक्रांत में कड़ुवाहट नहीं रह सके इसमें उन्होंने जो भूमिका निभाई उसका मैं स्वागत करता हूं। उनका स्वर्गवास हुआ। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

जिन 5-6 विधायकों का देहान्त हुआ है, भूतपूर्व विधायकों का, उनमें से पांच को मैं जानता हूं। उनके साथ कार्य करने का

(श्री नवनीतकुमार पालीवाल)

अवसर मिला था । श्री बालकृष्ण कौल स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। वे राज्य के मंत्री रहे । वे लोकतंत्र में आस्था रखते थे । इसका प्रमाण है, 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ तो नजदीकी साथियों और रिश्तेदारों को भी छोड़ कर आ गए । उन्होंने जो देश की सेवा की वह सराहनीय है। इसलिए मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल का देहान्त भी राजस्थान की एक क्षति है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल के साथ-साथ प्रतिपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे विपक्ष में रहकर लगातार संघर्ष करते रहे। उनके स्वर्गवास से जो क्षति हुई वह निकट भविष्य में पूरी नहीं हो सकती । मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं ।

श्री नारायण चतुर्वेदी और श्री गुरदयाल सिह सन्धु आज के अराजक वातावरण के शिकार हुए । उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही आज के अराजक वातावरण के लिये चिन्ता प्रकट करता हूं। यह कामना करता हूं कि राजस्थान का वातावरण अच्छा बने ताकि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मृत्यु इस तरह से नहीं हो। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करता हूं । उनके परिवार के प्रति हार्दिक सहानुभूति समर्पित करता हूं । साथ ही मैं कामना करता हूं कि प्रदेश का वातावरण अच्छा बने ताकि हत्याओं का दौर समाप्त हो।

श्री हिम्मतसिहजी से मैं परिचित नहीं था। वे इस सदन के सदस्य रहे हैं उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री मोतीचन्दजी खजान्ची के साथ कांग्रेस संगठन में बीकानेर में मेरा सम्पर्क रहा। वे मधुर भाषी थे, अच्छे नेता थे। उनका अभाव भी राजस्थान को अखरेगा।

राजस्थान में बाढ़ से जो जन-हानि हुई और हमारे पड़ौसी प्रदेश गुजरात में भी बाढ़ से जो जन-हानि हुई उसके प्रति चिन्ता व्यक्त करता हूं । बाढ़ में दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ-साथ उनके परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रगट करता हूं और कामना करता हूं कि इस आकस्मिकता के भार को वहन करने की उन्हें ईश्वर क्षमता प्रदान करे।

इसके साथ ही अन्त में शोक के समय भी मनोरंजन का साधन ढूंढने वाले साथियों को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदन के नेता महोदय द्वारा और विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा जो शोकाभिव्यक्तियां की गई और जो श्रद्धांजलियां अर्पित की गई मैं निजी रूप से सदन के सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कहना चाहूंगा कि जिन दिवंगतों की आत्माओं के प्रति आज श्रद्धांजलियां अर्पित की गई उनमें श्री माउण्टबेटन एक ऐसे महत्वपूर्ण और प्रतिभावान व्यक्ति थे जिन्होंने देश को जब आजादी मिली और विभाजन की विभीषिका और दूसरी समस्याओं का सामना देश को करना पड़ा, उस समय बहुमूल्य योगदान देकर उन समस्याओं का निराकरण करने में एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि स्वतंत्र भारत में भी उनके प्रति सम्मान बना रहा और आंग्ल साम्राज्य और स्वतंत्र भारत में मधुर संबंध यथावत रहे । अर्ल माउण्टबेटन ऑफ बर्मा ने युद्ध के समय

(श्री उपाध्यक्ष)

और शान्ति काल में अच्छे सेनानी और अच्छे राजनीतिज्ञ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे निष्ठा की पाश्चात्य जगत में एक मिसाल छोड़ गए हैं।

हमारे विधान सभा के भूतपूर्व साथियों जिनको श्रद्धांजलियां देने के लिए हम अपनी शोकाभिव्यक्ति कर रहे हैं, में से श्री बालकृष्ण कौल भूतपूर्व अजमेर रियासत के और बाद में राजस्थान के वित्त मंत्री रहे। एक उच्च कोटि के राजनेता और भूतपूर्व सेनानी के रूप में उन्होंने राजस्थान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारा देश और हमारा यह राज्य उनकी सेवाओं को कभी नहीं भूल सकता।

हमारे सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री गुरदयाल सिंह और श्री नारायण चतुर्वेदी के असामयिक निधन जिन स्थितियों में हुए, उनकी असामयिक मृत्यु जिस हत्या के दौर में हुई, हत्या के आधार पर हुई वह बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ज्यादा खेदजनक है। उन लोगों ने राज्य की उन्नति के लिए, इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए, बहुमूल्य मूल्यों के संस्थापन के लिए काफी योगदान दिया।

हमारी विधान सभा के अन्य भूतपूर्व सदस्य श्री रामानंद अग्रवाल एक मजदूर नेता थे उच्च कोटि के, उन्होंने सदन के अन्दर और बाहर उनके हितों के लिए संघर्ष किया, अपना योगदान दिया। वह पार्टी के लिए, मेहनतकश व्यक्तियों के लिए एक सबक छोड़ गए हैं। मजदूर नेता उनको आदर्श मान कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए कृत संकल्प हैं।

श्री मोतीचन्द खजांची और श्री हिम्मतसिंह हमारी प्रथम विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने अपने योगदान के द्वारा हमारे राज्य को विकास के मार्ग पर अग्रसर किया। प्रथम विधान सभा के कार्य संचालन में उन्होंने विशेष भूमिका निभाई।

इन सब दिवंगत सदस्यों की आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनकी चिर शांति की कामना करते हुए उनके परिवार के, जो उनके पीछे हों, के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए हम आशा करते हैं कि भगवान उनको चिर शांति प्रदान करे।

अंत में राजस्थान के अजमेर जिले और जोधपुर संभाग के उन दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की चिर शांति की कामना करता हूं जो पिछले दिनों बाढ़ की विनाश लीला के शिकार हुए। उस बाढ़ से हमारे राज्य के जन-धन की जो अपार क्षति देखने को मिली और जिस आकस्मिकता के साथ विनाश लीला हुई, वह दरअसल अपने आप में दुखद याद के रूप में है। हम आशा करते हैं कि देश के किसी भी भाग में इस तरह की बाढ़ की पुनरावृत्ति न हो।

मैं पुनः इन अभिव्यक्तियों में सदन के सभी माननीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए मृत व्यक्तियों की आत्माओं की चिर शांति की कामना के लिए सदन से निवेदन करूंगा कि दो मिनट खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करें।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगतों की आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

श्री उपाध्यक्ष : मैं दिवंगतों की आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत उनके सम्मान में आज सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 12.55 बजे एक घंटे के लिये स्थगित हुई।)

(विधान सभा की बैठक पुनः म.प. 1.59 बजे प्रारम्भ हुई।)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन।)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्व श्री श्योपतसिंह मकासर, अब्दुल हादी, श्रीमती मदन कौर, श्रीमती सुमित्रासिंह, सैयद मंजूर अली, नवरंग सिंह, केदारनाथ, मनीराम आर्य, लालचन्द, जयनारायण सांलोदिया, मांघोसिंह, नत्थीसिंह, मेघराज पंवार, रामनारायण चौधरी, रामरघुनाथ चौधरी, मथुरादास माथुर, खेतसिंह, रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग में अकाल के कारण तथा कुछ जिलों में बाढ़ के कारण हुई हानि और उससे उत्पन्न जल व अन्न संकट के विषय में।

इस विषय पर नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा नियम 119 के अन्तर्गत भी अन्य सदस्यों से सूचना प्राप्त हुई है। यह विषय पर्याप्त लोक महत्व का है, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यों को इस विषय में विचार विमर्श के लिए अवसर मिले, इसके लिए कार्य सलाहकार समिति में विचार-विमर्श करके समय का आवंटन करवा दिया जायेगा। जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उन्हें राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है।

(2) श्री शंकरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैतारण तहसील में किसानों को ट्रैक्टरों व इन्जनों के लिए डीजल आवश्यक मात्रा में न मिलने के विषय में।

(3) सर्व श्री आर. डी. यादव व हरिसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से नारायण चतुर्वेदी व गुरदयाल सिंह संधु, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा की निर्मम हत्या के सम्बन्ध में।

(4) श्री गंगाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 16 सितम्बर को ग्राम बबेकर, पुलिस थाना भुसावर, जिला भरतपुर में मंगतीसिंह आदि 5 व्यक्तियों द्वारा वादाम जाटव नामक हरिजन की हत्या कर देने के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(5) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य वित्त निगम द्वारा सेवा नियमों का उल्लंघन करके बड़े पैमाने पर भर्तियां, निलम्बन आदि करने की घटनों के विषय में।

यद्यपि यह प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य नहीं है, फिर भी सरकार से इस विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर आवश्यक

(श्री उपाध्यक्ष)
निर्णय लिया जायेगा।

(6) सर्व श्री नवनीत पालीवाल व गुल मोहम्मद, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों के विकास के लिये कोई कार्य न किये जाने के विषय में।

(7) श्री नूरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के सफाई मजदूर फैड-रेशन के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल व भूख हड़ताल के विषय में।

इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जा रहा है और इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रस्ताव था जो कि इसी कार्यक्रम में लिया जाय क्योंकि इसके बाद शायद....

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया है।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने पहले ही दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। अभी दो मिनट पहले ही प्रस्ताव भिजवाया है और मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट पहले नहीं...

श्री उपाध्यक्ष : मैं जानकारी ले रहा हूं।

श्री मदनसिंह दांता : आप एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग ले रहे थे तब प्रस्ताव दे चुका था। इसलिये यह कार्यक्रम में पढ़ कर सुना दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो प्रस्ताव दिया है वह समय से पूर्व प्रस्तुत होना चाहिये। बीच में अगर कोई सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत कर दे तो...

श्री मदनसिंह दांता : यह प्रस्ताव मैं पहले ही लाया था, आपने फर्माया था कि बाद में लाना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दांताजी, आपने किसी केस में बातचीत की थी और आपने जबानी चर्चा करने के लिये कहा था। आप सदन के समक्ष या सचिवालय के समक्ष लाइये। मुझे विचार करने दीजिये।

श्री मदनसिंह दांता : आपने फर्माया कि एक घंटे की असेम्बली खतम हो तब प्रस्तुत करना। बाकी आपकी मर्जी है।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : मेरा भी एक प्रस्ताव था।

(व्यवधान)

गंग केनाल सूख गई है। गंगानगर जिले में भारी रोष है। पानी पहुंच नहीं रहा है..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दुलाराम जी, आपका प्रस्ताव आया है लेकिन समय के बाद आया है।

श्री दुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने समय से पहले ही पहुंचा दिया था। यह प्रश्न बड़ा अहम है और गंगानगर जिले में 15 लाख जनता रो रही है। इस प्रश्न को

(श्री दुलाराम)

आज ही लेना चाहिये। वहां त्राहि त्राहि मच रही है और यहां प्रश्न को टाला जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दुलारामजी, मैं साढ़े 10 बजे तक बैठा था, सचिव महोदय भी थे, तब तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था। सदन की चर्चा के दौरान आप इस प्रस्ताव की चर्चा उठाना चाहते हैं तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकेगी।

श्री दुलाराम : मान्यवर, यह जो मेरा प्रस्ताव है यह कल पहुंचा है और आप साढ़े दस बजे की बात कर रहे हैं। मैंने इसे सवा नौ बजे आफिस में पहुंचा दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दुलारामजी, आपके जो प्रस्ताव पर प्राप्ति का समय दिया गया है वह पौने ग्यारह बजे का आज की तारीख का दिया गया है।

श्री दुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, यह जानबूझ कर लेट किया गया है, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दुलारामजी, आप मुझे मेरे चम्बर में मिल लें, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं कार्यवाही करूंगा निश्चित रूप से।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : हमने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना आपको दी, वह अकाल के बारे में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल की स्थिति भयानक है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सालोदियाजी, मैं आपको शायद इस संबंध में सूचित कर चुका हूं। अभी सदन में अकाल और बाढ़ के संबंध में बहुत से स्थगन प्रस्ताव आये हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आये हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा भी हुई है। जो सुझाव आये हैं उन पर गौर किया जा रहा है, इस पर आपको अवश्य अवसर मिलेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, जब भी इस प्रकर का प्रश्न आता है गवर्नमेंट हमेशा उससे बचने की कोशिश करती है ऐसे प्रश्न का सामना करने से....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी चिन्ता स्वाभाविक है। और भी बहुत से माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है...

श्री स्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव अकाल और बाढ़ के बारे में...

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम बबेकर, पुलिस थाना भुसावर, जिला भरतपुर में एक भयानक दुर्घटना हुई है। मंगतसिंह और कुछ और 5 व्यक्तियों ने बादाम नामक हरिजन की हत्या की और दो उसके परिवार के सदस्यों को घायल किया, लेकिन न तो पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की और न बरामदगी की है। उपाध्यक्ष महोदय, घटना इस प्रकार थी कि एक मोतीराम नामक जाटव युवक अपना घास का भारा लेकर आ रहा था। उसने कुए पर घास का

(श्री गंगाराम चौधरी) । भारा रखा तो मंगतसिंह के घड़े के बह जाने वाले पत्र घास का भारा लग गया। इससे वह बड़ा नाराज हुआ और वहीं मारपीट की। बाद में गांव में आकर मोतीराम और उसके पिता, जिसकी हत्या कर दी गई है, को बन्दूक चला कर घायल कर दिया। मंगतसिंह और उसके 5 सदस्यों ने मिल करके मोतीराम के पिता बादाम को मंगतसिंह ने बंदूक चला कर घायल कर दिया और पांच जनों ने लगातार 4-5 घंटे तक बन्दूक चलाई और इससे बादाम और बादाम की पत्नी और उसके पुत्र को घायल कर दिया। थोड़ी देर बाद में कुछ लोग आकर घायल बादाम को ले जाने लगे तो मंगतसिंह ने एक और बन्दूक चलाई और बादाम की मृत्यु हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद वहां पर पुलिस थाना जो 8-10 किलोमीटर दूर है, भुसावर, वहां पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं की गई। पुलिस ने भी मुलजिमों की गिरफ्तारी या हथियारों की बरामदगी या और कोई कार्यवाही नहीं की है। एडीशनल एस. पी. आये, उन्होंने भी मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं की। उन्होंने गवाहों के बयान आदि लिये हैं। जिस पर गांव के लोगों ने और दूसरे लोगों ने उनसे डेपुटेशन के रूप में मुलाकात की है। लेकिन आज तक कोई गिरफ्तारी या कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहां पर आतंक फैला हुआ है। मंगतसिंह के भय से और इस भयानक घटना से एक बवण्डर-सा फैल गया है। पुलिस किसी प्रकार की कार्यवाही करने नहीं जा रही है। मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आप आदेश दें कि गृह मन्त्रीजी इस बारे में अविलम्ब कोई न कोई कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखें।

एक माननीय सदस्य : इसका क्या हुआ ?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव. . . .

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : गृह मन्त्री जी आये हुए हैं माननीय सदस्य ने जो हत्या का मामला रखा है वह बहुत गम्भीर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): जानकारी इस सम्बन्ध में की जा रही है। हाउस एडजार्न होने से पूर्व यदि सूचना आ गई तो वह सदन को उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है। अभी अभी मैं समस्त गांवों में दौरा करके आया हूं। वहां पहले तो बाढ़ के कारण सब कुछ चौपट हो गया। उसके बाद जो कुछ फसलें थीं वह अब तक वर्षा नहीं होने से चौपट हो रही हैं। किसानों ने चाहा कि जो फसलें बची हैं उनको कुओं से सिंचाई कर उन फसलों को बचाने की कोशिश करें। साथ ही नदी की बाढ़ के कारण कुओं में जो पानी आया है, उससे वह अपने खेत की सिंचाई करें। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जहां जहां मैं गया, शिकायत इस बात की आई है कि उनको डीजल नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैतारण में 1000 इंजन हैं। 300 ट्रैक्टर हैं जैतारण तहसील में। अभी 18 सितम्बर को मुख्य मन्त्रीजी हमारे क्षेत्र में गये थे। उस रोज

(श्री शंकरलाल)

काफी लोग बोले थे कि मुख्य मन्त्रीजी आ रहे हैं, डीजल की समस्या हल होगी। पैट्रोल पम्प के पास लोग इकट्ठे थे। काफी लोग मुख्य मंत्रीजी का भाषण सुनने के लिए गये हैं। वहां जाकर उन लोगों ने अपनी समस्या सुनाई। अपना रोना रोया, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस है कि न तो मुख्य मन्त्रीजी ने और न कालवी साहेब ने वहां की उस समस्या को सुनकर हल करने की बात कही। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी इस समय डीजल की किसानों को आवश्यकता है, मेरे जिले पाली में भी उतनी ही आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, पैट्रोल के लिए कहते हैं कि एक सप्ताह के लिए ले जाओ। इंजन वाले 40 दिन के लिए ले जाओ। दूर दूर से लोग आते हैं। उनको 40 दिन के लिए पैट्रोल मिले। उपाध्यक्ष महोदय, आधा तो आने जाने में ही खर्च हो जाता है। एक दिन इंजन चला कर बैठ रहें। उपाध्यक्ष महोदय, कैसे वह इंजन से काम कर सकते हैं? इस प्रकार ट्रैक्टर कैसे काम कर सकते हैं? इस चीज को नहीं देखते हैं। इसके साथ ही इन्होंने तो नहीं बताया, मन्त्री महोदय ने नहीं बताया, लेकिन जिलाधीश ने बताया, आपका कोटा दुगुना कर दिया गया है। हमें क्या पता कि कितना दुगुना कर दिया गया है? जितना कोटा पहले था, वह भी नहीं मिल रहा है। सारी तहसील को दो टैंकर की आवश्यकता है। 300 ट्रैक्टर हैं। 2 टैंकर आये, फिर एक टैंकर आया। उसके आने के बाद 3 दिन तक कोई टैंकर ही नही आया है। सभी अपने अपने ढोल लेकर वहां खड़े रहते है। कोई आदमी जाता है तो वह देख सकता है कि जैतारण पैट्रोल पम्प पर भीड़ लगी रहती है। पास में जाकर देखते हैं तो पता चलता है, सभी डीजल लेने के लिए आये हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक तो मिल नहीं रहा है, दूसरे जो मिल रहा है उसके अन्दर भ्रष्टाचार और काला बाजारी होती है। उपाध्यक्ष महोदय, लोग यह कहते हैं, हमारे साथ में उप-खण्ड अधिकारी भी थे, रात को पैट्रोल पम्प वाले के पास चला जाये तो जो निर्धारित दर है उससे ज्यादा पैसा देने को तैयार हो तो रात को चुपके से मिल सकता है। काला बाजारी से और भ्रष्टाचार से मिल सकता है। एक तो डीजल उपलब्ध नहीं है। जो डीजल उपलब्ध है, उसकी काला बाजारी दिन दहाड़े हो रही है। किसानों के मन आन्दोलित हो उठे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है, आनन्दपुर कालू एक बहुत बड़ा कस्बा है। वहां पर तीन लाइसेंस होल्डर हैं। तीनों को डीजल मिलता आ रहा है। मैंने उनके लाइसेंस को देखा है। उप-खण्ड अधिकारी भी हमारे साथ में थे। उनको नहीं दिया जाता है। यह कौन सी बात कर रखी है। सभी को एक ही पैट्रोल-पम्प पर आना पड़ेगा। चाहे 25 कोस से आयें। मैं निवेदन करूंगा कि आप एक तो डीजल की मिकदार बढ़ायें। आवश्यकतानुसार लोगों को डीजल मिलेगा। दूसरे जो एजेन्सी हैं, आनन्दपुर कालू में तीन लाइसेंस होल्डर हैं, अगर उनको मिल जाता है तो आसपास के ट्रैक्टर वालों के समय की बचत होगी। आने जाने में फालतू डीजल खर्च होता है, वह भी नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस व्यवस्था को विकेन्द्रित करें, जब कि आनन्दपुर कालू में पहले मिलता रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री शंकरलाल)

भ्रष्टाचार नहीं हो, काला बाजारी नहीं हो, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी आई है, उसमें भी किसानों को डीजल उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। आप इस समस्या को लेकर तुरन्त हल कीजिये। इसमें कोई लम्बी बात नहीं है। आप तुरन्त समस्या का हल नहीं करेंगे तो मेरी तहसील में होने वाला जो उत्पादन है, जो फसलों को बचाने का किसानों ने सोच रखा है, उत्पादन को बड़ा भारी धक्का लगेगा। राष्ट्र को धक्का लगेगा। इसकी जिम्मेदार यह सरकार होगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना स्थगन प्रस्ताव अकाल और बाढ़ और जहां भी पानी उपलब्ध है, उनके सोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए रखा है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंह-जी, मैंने जो निवेदन किया था माननीय जयनारायणजी सालोदिया को वह मैं दोहराना नहीं चाहता...

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं अकाल और बाढ़ पर नहीं बोलूंगा, जो दिन उसके लिए निश्चित किया उसी दिन बोलूंगा, पर मैंने एक बात की ओर इंगित किया था कि जहां पर पानी उपलब्ध है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : सीरियसली आप उस मामले को लें तो उसी दिन वह भी आ जायेगा।

श्री नूरा (मसूदा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है। जयपुर नगर परिषद् के 400 अस्थाई कर्मचारी नगर परिषद् आॅफिस पर 5-6 दिनों से भूख हड़ताल कर रहे थे। आज रात को पुलिस आई और उनका टेण्ट उखाड़ कर फेंक दिया और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वे लोग शान्तिपूर्ण तरीके से आन्दोलन कर रहे थे, उस आन्दोलन को उन्होंने कुचल दिया. यह एक हिटलरशाही तरीका है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी मांगें भी कोई बड़ी नहीं थी। मिनिमम वेजेज की और बैंकों से पैसा देने की बात भी इसके अलावा उनको स्थायी करने की भी उनकी एक मांग थी, इसलिए उन्होंने हड़ताल का सहारा लिया और उन लोगों को शान्तिपूर्ण आन्दोलन करते हुए गिरफ्तार किया गया। उनके टेण्ट को तोड़ दिया गया। प्रजातन्त्र में यह हिटलरशाही तरीका नहीं चलना चाहिए। इस तरह से डण्डे बरसाना और शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखने वालों पर जो प्रजातान्त्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे थे उन पर इस तरह से डण्डे बरसाना एक कलंक की बात है। प्रजातान्त्रिक तरीके से आपके सामने मांग रखें और उनका टेण्ट उखाड़ कर फेंक दिया जाय और उन पर डण्डे बरसाये जायं यह बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा इसकी जांच होनी चाहिए। उनकी कोई बड़ी मांग भी नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी उनकी समस्याओं को हल करें। जिनको गिरफ्तार किया है उन को तुरन्त छोड़ा जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनकी मांगें पूरी हो गई हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : मुझे सूचना मिली है कि हरिजनों की मांगें

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पूरी हो गई हैं और स्ट्राइक समाप्त हो गई हैं। उनसे समझौता हो गया और हड़ताल खतम हो गई है ।

श्री नूरा : उन पर मुकदमें नहीं चले उनको छोड़ दिया गया है या नहीं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हरिजनों के वोट लेने हैं या नहीं ?

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि उनकी मांगें पूरी हो गई हैं तो.....

श्री भंवरलाल शर्मा : अब उनका कोई विवाद नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नूरा : मंत्री महोदय यह बतादें कि जिनको गिरफ्तार किया उनको छोड़ दिया या नहीं ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : छोड़ा जा रहा है ।

श्री डूंगरराम पंवार (टी० बी०) : हरिजन-हरिजन कह कर, उनको पटक-पटक कर मार रहे हैं, यह ऊपरी सहानुभूति नहीं मानेंगे, सोच लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया विराजिये। समझौता हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : शर्म की बात है। सफाई कर्मचारियों पर डण्डे बरसाये जायें, यह कतई हम बर्दास्त नहीं करेंगे। उनका उत्थान करने की बात करते हैं...

(व्यवधान)

इनको माफी मांगनी चाहिये । सबके सामने सरकार घुटने टेकती है, उनकी मांगें मानती है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि इस सरकार के समय में जितने जुल्म हुए हैं...

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री जयनारायण सालोदिया : आप बात भी सुनना नहीं चाहते, आप मठाधीश बनना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद है कि जो जुल्म ये कर रहे हैं.

(व्यवधान)

आप दबा नहीं सकते ।

श्री डूंगरराम पंवार : आपको शर्म आनी चाहिए ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह भोंपू कब तक बजेगा ।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : हरिजनों की जितनी हिमायत हम लोग करते हैं उतनी आपने कभी नहीं की ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
कि मांग मंजूर कर ली गई है। वह कृपया यह वताने का कष्ट करें कि उनको पीटा गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया उसका क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका स्थगन प्रस्ताव नहीं है, माननीय नूराजी ने जो चर्चा की, मंत्रीजी ने उसका उत्तर दे दिया। अब आप क्यों चर्चा उठा रहे हैं ?

(व्यवधान).

श्री दुलाराम : हमारी जरूरत नहीं है कि विधान सभा में वैठें, अगर मुख्य मंत्री जवाव नहीं देते हैं तो हमें दुःख है। इनको शर्म आनी चाहिए।

(व्यवधान).

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : उपाध्यक्षजी, ये जगजीवनरामजी की माला फेर रहे हैं. . . .

श्री डूंगरराम पंवार : नहीं तो हम हाउस नहीं चलने देंगे।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : हो हो करके क्या करोगे ?

श्री डूंगरराम पंवार : पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुख्य मंत्रीजी से सवाल का जवाव पूछना चाहता हूं। क्या यह आवश्यक नहीं था कि उनको गिरफ्तार करने से पहले, उनका टेन्ट हटाने से पहले, राज्य सरकार ने क्यों नहीं उनसे वातचीत की ? वे कव से वहां पर वैठे थे ? सफाई कर्मचारी कव से वहां पर बैठे थे ? उनसे पहले क्यों नहीं वातचीत हुई थी ? यह समझौता उनकी गिरफ्तारी के वाद में, डंडा वरसाने के वाद में, उनका लाउड स्पीकर तोड़ने के वाद में किया। उनको जेल में डालने से पहले क्यों नहीं उनसे वात की ?

श्री ईश्वरचन्द (पिड़ावा) : कोई डंडा नहीं वरसाया गया।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्यों नहीं पहले वातचीत की ?

श्री डूंगरराम पंवार : आप मंत्रीजी की ओर से जवाव देंगे ?

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : जिस संदर्भ में यह चर्चा की जा रही है, सफाई कर्मचारियों ने जो 18 तारीख से नगर परिषद् के सामने धरना दिया, भूख हड़ताल कर रखी थी, उनकी कुछ वाजिब मांगें थीं जिन मांगों के लिए हम लोग विरोध में रहकर लड़ते आए हैं उन्होंने हमारी सरकार से मांग की है, उनका आंदोलन 18 तारीख से शांतिपूर्वक गांधीजी के हथियार के द्वारा चल रहा था लेकिन अफसोस है कि कल रात हमारे सभी कर्मचारियों को दो बजे. .

श्री श्योपतसिंह मकासर : तीन वजे रात को . .

श्री गोपाल पचेरवाल : रात को गिरफ्तार कर लिया गया और उनका जितना सामान था जब्त कर लिया गया।

कई माननीय सदस्य : शेम ! शेम !

(श्री गोपाल पचेरवाल)

माननीय सदस्य, जो विपक्ष में बैठे हैं, शेम शेम करने से उनको कोई वोट नहीं मिलने वाला है ।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : एक हरिजन सदस्य की आवाज को दबाया जा रहा है ।

श्री गोपाल पचेरवाल: जब सफाई कर्मचारियों से समझौता हो गया था और स्वायत्त शासन मंत्री सदन में कह रहे हैं कि समझौता हो गया और 20 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है तो मैं जानकारी करूंगा कि सफाई कर्मचारियों के नेता श्री नारायण वाल्मीकी ने घोषणा की कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जायेंगी तब तक वे भूख हड़ताल पर रहेंगे । तो गृह मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री, इस तरह का समझौता हुआ तो उनको रिहा किया गया या नहीं किया गया ? बाकी विरोधी दल के सदस्य जो कह रहे हैं कि उन पर डंडे बरसाए गए, यह असत्य है । जो गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाए ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तो लड्डू खिलाने के लिए उनको ले गए ? मैं उनसे मिल कर आ रहा हूं । रात को तीन बजे उनको गिरफ्तार किया गया, आपको मालूम ही नहीं ।

(व्यवधान)

श्री नूरा : उनके टेंट उठा कर ले गए, उनका सामान उठा कर ले गए । क्या यह सही है कि जेलों में भी कन्वेंसिंग हो रहा है कि तुम वोट का वायदा करो तभी जेल से छोड़े जाओगे ?

श्री दुलाराम : हम आपकी बात को मान लें, क्या जेल में फूल चढ़ाए ?

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : अभी जो मुझे सूचना मिली है कि 107 व 151 में 20 आदमियों को गिरफ्तार किया गया, समझौता होते ही उनको छोड़ दिया गया है ।

श्री दुलाराम : जोर से बोलिए ।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर): आपका माइक कम है ।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्षजी, 107 व 151 में 20 आदमियों को पकड़ा गया था और उनकी मांगों के संबंध में बातचीत चल रही थी । अभी सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि उनके साथ अत्याचार किया, मारपीट की, मैं उनकी जांच कराऊंगा । अगर पुलिस कहीं भी अपने क्षेत्र से बाहर गई है और उन पर जुल्म हुआ है तो निश्चित तौर से कार्यवाही की जाएगी ।

श्री दुलाराम : उन पर 107 व 110 के मुकदमे चलाए गए हैं ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : गृह मंत्री जी जो लोग लाठियां और डंडे लेकर शाखायें चलाते हैं, उनसे शांति को कोई खतरा नहीं, लेकिन गरीब हरिजनों से आपको खतरा हो गया कि उनको 107 व 151 में गिरफ्तार किया ? Is it not a shame for you ?

श्री मदनसिंह दांता : 107 में जनता पार्टी के नेताओं को उस समय जेल में क्यों नहीं बंद किया ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : विधान सभा का सत्र चल रहा है और गृह मंत्री को यह पता नहीं कि पुलिस ने उन हरिजनों को पीटा या नहीं। उनके डंडे जब्त किए या नहीं, यह शर्मनाक बात है।

श्री सम्पत राम : क्योंकि माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित कर रहे हैं तो मेरा फर्ज है कि जांच करूं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तो फिर आपने उन लोगों को 107 और 110 में क्यों पकड़ा है ?

(व्यवधान)

श्री नूरा : अगर आप यह कह रहे हैं कि उनको छोड़ दिया गया है तो फिर आपको उनके खिलाफ में मुकदमे नहीं चला कर उन मुकदमों को वापस लेना चाहिये।

श्री दुलाराम : पहले तो आपने उन गरीब हरिजनों को मारा पीटा और अब आप यह कह रहे हैं कि आप दोषी लोगों के खिलाफ में कार्यवाही करेंगे, जांच करवायेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपने कहा कि आपने उनको छोड़ दिया है तो क्या आपने उनको जमानत पर छोड़ा है या मुकदमे उठा कर उनको छोड़ा गया है ?

श्री नूरा : आप तो हमें इस बात के लिये स्पष्ट जानकारी दें कि आपने उनको मुकदमा उठा कर छोड़ा है या जमानत पर छोड़ा है ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। मैं मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप हरिजनों पर अत्याचार करके बाबूजी की कब्र क्यों खोद रहे हैं ? यहां पर गृह मंत्रीजी यह कह रहे हैं कि हरिजनों पर राजस्थान में अत्याचार नहीं हो रहा और मुख्य मंत्रीजी भी यह कह रहे हैं कि राजस्थान में हरिजनों पर अत्याचार नहीं हो रहा है। तो आप हरिजनों पर अत्याचार करके बाबूजी की कब्र क्यों खोद रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : रामकृष्णजी, आप विराजिये। मैं जानता हूं कि आप अच्छे वक्ता हैं। और तो आप चाहे जो बोलें पर आप कृपया बाबूजी के बारे में यह भाषा प्रयोग नहीं करें कि बाबूजी की कब्र नहीं खोदें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा तो कहना यह है कि उनको क्यों पीटा गया ? आज आपने उनको छोड़ दिया यह कह रहे हो पर उन पर 107 के मुकदमे क्यों चल रहे हैं ?

श्री नूरा : आपको उन पर से मुकदमा हटाकर उनको छोड़ना चाहिये था।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : गृह मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आज स्थिति यह है कि मुसलमान तो आपसे अलग हो गये हैं और हरिजनों की हत्याएं हो रही हैं। उन पर जुल्म होते रहे तो वह भी आपसे अलग हो जायेंगे। अभी बाड़मेर में एक हरिजन की हत्या हो गयी पर आपकी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। आज आपने कहने को तो राजस्थान सेक्रेटेरियट में एक सैल की स्थापना कर रखी है जो कि सिर्फ हरिजनों के ऊपर कहां कहां अत्याचार हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट आपको दे। पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपका जो

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

स्पेशल सैल है उसने, गृह मंत्रीजी, आपको उस हरिजन की हत्या के बारे में कोई सूचना नहीं दी। इसका मतलब यह है कि आपका सैल कुछ काम नहीं कर रहा है और न आपको इस बारे में चिन्ता ही है। आप तो अपने रंग में मस्त हैं। हरिजनों पर कहीं अत्याचार हो रहा है इससे आपको क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, अब आप बिराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान के गृह मंत्रीजी यह कहते हैं कि मैं जानकारी करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा तो फिर यह क्या जानकारी रखते हैं। रात को तीन बजे लोगों पर लाठी चार्ज किया गया और मंत्रीजी को कोई सूचना तक नहीं है। इसका मतलब यह है कि गृह मंत्रीजी पावरलैस हैं and such minister should not remain in the cabinet. यह आप क्यों नहीं मान लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो यह मान कर चलते हैं कि हरिजनों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, बस इन्हें तो यही दिखायी दे रहा है जैसे महाभारत में अर्जुन को सिर्फ श्री कृष्ण भगवान का चक्र ही दिखायी दे रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, गुप्ताजी। श्री गुल मोहम्मद।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जो कि गुलाबी नगरी के नाम से सारे विश्व के अन्दर विख्यात है उसी गुलाबी नगरी के अन्दर शहर में कच्ची बस्तियों और झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उन कच्ची बस्तियों में ज्यादातर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग और मजदूर वर्ग के लोग ही रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस जयपुर शहर की कच्ची बस्ती के लोगों को बसाने के लिये कोई योजना नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, उन कच्ची बस्ती के लोगों की आवासीय व्यवस्था के लिये न तो पिछली कांग्रेस सरकार ने ही कोई योजना बनायी और न ही इन गरीब लोगों के लिये इस सरकार ने कोई योजना बनायी है। आज तक किसी सरकार ने उन लोगों को निवास के लिये कोई मकान बना कर नहीं दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन कच्ची बस्तियों के लोगों को बसाने के लिये कई बार, चाहे वे वह पहले की सरकार हो चाहे वह आज की जनता सरकार हो, घोषणायें की हैं पर आज तक उनकी समस्याओं का कोई स्थायी हल नहीं निकला है।

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1971 में कांग्रेस सरकार के भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी श्री बरकतुल्ला खां ने यह घोषणा की थी कि जो लोग इन कच्ची बस्तियों में सन् 1971 से काबिज हैं उनको उसका आधार मान कर उन्हीं स्थानों पर बसा दिया जायेगा या उन्हें जमीन अलाट कर दी जायेगी। पर आज तक भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के बाद भी उन लोगों को उक्त जमीनों का अलाटमेंट नहीं हुआ है। आज सन् 1971 को आठ साल हो गये हैं पर कोई आवन्टन उनको जमीनों का नहीं हुआ है। मेरा यह निवेदन है कि उन गरीबों के हितों की रक्षा की जाय। उन लोगों को रहने को मकान दिये जायं। मुझे यह कहते हुए खेद है, उपाध्यक्ष महोदय, इतनी

(श्री गुल मोहम्मद)
राजकीय घोषणा होने के बाद भी उन लोगों को रहने के मकान तो नहीं दिये गये लेकिन समय-समय पर जब जब भी मौका मिला है राज्य सरकार की तरफ से कच्ची वस्तियों को तहस नहस किया गया है। उनके मकानों को तोड़ा गया है चाहे वह इमर्जेन्सी का जमाना हो चाहे वह आज की जनता सरकार का समय हो। आज उन गरीब लोगों की कोई बात नहीं सुन रहा है। मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, राज्य सरकार से यह निवेदन है कि जैसा कि भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने सन् 1971 में घोषणा की थी कि उन लोगों को, जो 71 में जहां बसे हुए थे वहीं बसा दिया जायेगा, उसके लिये आदेश जारी कर और निर्णय लेकर उन लोगों को वहां मकान बना कर रहने दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मुद्दा है और जयपुर की गुलाबी नगरी पर एक तरह से बड़ा भारी कलंक है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमारे देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई जयपुर आये थे और राम-निवास बाग में सभा हुई थी उस वक्त उस सभा में इन कच्ची बस्ती के लोगों के लिये हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने उनके सामने घोषणा की थी, वायदा किया था कि इन कच्ची बस्ती के लोगों की समस्या जब आप अबकी बार जयपुर पधारेंगे तो आपको नजर नहीं आयेगी।

एक माननीय सदस्य : वह तो दुबारा आये ही नहीं।

श्री मदनसिंह दांता : दुबारा वह आये थे जब राजस्थान में, जयपुर में, भूतपूर्व महाराजा श्री भवानीसिंह ने हाथी के पोलो का गेम किया था। उस वक्त वह हाथी का पोलो देखने आये थे।

श्री गुल मोहम्मद : दुवारा जब वह आये तब भी प्रधान मंत्री थे और जयपुर में कच्ची बस्ती की समस्या का उन्हें ध्यान नहीं रहा हो क्योंकि उस समय पोलो ग्राउन्ड में कम्पीटीशन कराये गये वह देखा। उपाध्यक्ष महोदय, आज भी कच्ची बस्ती की समस्याएं मुंह फाड़े खड़ी हैं। सन् 71 से लोग उन जमीनों पर कब्जा किये हुए हैं उनको उन जमीनों का आवन्टन अभी तक नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मान लीजिए एक कच्ची बस्ती में करीब 200 लोगों के कच्चे घर बने हुए हैं और 71 के सर्वे के अनुसार 85 लोगों को भू आवंटन हुआ, 200 झोंपड़ियों में से अभी तक 115 मकानों की जमीन के लिए लोगों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। आज स्थिति ऐसी है कि जो 115 लोगों के मकान बचे हुए हैं जिनको कि आवंटन नहीं हुआ वहां पर उन्हीं कच्चे मकानों के साथ-साथ उन्हीं लोगों के रिश्तेदार आकर और बस जाते हैं फिर इस तरह वह लोग वापस आज 200-250 हो जाते हैं जिन्होंने वहां मकान कच्चे बना लिये हैं। अगर यही स्थिति रही तो जैसे पहली सरकार ने कुछ नहीं किया और चली गयी उसी तरह यह सरकार भी चली जायेगी और इन कच्ची वस्तियों के लोगों का कोई समाधान नहीं हो सकेगा।

इसलिये मेरा निवेदन है कि सन् 71 के बाद आज तक जो व्यक्ति जहां बैठा है उसको वहीं ही जमीन का आवंटन किया जावे यह एक आदेश

(श्री गुल मोहम्मद)

जारी करके उन्हें उन जमीनों को आवंटित कर दिया जाय। मैं इसके लिये मुख्य मंत्रीजी से यह अनुरोध आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, करना चाहूंगा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करके जल्दी से जल्दी निर्णय राज्य सरकार से करवा कर वह जमीन अलॉट उन लोगों को करने की कृपा करें।

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्तियों के लोगों के बारे में बोलने के लिये मुझे भी एक मिनट दिया जाय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको एक मिनट बोलने का क्यों दिया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : श्रीमान्, मैंने आपके समक्ष संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दिया है जिसमें मजदूर संगठनों को अपने अधिकार के लिये मांग रखने का अधिकार दे रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जब मैं विधायकपुरी क्षेत्र से रवाना होकर आ रहा था तो देखा कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उधर उद्योग भवन पर हड़ताल है, जहां देखो वहां पर हड़ताल का दौर है। इसी प्रकार राजस्थान वित्त निगम के अन्दर भी कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। वहां पर कर्मचारियों को उनके कार्यालय में घुसने नहीं दिया जा रहा था। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भी रखा है कि राजस्थान वित्त निगम के 33 कर्मचारियों को दिनांक 20-9-78 को नौकरी पर रखा गया और उनमें से 1-4-79 को दस व्यक्तियों को बिना नोटिस दिये नौकरी से अलग कर दिया गया, उन पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया और उन लोगों को निकाल कर आपने 10-9-79 को दस दूसरे लोगों को ऑब्लाइज करने के लिये रख लिया। मेरा निवेदन यह है कि उन दस व्यक्तियों को आपने बिना नोटिस दिये नौकरी से अलग क्यों किया? निकालने के बाद आपने कुछ कर्मचारियों को उसी रोज रख लिया और चार को परमानेन्ट कर दिया। तो राजस्थान वित्त निगम जो कि एक बोर्ड है जिसने इनको रखा और जहां आज 150 जगह खाली हैं। उन कर्मचारियों का संगठन है और उन्होंने अपनी आवाज रखी और मांगें रखीं, लेबर डिपार्टमेंट में गये और उन्होंने उनकी मांगों को जस्टीफाइड, माना और जस्टीफाई करने के बाद भी क्या आप यह चाहते हैं कि उद्योग भवन में उद्योग लगाने वाले नहीं जा सकें? वहां उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है और कर्मचारियों का दमन किया जा रहा है यह लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा निर्णय लिया है, आप और विचार करें। आपने उनसे बाण्ड लिखाया था और बाण्ड यह लिखवाया था कि अगर कोई कर्मचारी जायेगा तो उससे 300 रुपये ले लिये जायेंगे लेकिन जब आपने एक साल के बाद जो बी.ए. और एम.ए. हैं और जिनकी सेवाओं में ब्रेक नहीं है उनकी जगह कुछ दूसरों को रख लिया, इससे जो आक्रोश है, असन्तोष है मैं चाहता हूं कि आप उसको देखें। 150 की जगह खाली होते हुए भी कर्मचारियों को सड़कों पर रख दिया है और बी.ए.,एम.ए. फर्स्ट क्लास हैं आपने उनको नौकरी में लिया था और उस समय आपने बाण्ड भी लिखाया था और

(श्री मूलचन्द डागा)
अब एक साल के बाद आपने कदम उठाया है वह अलोकतांत्रिक है और कानून के विपरीत है।

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन का सर्विस ब्रेक रख कर माननीय सदस्य ने कहा है कि उनको हटाया है और रखा है। तो माननीय उद्योग मंत्रीजी बतायें कि जो फर्स्ट डिविजनर्स हैं और गोल्ड मेडलिस्ट्स हैं उनको रिट्रेन्च कर दिया गया और दो दिन के बाद रखा गया उसका क्या कारण है? यह जितने नौजवान लोग हैं इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और पांच छः आर.ए.एस. आफिसर्स को घुसा कर उसकी स्वायत्तता मिटाई जा रही है। उसके लिए सरकार चिन्तित है या नहीं?

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री **सचिव** (राजस्थान विधान सभा): महोदय, मैं, गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है:—

राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1979।

(2) राजस्थान यात्री और माल कराधान (संशोधन) विधेयक, 1979।

राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक:

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978।

(2) राजस्थान वित्त विधेयक, 1979

(3) राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1979।

(4) राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1979।

(5) राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1979।

अधिनियमों के परिशोधित हिन्दी पाठ:

श्री बिरदमल सिंघवी (रसद व आपूर्ति मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजभाषा (अनुपूरक उपबंध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नांकित अधिनियमों के परिशोधित हिन्दी पाठ सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973।

(2) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1973।

(3) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1974।

(4) राजस्थान सार्वजनिक उद्यान अधिनियम, 1956।

(5) राजस्थान बन्दी शनाख्त अधिनियम, 1956 (शुद्धि-पत्र सहित)

अध्यादेश

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 2, सन् 1979) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 3, सन् 1979) को सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भैरवलाल कालाबादल (आयुर्वेद मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (संशोधन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 4, सन् 1979)।

(2) राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 5, सन् 1979)।

व्यवस्था का प्रश्न

अधिसूचनायें सदन के पटल पर रखी जाने में विलम्ब

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतराम।

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट ऑफ आर्डर सर, मैंने पहले भी कहा था और दो बार प्रश्न उठा चुका हूं कि जो अधिसूचनायें सदन में रख रहे हैं वह रूल 169 (2) में रख रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो अधिसूचनायें रख रहे हैं वह फरवरी, 73 और मई 75 की हैं और एक दिसम्बर, 76 की है। इसके बाद तीन अधिवेशन हो चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीन नहीं, बीस हो चुके हैं। 1977 के जून तक का जवाब तो परसरामजी और जोशीजी से लें और बाद का हम दे देंगे।

श्री मूलचन्द डागा : यह सवाल नहीं है। आप अपना उत्तर दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) : जोशीजी से या परसरामजी से तो थोड़े महीनों बाद लेंगे अभी तो आप दे दो।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, मुख्य मंत्रीजी तत्कालीन सरकार के प्रतिनिधि हैं और उनसे उत्तर चाहते हैं। इस सदन में तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि 1976 के अन्दर चीफ सेक्रेटरी ने इस प्रकार का एक सर्क्युलर इश्यू किया था कि कोई भी विभाग किसी भी नोटिफिकेशन को अगर टेबल पर नहीं रखे तो उसके खिलाफ डिसिप्लीनरी एक्शन लिया जायेगा। अगर उस सरकार के आफिसर्स ने ड्यूटी का अन्जाम नहीं दिया है तो क्या मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप उनको पनिश करेंगे इस प्रकार के रिलेक्स के ऊपर ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री परसरामजी....

(व्यवधान)

अब मंत्री नहीं हैं। माननीय सदस्य परसरामजी ने जिन सरकारी आदेशों का रेफरेन्स दिया है वह सरकारी आदेश मैं देखूंगा क्योंकि इस प्रकार के प्रसंग, जब मैं स्वयं विरोधी दल में था तो हमने भी कई बार रेज किये हैं और उस समय गवर्नमेंट ने आश्वासन भी दिये हैं और सर्क्युलर भी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निकाले हैं, लेकिन फिर भी तलाश करने पर ऐसी चीज निकल आती हैं जिनको हाउस में पेश करना पड़ेगा। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि पिछले वर्षों में इस प्रकार के कई सर्क्युलर्स प्रस्तुत किये जाते थे और अब इस प्रकार की बाते आपको बहुत कम मिलेगी। 1973, 74 और 76 के सर्क्युलर हैं। जब हमने दुबारा पूछा है कि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई सर्क्युलर पड़ा न रह जाये। तो जब तलाश करते हैं तो एक एक निकलते हैं। आगे भी निकल सकते हैं लेकिन कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि जितने सर्क्युलर्स टाइम पर हाउस में पेश किये जा सकें वह किये जायं और आपने कही एक्शन लेने की बात वह मैं देख लूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : बार वार यह अवहेलना करते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय अध्यादेश पेश करते समय कारण भी बतायें।

श्री मूलचन्द डागा: कारण देना चाहिये था। He must give in writing.

(व्यवधान)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह (ग्रुप-6) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या 12 (17) गृह /ग्रुप-6 / 72, दिनांक 9 फरवरी, 1979।

(2) अधिसूचना संख्या एफ 12(12) गृह/ 14/ 73, दिनांक 6 मई, 1975।

(3) अधिसूचना संख्या प. 20 (30) गृह/5/ 70, दिनांक 6 दिसम्बर, 1976।

(4) अधिसूचना संख्या एफ 12 (1) गृह/ 14/75-पार्ट 2, दिनांक 14 दिसम्बर, 1978।

व्यवस्था का प्रश्न

अधिसूचनाएं सदन पटल पर रखे जाने में विलम्ब

श्री मूलचन्द डागा : अभी निर्णय नहीं हुआ।

श्री लक्ष्मणसिंह (चित्तौड़गढ): उपाध्यक्ष महोदय, आप ताड़ना दीजिये ट्रेजरी बैन्चेज को।

श्री मदनसिंह दांता : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पहले प्रस्तुत क्यों नहीं की जा सकी, मंत्री महोदय, आप कारण बता दीजिये ?

श्री मदनसिंह दांता : ऑन ए पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, पुराने मंत्री यहां आ जाने चाहियें। आपने अभी मंत्री कहा। यह सदन की किताब में आ चुका है आज की तारीख में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय कारण बता दीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार अगर कारण नहीं बताती तो यह सरकार नहीं भटियारे

(श्री लक्ष्मणसिंह)
की दुकान है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मुझे इस बात की खुशी है कि जो कारण पूछे गये हैं वे कारण इस सदन में आज तक किसी भी सरकार ने कभी भी नहीं बताये। जिस समय सरकार के नोटिस में आते हैं, इस प्रकार के नोटिफिकेशन्स, वे नोटिस में आते ही सरकार रख दे। अब रहा सवाल भटियारे की दुकान की बात का, जिसकी जैसी बुद्धि होगी वह उस तरह की बात करेगा।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : मुख्य मंत्री-जी जिस भाषा में बात कर रहे हैं..

(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : यह शब्द कार्यवाही से निकाले जायें...

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : यह सदन के नेता के लिये शोभनीय नहीं है।

एक माननीय सदस्य : माननीय नेता महोदय ने विरोधी दल के नेता के लिये जो शब्द कहे हैं, कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

श्री बजरंगलाल शर्मा (वनीपार्क, जयपुर) : जिस समय सरकार के नोटिस में आते हैं उस समय सदन की मेज पर रख दिये जाते हैं। प्रश्न यह है कि सर्क्युलर्स सरकार की ओर से निकले हुए हैं या भटियारे की दुकान से आये हुए हैं जो सरकार के नोटिस में नहीं आते। निश्चित रूप से सरकार के नोटिस में हैं। मुख्य मंत्री का यह कहना-जब सरकार के नोटिस में आ जाते हैं, सरकार के सर्क्युलर्स नहीं हैं, भटियारे की दुकान से आये हैं...

(व्यवधान)

श्री हरिशकुमार (रामगंज मंडी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता के साथ धोखा करके वे सब आये हैं। भानुमति का कुनबा नहीं तो क्या है?

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : सरकार के सर्क्युलर सरकार की निगाह में कब आ जाते हैं? भटियारे की दुकान से निकले हुए हैं? निश्चित रूप से आप सरकार को ताड़ना दीजिये जिसके अपने सर्क्युलर्स उसके नोटिस में नहीं है उनको स्वयं की बुद्धि पर तरस आना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं विधि वेत्ता हैं, किन्हीं भी नियमों के अन्तर्गत जो डेलिगेटेड पावर्स हैं वह गवर्नमेंट को दी जाती हैं। उन डेलिगेटेड पावर्स के अन्तर्गत रूल्स या अधिसूचनायें निकलती हैं। प्रिन्सीपल अधिनियम में इस बात का उल्लेख है कि सदन के सत्र के अन्दर पहले दिन ही यह सदन की मेज पर रखी जायेगी ताकि इस सदन के माननीय सदस्यों को अधिकार है कि उन रूल्स के संबंध में कोई संशोधन पेश करना चाहें तो 14 दिन के अन्दर पेश कर सकें। जब कभी पूर्व में किसी विभाग के अधिकारी सरकार के नोटिस में नहीं लायें और वह अधिसूचना कानून के अन्तर्गत इस सदन में रखी जानी चाहिये थी, वह नहीं रखी गई, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक मुख्य मंत्रीजी

(46)

(श्री परसराम मदेरणा)
से निवेदन करूंगा कि हमें सूचित किया जाये, इस सदन को सूचित किया जाये, रिग्रेट जाहिर की जाये। न रिग्रेट जाहिर करते हैं, न उपाध्यक्ष महोदय प्रताड़ना दे रहे हैं। पिछले सत्र में यह सवाल आया था, इतनी डिले क्यों हुई है और सरकार ध्यान रखेगी कि कोई सूचना पुरानी नहीं रहे। यह सतर्कता क्यों नहीं वरती, गृह मंत्रीजी, और नहीं वरतने की जो दलील दी गई है, मैं समझता हूं सूचना के संबंध में, यह किसी का भी जिम्मेदारी का डिग्नीफाईड कन्डक्ट नहीं है।

श्री ईश्वरचन्द्र : 169 (2) पढ़ लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : न इन्होंने सदन में रिग्रेट जाहिर की है। जिन लोगों की जिम्मेदारी है ..

श्री ईश्वरचन्द्र : प्रवोकेशन आपकी तरफ से आया है।

श्री मूलचन्द डागा: मैं विशेषाधिकार का प्रश्न मूव करता हूं, it is an urgent notice, which I am submitting.

सदन के नेता ने विरोधी दल के नेता के खिलाफ इस प्रकार के शब्द कहे, उनके बारे में इस प्रकार के घटिया शब्द कहे यह सारे सदन का अपमान है। 158 के अन्तर्गत यह विशेषाधिकार का प्रश्न दे रहा हूं। सदन इस पर निर्णय ले कि क्या इस प्रकार के शब्द कहना सदन का अपमान नहीं है? उनका कहना था कि यह सरकार है सरकार के रूल्स और नियम होते हैं उसके अनुसार चलना चाहिये। मुख्य मंत्रीजी, सदन के नेता ने खड़े होकर अपनी बुद्धि के अनुसार यह कह दिया। मुझे तरस आता है उनकी बुद्धि पर...

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन: माननीय डागाजी, यह शब्द नहीं कहे गये थे, आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिये।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं बात का बतंगड तो नहीं करना चाहता हूं लेकिन कम से कम माननीय गृह मंत्रीजी को इतनी सभ्यता तो होनी चाहिये कि उठ कर खड़े होकर इस बात के लिये गवारा करे कि आइन्दा ऐसी गलती नहीं होगी। खेद प्रकट न करे, न सही, लेकिन यह तो कहें कि आइन्दा इस प्रकार की गलती नहीं होने दी जायेगी और ऐतिहात बरती जायेगी। अगर यह भी नहीं होता है तो मैं समझता हूं सरकार को घमण्ड है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : इस तरह विरोधी पक्ष के नेता के ये शब्द कहना और फिर भी आप इसे मामूली समझते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : I will quote Constitutionl Law. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. मंत्री महोदय का सदन की कार्यवाही बन्द करना, विधान सभा की परवाह नहीं करना और फिर ऐतिहात भी नहीं बरतना is it not to add insult to injury?

(व्यवधान)

(श्री लक्ष्मणसिंह) :
इस तरह की दुकान की बात कह कर क्या आप हमारा मजाक करते हैं, हम मजाक करने के योग्य हैं ?

श्री भंवरलाल एरन (नसीराबाद) : हमारे विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने जो कहा है . . .

(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह : इस तरह तो हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। वे शब्द वापिस लिये जायं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं ये कागज सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं विरोधी दल के नेता ने इनकी इज्जत बता दी भटियारा और भड़भूजा की दुकान कहकर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): वह ठीक है लेकिन आप भी इस भड़भूजे की दुकान में आना चाहते थे लेकिन जनता ने आपको जगह नहीं दी। आप तो उस भाड़ में घुसना चाहते हैं लेकिन घुसने नहीं देते हैं लोग ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष जी, मैं भी 15-20 साल से इस हाउस का मेम्बर हूं और सरकार के लिये कई बार कहा भी है लेकिन व्यक्तिगत रूप से आज तक इस तरह की बात नहीं हुई। चीफ मिनिस्टर का आफिस एक ऐसा आफिस होता है जिसको हाउस के सब विरोधियों की बातों को बर्दाश्त करना चाहिये और अब तक किया है। आज माननीय भैरोंसिंहजी ने बतौर चीफ मिनिस्टर के आफिस से जो बातें कहीं हैं मेरे ख्याल से आज मैंने 20 साल की हिस्ट्री में पहली बार इस प्रकार के शब्द सुने हैं ।

(व्यवधान)

श्री जयनारायण सालोदिया : आप किसी की इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत कौन करेगा ?

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता सरकार के लिये ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो हमको भी उसके लिये घोर आपत्ति है ।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : मैं समझता हूं हमारे विरोधी दल के नेता भी क्या इनकी बात पर नाराज हो गये . . .

(व्यवधान)

माननीय रघुनाथ विश्नोईजी आप तो सुनें ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने तो एक गैर की दुकान की बात कही है लेकिन सदन की परम्परा, स्वस्थ लोकतन्त्र और जनतांत्रिक प्रणाली का यहां पर सवाल आता है . . . .

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : मेरी बात तो सुनें आप ।

श्री **ईश्वरचन्द्र** : आप माननीय उपाध्यक्षजी से कहिये ।

(व्यवधान)

श्री **मदनसिंह दांता** : इनके नेता ने तो राष्ट्र के लिये क्या क्या शब्द कहे हैं । यहां तो केवल भड़भूंजे की दुकान ही कहा है ।

(व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, कृपया बिराजे । अनावश्यक चर्चा की जा रही है, मैं कुछ कहना चाहूंगा, कोई भी माननीय मंत्री महोदय अधिसूचनाएं प्रस्तुत करते हैं तो सदन को यह अधिकार है पूछने का कि वे इससे पहले क्यों नहीं प्रस्तुत की गई । मेरा निवेदन है कोई भी अधिसूचना प्रस्तुत करने से पहले माननीय मंत्रीजी अपने विभाग से सन्तुष्ट हो जायं और मालूम करलें कि ये अधिसूचनाएं क्यों नहीं समय पर प्रस्तुत की गई तो उसके बाद ही सदन में रखें और यदि सदन की मांग है तो माननीय मंत्री महोदय को सामान्यतया उसके देरी के कारण बताने चाहियें । लैप्सेज कहीं भी हो सकते हैं लेकिन सदन इनके कारण जानना चाहता है तो माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिये । इसलिये कोई स्पेसिफिक रीजन्स हैं तो वे सदन को बताने चाहियें । माननीय विरोधी दल के नेता के बारे में माननीय सदन के नेता महोदय ने जो कुछ कहा है मैं नहीं समझता हूं कि उनकी भावनाओं को कोई ठेस लगी होगी ।

(व्यवधान)

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : इससे ज्यादा बात तो कभी हुई ही नहीं ।

(व्यवधान)

श्री **वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : माननीय मुख्य मंत्रीजी को स्पष्टीकरण देना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : माननीय मुख्य मंत्री को सुननी पड़ेगी । पहले भी ऐसा हुआ है, देख लीजिये प्रोसीडिंग्स में ।

श्री **मदनसिंह दांता** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के नेता को पता नहीं, राजा और हाथी के पीछे कुत्ते भोंकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री **गुरुशरण छाबड़ा** (सूरतगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि सदन में विरोधी दल के नेता का सम्मान होना चाहिये लेकिन यह भी सही है कि सदन के विरोधी दल के नेता को सदन के नेता की भी बात सुननी चाहिये । यदि नहीं सुनते हैं तो फिर वह चाहे विरोधी दल के नेता हों या और कोई भी हों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप सम्मान चाहते हैं तो . . .

(व्यवधान)

श्री **गुल मोहम्मद** : इस बात को माननीय मुख्य मंत्री महोदय को वापिस लेना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री **कौशलकिशोर जैन** : उलटा चोर कोतवाल को डांटे . . .

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी आवाज को क्यों नहीं सुनना चाहते है ? . . .

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर कुछ इस प्रकार की. . . .

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय महोदय, इन मूर्तियों ने तो जनता पार्टी को...

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं. . . . .

(व्यवधान)

आप सुन लीजिये . . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया विराजें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये । सदस्य श्योपतसिहजी, आप भी बिराजिये, ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह त्रिमूर्ति जो बैठी है, इनसे खतरा पैदा हो रहा है । इसको शान्त करिये । ये पहले ही जनता पार्टी को ले बैठे और आगे भी ले बैठेंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बिराजिये माननीय गुल मोहम्मद जी, बिराजिये । माननीय श्री श्योपतसिहजी, आप भी बिराजिये ।

माननीय मुख्य मंत्री सदन के नेता भी हैं और हमारे माननीय विरोधी दल के नेता भी मेरे ख्याल से काफी बुजुर्ग हैं, संजीदा हैं । अनावश्यक आप इस चर्चा को तूल देकर उनके बीच में जो मधुर सम्बन्ध हैं, स्वाभाविक भी हैं, उनके अन्दर अनावश्यक बाधा पहुंचाना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल 160 के अन्दर मेरा मोशन है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न लिया जावे । इस रूल के तहत इस प्रश्न का निपटारा अभी हो जाय . . . .

(व्यवधान)

श्री लालचन्द (भादरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीस साल के बाद भी इस तरह की बात करते हैं . . . . .

(व्यवधान)

इस तरह की अधिसूचनाओं के बारे में भी इस तरह की बात करते हैं । ये कभी सच नहीं बोलते . . . .

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ये ही राजा हरिश्चन्द्र उठ कर आए हैं । इन्होंने जनता को धोखा दे करके जनता के साथ गद्दारी की है । मैं कहता हूं कि ये क्या बात करते हैं । आप एक बुजुर्ग आदमी के खिलाफ ऐसा वातावरण बना रहे हैं । यहां पर जनता को धोखा देकर बैठे हो ।

(श्री रतनलाल वर्मा)
इन सत्यवादियों को जरा भी शर्म नहीं है. .

(व्यवधान)

मेरे से कोई बात छुपी हुई नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : 409 के मुकदमें बहुत संगीन होते हैं इसको ये इन्कार नहीं कर सकते।

मैं इनको चैलेंज करता हूं .....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : 409 का मुकदमा था तो अदालत से बरी हुआ हूं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, गृह विभाग की चार अधिसूचनाओं के सम्बन्ध में हाउस में काफी उत्तेजना है तीन तो पूर्ववर्ती सरकार की है लेकिन एक तो दिसम्बर, 78 की है। विरोधी पक्ष के नेता ने जब अभिव्यक्ति की तो उनका मतलब, उनका अभिप्राय अंग्रेजी में यही था—Is this Government worth the name ? इसका हिन्दी में कोई भी अनुवाद कर लीजिए। मैं पहले यह बात पूछना चाहता हूं कि...

श्री ईश्वरचन्द्र : इसका ट्रांसलेशन भी करिये।

श्री परसराम मदेरणा : आपको जो भी भी करना हो कर लीजिए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपको टिप किया है....

श्री परसराम मदेरणा : इण्टरप्रिटेशन आफ रूल्स तो जब आप अगली बैंच में आयेंगे तब मालूम होगा। तो मैं यह कह रहा था कि आप 14 दिसम्बर, 78 से कुम्भकरण की नींद में थे। जिस तरह से मुख्य मंत्रीजी ने वापस अभिव्यक्ति की उससे ऐसा आभास मिल रहा था कि उनकी भाषा सरकाज्म की थी। सरकाज्म वाली भाषा आप विरोधी पक्ष के लिए बोलें इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन सरकाज्म किस के ऊपर ? किसकी बुद्धि पर आक्षेप है ? हम सब जानते हैं कि जब विरोध में बैठते थे जो अभी विपक्ष के नेता हैं वह विपक्ष के नेताकांग्रेस सरकार के लिये इस प्रकार के पर्यायवाचक शब्द और अन्य शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं। आप में सहनशीलता, टालरेंस पावर होनी चाहिए। आप यह कहते हैं कि अधिसूचनाएं पुरानी थीं तो आपको पिछले सत्र में लानी चाहिए थीं। इसके अन्दर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अधिसूचनाएं हैं। पुलिस एक्ट के अन्तर्गत हैं। किस के अन्तर्गत बनाई गई हैं, यह जानने से माननीय सदस्य वंचित रह गए। आप एक्सप्लेन कीजिए। यह अधिसूचना नम्बर 4 है इसके लिए तो डायरेक्टली आप रेस्पोंसिबल हैं, यह क्यों नहीं पहले लाए, कौन-सी विशेष स्थिति थी ?

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है वह इसलिये उठाया कि यह रिफ्लेक्शन है ओन दी लीडर ऑफ दी अपोजीशन। जो शब्द अटर किए गए हैं और रेस्पांसिबली हाउस में अटर किये गये इसलिए मैंने प्रिविलेज मोशन मूव किया है, उस पर निर्णय लिया जावे और इसी वक्त निर्णय

(श्री मूलचन्द डागा)

लिया जावे। इसके लिए नियम 160 का हवाला दिया है, जिसमें लिखा है :

"Provided further that the Speaker may, if he is satisfied about the urgency of the matter, allow a question of privilege to be raised at any time during the course of sitting after the disposal of questions."

यह अर्जेन्सी इसलिए है. . .

श्री ईश्वरचन्द्र : 158 भी पढ़ लीजिए। 158 के तहत इस पर विचार हो ही नहीं सकता।

श्री मूलचन्द डागा : पढ़ लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो नोटिस दिया है मैं उसे देखूंगा, उसके बारे में विचार करूंगा। इसके बारे में अनुमति दूंगा तभी तो आप ला सकेंगे।

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : यह इतना विवादास्पद विषय नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज है तो साफ कर ली जावे।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : It is a reflection on the leader of the opposition and uttered by the leader of the House

ये गरिमा खण्डित करते हैं हाउस की. .

श्री लक्ष्मणसिंह : यह अनुचित है, अवांछनीय है. . . . .

श्री मूलचन्द डागा : यह आपकी ही सवाल नहीं है। यह सवाल सदन का है।

श्री लक्ष्मणसिंह : अगर गलती है और उसको मैंने बताया तो इसमें मैंने क्या गुनं किया है। इसमें बुद्धि का अजीर्ण नहीं है। बुद्धि पर तो मैं स्वयं दया करता हूं। "साठी और बुद्धि नाठी"।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल के नेता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की दृष्टि से नहीं कहा है। आपने सरकार के लिए 'भटियारे' की दुकान, शब्द का चयन किया और मैं इसको इन्कार करता हूं तो इसमें कोई दुर्भावना नहीं है। जो कुछ भी कहा है वह रिफलेक्शन के मतलब से नहीं है। मैंने भी अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे भी अधिकर है। मैं भी विरोधी पक्ष का सदस्य हूं। सरकार लाखों रुपये गरीब लोगों के टैक्सों के खर्च करती है। इस सदन के अन्दर एफीशियसी नहीं रहे, सरकार की एफीशियेंसी नहीं रहे यह सरकार के लिए लांछन और शर्म की बात है। दुरुपयोग हो इस शासन व्यवस्था का मेरे ख्याल में, यह कहने का मुझे अधिकार है।

श्री मथुरादास माथुर : आप मूंगफली बेचते थे, भड़भूंजे की दुकान मुफ्त में मिल गई. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब इस पर चर्चा समाप्त करें।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय परसरामजी ने जो कुछ भी इस सम्बन्ध में कहा है, उसको सिद्धान्त रूप से स्वीकार करने में मुझे कोई ग्रापत्ति नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : You must accept without any condition that your department has defaulted.

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये ।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अधिसूचनाएं हैं उनमें एक तो 9 फरवरी, 1973 की है । दूसरी अधिसूचना 6 मई, 1975 की है । तीसरी अधिसूचना. . . .

(व्यवधान)

मैं जो कह रहा हूं वह तो सुन लीजिये । तीसरी अधिसूचना 7 दिसम्बर, 1976 की है और एक अधिसूचना, उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से मेरे जमाने की है । जो देरी हुई है उसके लिए ग्राइन्दा हम ध्यान रखेंगे ।

(व्यवधान)

हमारी बात भी आप नहीं सुनना चाहते हैं । हमसे गलती हुई है । यह ठीक है । हर प्रशासन को एफीसियेंसी लानी चाहिये । परन्तु मैं उन मुद्दों की तरफ ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं, माननीय परसरामजी, यह परम्परा पहले से चली ग्रा रही है । मेरे से तो माफी मंगवाई जा रही है, परन्तु मैं किससे मंगवाऊं ? ग्राज कोई नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जनता ने कांग्रेस सरकार को हटा दिया है ।

श्री लक्ष्मणसिंह : गलती को सदन के सामने रख कर कौनसा हम पर ग्रहसान करते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं पहले ही ग्राब्जेक्शन कर दूं ।

श्री दिग्विजयसिंह (पंचायतमंत्री) : इस की देरी के जो कारण हैं वे मैं ग्रापको बता देना चाहता हूं । यह पहले इंग्लिश में प्रकाशित हुई थी। उसका हिन्दी में ग्रनुवाद नहीं हो पाया था, इसलिए देरी हुई है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह क्या उत्तर है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : ग्राप क्या कर रहे थे ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये । माननीय मंत्रीजी भविष्य में इसका ध्यान रखेंगे ।

श्री दिग्विजयसिंह : जो मूल नियम है वह इंग्लिश में है। यह सूचना इंग्लिश में निकली है। उसके बाद मैंने इसको वापिस किया, यह कह कर कि यह हिन्दी में रखनी चाहिए ।

श्री मूलचन्द डागा : मंत्री महोदय गलत कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये ।

श्री दिग्विजयसिंह : ग्रापको कारण बता दिये हैं ।

श्री विज्ञान मोदी (सुमेरपुर) : ग्रापने हिन्दी में ग्रनुवाद करने के लिए कौन

(श्री विज्ञान मोदी)
तारीख को आदेश दिये हैं, यह सदन को बताया जाये ।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : ये झूठ बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये । मंत्री महोदय कारण बता रहे हैं । उनको सुन लीजिये ।

श्री विज्ञान मोदी : हिन्दी में अनुवाद करने के आदेश कब दिये गये हैं, यह बता दें तो हम मंत्री महोदय का विश्वास करेंगे, वरना सदन को गुमराह किया जा रहा है ।

श्री मूलचन्द डागा : आप यह बयान दे दीजिये कि आपने यह अधिसूचना हिन्दी अनुवाद के लिए कब लौटाई ? आपने कब हुक्म दिया । इसकी तामील कब हुई ? यह बता दें । It should be supported by documentary evidence, otherwise we will not take cognizance of it. आप झूठ बोल रहे हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय सदस्य, जो जानकारी मुझे थी व बता दी है । इसकी डिटेल अभी तो मेरे पास नहीं है । मुझे जो मोटे तौर पर याद था वह बताया है ।

श्री नवरंग सिंह : क्षमा मांगिये । यह सरकार के लिए शर्मनाक बात है ।

श्री दिग्विजयसिंह : मैंने कारण पहले बता दिये हैं । मैं निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(व्यवधान)

श्री गुल मोहम्मद : पॉइन्ट ऑफ आर्डर, सर ।

श्री उपाध्यक्ष : यस, पाइन्ट ऑफ आर्डर ।

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत विभाग के मंत्री महोदय माननीय श्री दिग्विजयसिंह ने अधिसूचना के सम्बन्ध में यह बात कही है कि उन्होंने हिन्दी अनुवाद करने के लिए आदेश दिये जिससे देरी हो गई । मैं यह जानकारी चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने इस अधिसूचना का हिन्दी अनुवाद करने के लिए आदेश कौनसी तारीख को दिया ? अगर तारीख नहीं बतायी जाती है तो इसका मतलब यह है कि इस सदन को मंत्री महोदय द्वारा गुमराह किया जा रहा है ।

श्री कौशलकिशोर जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसा पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है ?

श्री गुल मोहम्मद : आप रूल्स देख कर आइये ।

(व्यवधान)

श्री विज्ञान मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी आसन से एक व्यवस्था दी गई कि अधिसूचनाएं समय पर न रखी जाने का कारण सदन को बताया जाए । उसी व्यवस्था के तहत मंत्री महोदय ने यह बताया कि हिन्दी में अनुवाद कराया गया, उसमें देरी हुई इसलिए यह अधिसूचना समय पर नहीं रखी जा सकी ।

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : अधिसूचना सदन के पटल पर रखी जा चुकी है ।

श्री विज्ञान मोदी : मंत्री महोदय यह बतावें कि किस तिथि को अनुवाद करने के लिए उन्होंने लिखा है । परन्तु यह उनको मालूम नहीं है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बताया जाये कि किस तारीख को हिन्दी में अनुवाद करने का आदेश दिया है । यदि इस सूचना से सदन को अवगत नहीं कराया जाता है तो निश्चित रूप से मेरी यह मान्यता है कि मंत्री महोदय सदन को गलत सूचना दे रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में कानून का प्रावधान क्या है ? कोई नोटिफिकेशन किसी एक्ट के तहत किया जाता है, कोई नियम एक्ट के तहत बनाये जाते हैं तो वह गजट में नोटिफाई होते हैं । गजट में जो भी नोटिफाई होता है उसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी अनुवाद भी नोटिफाई किया जाता है । इसलिए उस तारीख के गजट को मंगवाकर देख लिया जाए तो यह साफ हो जाएगा । मंत्री महोदय ने यहां पर, सदन में, जो यह कहा है वह गलत कहा है । हिन्दी अनुवाद बाद में नहीं हुआ है । गजट मंगवा कर देखें तो मालूम हो जाएगा अंग्रेजी के साथ साथ ही हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हुआ है । इसलिए मंत्री महोदय का यह बयान प्राइमा फेसी गलत है । इसलिए मंत्री महोदय को क्षमा मांगनी चाहिये ।

श्री परसराम मदेरणा : 15-3-79 को टिफिकेशन निकला अंग्रेजी भाषा में और सदन चला है 9 अप्रेल तक । 24 दिन तक पंचायत मंत्रीजी एक विज्ञप्ति का ट्रांसलेशन नहीं करवा सके, यह क्या एफिशियेंसी है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनसे कहिये माफी मांग लें ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मुझे भी सुनिये। मुझे उत्तर देने दीजिये । मंत्री महोदय उत्तर बाद में देगें । व्यवस्था के प्रश्न पर । माननीय गुल मोहम्मदजी ने प्रश्न उठाया है । सदन को मंत्री महोदय कोई भी उत्तर देते हैं, उसमें गलती हो तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज । में उसे ला सकते हैं । सदन संतुष्ट होता है या नहीं यह अलग चीज है । किसी भी प्रश्न पर उसी वक्त कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता । अगर सदस्य महसूस करते हैं तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ला सकते हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो कारण दिये हैं उससे सबार्डिनेट लेजिस्लेशन के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसी सत्र में प्रस्तुत किया जाय । बाद में भी प्रस्तुत किया जा सकता है । रूल्स स्पष्ट है । पहले सत्र में प्रस्तुत नहीं किया जा सका उसके कारण दिये हैं । दूसरे सेशन में भी प्रस्तुत कर सकते हैं । शायद नियमों में नोटिफिकेशन के लिये कितनी अवधि है यह मुझे पता नहीं, हो सकता है अवधि ज्यादा हो । यह पर्याप्त कारण है । अनावश्यक इस पर बहस नहीं होनी चाहिये । इतनी अनुमति ही ज्यादा है ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री दिग्विजयसिंह (पंचायत मंत्री) : मैं पंचायत विभाग की निम्नांकित अधि-

(श्री दिग्विजयसिंह)
सूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल/पी.एस. /ए.आर. / 22 /78/61 दिनांक 15 मार्च, 1979.

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल.जे./पी.टी.एस./ए.आर. 4 74 / 129, दिनांक 1 जून, 1979.

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4/एल.जे./पी.टी. / ए.आर./ 2/ 79/ 153, दिनांक 10 जुलाई, 1979.

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तम मंत्री।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : मैं राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना सं. प. एफ. 4 (22) राज / उप/ 78, दिनांक 16 अप्रेल, 1979.

(2) अधिसूचना सं. एफ. 4 (31) रेव/ कोल / 76, दिनांक 16 अप्रेल, 1979.

(3) अधिसूचना सं. प. 4 एफ. (7) राज। उप। 79, दिनांक 16 अप्रेल, 1979.

(4) अधिसूचना सं. प. 4 एफ. (4) राज। उप। 78, दिनांक 22 मई, 1979.

(5) अधिसूचना सं. प. एफ. 4 (4) राज। उप। 78, दिनांक 22 मई, 1979.

(6) अधिसूचना सं. प. एफ. 4 (13) राज। उप। 79, दिनांक 9 जुलाई, 1979.

(7) अधिसूचना सं. प. 4 (1) राज। उप। 78, दिनांक 2 अगस्त, 1979.

(8) अधिसूचना सं. प. 4 (21) राज। उप। 78, दिनांक 20 अगस्त, 1979.

(9) अधिसूचना सं. एफ. 4 (12) राज। उप। 77, दिनांक 19 जुलाई, 1979.

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणकचन्द सुराणा।

श्री माणकचन्द सुराणा (परिवहन मंत्री) : मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:—

श्री मूलचन्द डागा : 8 दिसम्बर के लिये क्या कहना है, पहले कह दीजिये।

श्री माणकचन्द सुराणा : पहले अधिसूचना रख दूं फिर अर्ज करूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : पहले रीजन्स दे दीजिये। क्या कारण थे? कहीं दिल्ली में राज बचाने की कोशिश में तो नहीं चले गये थे?

श्री माणकचन्द सुराणा : जिस वक्त की अधिसूचना है उस वक्त यह विभाग मेरे पास था ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : आप सक्सेसर हैं। आप यों बच नहीं सकते।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आपको खेद प्रकट करना चाहिये।

56

श्री माणकचन्द सुराणा : जो भी इस संबंध में विभाग की ढिलाई रही है, और जो भी जिम्मेदार रहा हे उनकी ओर से मैं माफी मांगता हूं।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : यह तरीका नहीं है। जो भी आपके साथी रहे हैं इस गवर्वमेंट और इससे पहले की भी गवर्नमेंट के इस सदन में आप जिम्मेवार हैं।

श्री माणक चन्द सुराणा : हमारी जिम्मेवारी इसमें कितनी है, और पहले वालों की कितनी थी यह बाइफरकेट करने...

(व्यवधान)

श्री द्योपतसिंह मकासर : आपको किसने कहा कि आप इतनी बड़ी भारी जिम्मेवारी लीजिये ? मत लीजिये आप।

श्री माणकचन्द सुराणा : यह आपकी जिम्मेवारी तो है नहीं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय वित्त मंत्री जी, अतीत की सरकार के लिये भी आप जिम्मेवार हैं। भूतपूर्व मंत्री द्वारा किये गये गलत कामों पर आप एक्शन लें। अगर नहीं ले सकते हैं तो यह आपकी कमजोरी का द्योतक है।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिसूचना 8-12-78 की मैं पेश कर रहा हूं। इसके संबंध में विभाग में कहां ढिलाई हुई, कहां ढ़िलाई रही इसके कारण मैं आपको निश्चित रूप से....

श्री हरिदेव जोशी : हर देरी के लिये मिनिस्टर को खेद होना ही चाहिये।

श्री माणकचन्द सुराणा : मुझे खेद है। गलती मैंने नहीं की तो भी मुझे खेद है।

श्री हरिदेव जोशी: मुझे खेद है यही..

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना सं. प. 1 (49) गृह 7 । 78, दिनांक 8 दिसंबर, 1978·

(2) अधिसूचना सं. प. 5 (9) गृह 7 । 79, दिनांक 25 अप्रेल, 1979.

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री बिरदमल सिंघवी (निर्वाचन मंत्री) : मैं निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना सं. एफ. 1 (1) (2) पी. । इलेक । 79 । 1786 (जी. एस.आर. 14), दिनांक 12 जून, 1979.

(2) अधिसूचना सं. एफ 1 (1) (5) पी. । इलेक । 79 18 (जी.एस. आर. 16), दिनांक 12-6-1979.

(3) अधिसूचना सं. एफ. 1 (1) (1) पं. । चु. । 76 । 1739 (जी. एस. आर. 13), दिनांक 6-6-1979.

(4) अधिसूचना सं. एफ. 1 (1) (4) प. । निर्वा । 79 । 1787 (जी. एस.आर 17), दिनांक 12-6-1979.

(5) अधिसूचना सं. एफ 1 (1) (3) पी । इलेक । 79 । 1784 (जी. एस. आर. 15) दिनांक 12-6-1979,

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल ।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : मैं राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1977-78 सदन की मेज पर रखता हूं ।.

व्यवस्था का प्रश्न

प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे जाने में विलम्ब

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर, सर। यह जो ग्राप रख रहे हैं 77-78 का है ग्रौर ग्रापका जून में साल खतम हो जाता है। तीन महीने का प्रोवीजन है । इसमें लिखा है कि 3 महीने के बाद एज सून एज इसको सदन में रखना चाहिये ग्रौर ग्राप ग्राज रख रहे हैं, बराबर 11 महीने के बाद । यह कैसे रख रहे हैं? यह, श्रीमान्, सिद्धान्त का सवाल है—

"The State Government shall cause an annual report to be prepared within the time specified in sub-section (1) and as soon as may be after such preparation, laid before the House of the State Legislature with copy of the audit report."

ग्राप हमें रीजन बताइये। 78 की 79 में ग्राप कैसे रख रहे हैं ?

श्री एच.एन. शर्मा (बेगूं) : मुझे समझ में नहीं ग्राता । वह सरकार तो रखती भी नहीं थी । हम रख तो रहे हैं ।

श्री मदनसिंह दांता : यह 11 महीने तक रखने का कारण यह है कि ये पिछोला की ताल पर सैर कर रहे थे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, कारण भी बता दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप कहने दीजिए ।

एक माननीय सदस्य : क्या कहेंगे ? यह क्या हालत हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निवेदन करूंगा । 28-4-79 की तारीख है सदन के सामने पेश करने की । ग्राप जांच करा लें । सचिवालय में प्रस्तुत कर दिया गया है ।

श्री मूलचन्द डागा : ग्रापने कहा है, ग्राप सदन की मेज पर रख रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : कहने दीजिए । ग्रगर सचिवालय में प्रस्तुत कर दिया है. . .

श्री कैलाश मेघवाल : यह तारीख लगी हुई है ।

एक माननीय सदस्य : ऐसे नहीं . . .

श्री उपाध्यक्ष : तारीख की जांच करा कर सदन को जानकारी दे दूंगा ।

श्री मूलचन्द डागा : रख दिया है ? ग्राप क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सम्भावना हो सकती है।

श्री मदनसिंह दांता : ग्रॉन ए पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर सर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस सदन के ग्रन्दर जैसा ग्रादमी का रूप है, उस रूप में ही ग्रादमी ग्राये । इनके तो सफेद

(श्री मदनसिंह दांता)
बाल थे, काले कैसे हो गये हैं ?

सदन के पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री सूर्यनारायण चौधरी (राजकीय उपक्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा (3) का भाग (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित औद्योगिक संस्थानों के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन लि. का 9 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, 1977-78।

श्री मूलचन्द डागा : मेरे आब्जेक्शन का कारण क्या था ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : (2) हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड, जयपुर के 30 सितम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशकों का प्रतिवेदन एवं लेखा का विवरण।

(3) दी राजस्थान स्टेट टैनरीज लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1977-78,

(4) श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे जाने में विलम्ब

उपाध्यक्ष महोदय, आप कारण पूछना चाहते हैं। राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेण्ट कारपोरेशन लि. का 9 वां प्रतिवेदन 28 तारीख को भेज दिया गया है। यह सारा का सारा समय प्रिंटिंग में लगता है। उसी में समय लगा है।

श्री मूलचन्द डागा : यह साफ लिखा हुआ है। राजस्थान स्टेट टैनरीज, जयपुर का आर्टिकल है:—The State Government shall cause an annual report on the working and the affairs of the company prepared in three months...."

एक माननीय सदस्य : यह लागू नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : "and shall cause the same to be laid on the table of the house as soon as possible...."

श्री सूर्यनारायण चौधरी : "It is as soon as."

श्री मूलचन्द डागा : which means 'immediately'.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इसको पढ़ने के बजाय कुछ सुझाव दीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : हम सुझाव दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने बताया है कि प्रिन्टिंग में देरी हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : बताइये। यह जरूरी नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनका इण्टरप्रिटेशन "एज सून एज" का क्या है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : "एज सून एज" का मतलब विरोधी दल के नेता महोदय बताएं क्या होता है ?

श्री लक्ष्मण सिंह : क्या एक साल छः महीने हो सकता है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं निवेदन कर देता हूं ।

श्री लक्ष्मण सिंह : "As soon as" से क्या मतलब है ? आपका प्रशासनिक सिद्धान्त क्या है ? "एज सून एज" से क्या समझते हैं ? "एज सून एज" से क्या कनोटेशन और डेनोटेशन है ? एडमिनिस्ट्रेटिवली I ask you.

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री मदनसिंह दांता : ये नीम के थाने की छोटी स्कूलों के पढ़े हुए हैं । आपने कहां ऑक्सफोर्ड की बातें पूछ ली हैं इनसे ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसके विशेष अन्दर जाने की आवश्यकता नहीं है । माननीय विरोधी दल के नेता ज्यादा समझते हैं ।

श्री मदनसिंह दांता : इसीलिए इनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए था ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : आप अपने सबार्डिनेट्स को पुल अप नहीं करेंगे तो कैसे काम चलायेंगे ?

श्री मदनसिंह दांता: They cannot इन्होंने अपने जीवन में गुड़ की बोरियां ही बेची हैं ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं . . .

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा है, तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ऐसे अधिकारियों को पुल अप कर रहे हैं ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित लेखे एवं प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) वित्त लेखे, 1977-78 ।

(2) विनियोग लेखे, 1977-78 ।

(3) वर्ष 1977-78 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) ।

(4) वर्ष 1977-78 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) ।

(5) वर्ष 1977-78 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) ।

इन पांचों प्रतिवेदनों पर 5-2-1979 को हस्ताक्षर किये गये हैं ।

(6) पथ-परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ-परिवहन निगम के वर्ष 1975-76 के लेखों का संपरीक्षा प्रतिवेदन ।

यह पिछले 5-4-79 को हस्ताक्षरित हो कर विधान सभा सचिवालय में प्रस्तुत कर दिया गया था । विधान सभा की बैठक स्थगित हो गई थी ।

श्री मूलचन्द डागा : आप पहले रीजन बता दीजिए ।

श्री कल्याणसिंह कालवी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूमि विकास अधिनियम, 1975 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राजस्थान भूमि विकास निगम का चौथा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, 1977-78 सदन की मेज पर रखता हूं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : तीन महीने बाद आप देख लेना कांग्रेस (आई) को।

(व्यवधान)

अनुपूरक अनुदानों की मांगों एवं अतिरेक मांगों के विवरण का उपस्थापन

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अनुपूरक अनुदानों की मांगें एवं अतिरेक मांगों के विवरण का उपस्थापन करता हूं :—

(1) अनुपूरक अनुदानों की मांगें, 1979-80।

(2) वर्ष 1973-74 के लिए अतिरेक मांगें।

(3) वर्ष 1974-75 के लिए अतिरेक मांगें।

जो अतिरेक मांगें पेश की गई हैं इसके संबंध में पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी की यह रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गई है।

समिति के प्रतिवेदन हेतु नियत समय में वृद्धि

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री भंवरलाल ऐरन : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि सदन द्वारा विशेषाधिकार समिति को राजस्थान पत्रिका के दिनांक 2 अक्टूबर, 1978 के अंक में प्रकाशित लेख के विरुद्ध, निर्दिष्ट विशेषाधिकार प्रश्न पर, समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु, नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया

श्री मूलचन्द डागा : मैंने पांच प्रस्ताव रखे हैं, दो साल हो गये हैं, एक पर भी निर्णय नहीं हो पा रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री भंवरलाल ऐरन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन द्वारा विशेषाधिकार समिति को राजस्थान पत्रिका के दिनांक 20 सितम्बर, 1978 के अंक में प्रकाशित सम्पादकीय लेख के विरुद्ध, निर्दिष्ट विशेषाधिकार प्रश्न पर, समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु, नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया

समिति का प्रतिवेदन

विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री भंवरलाल ऐरन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति, 1979-80 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री।

समिति का गठन

जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं राजकीय उपक्रम समिति 1979-80 के निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

1. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जनलेखा समिति, 1979-80 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

2. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 232 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति, 1979-80 के लिए इक्कीस सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

3. इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 233 (ब) (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 1979-80 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की स्वीकृति है कि जो प्रस्ताव रखे गए हैं वे स्वीकार किए जायं ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किये गए।

मंत्री परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

मुझे माननीय सदस्यों को सूचना देनी है कि माननीय सदस्य श्री गुल मोहम्मद और श्री नवनीत कुमार पालीवाल ने मंत्री मण्डल के विरुद्ध एक अविश्वास की प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने आज सूचना दी है कि वे इस प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। क्या सदन की सहमति है कि उनको प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति दी गई।

एक अन्य प्रस्ताव माननीय श्री लक्ष्मण सिंह, श्री परसराम मदेरणा, श्री मथुरादास माथुर, श्री नवनीत कुमार पालीवाल, श्री श्योपतसिंह, श्री नूरा, सदस्य, विधानसभा ने राज्य के मंत्रि मण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी है जो इस प्रकार है:

"यह सदन राज्य मंत्रिमण्डल में अविश्वास प्रगट करता है।"

क्या सदन की अनुमति है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

इसके लिए कम से कम 40 सदस्य खड़े होने चाहिए।

(स्वीकृति)

मैं इस प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकृत करता हूं। मैं इस सम्बन्ध में कि इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कितना समय दिया जाय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो राय होगी उससे सदस्यों को अवगत करा दूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। मैं यह समझता हूं कि अविश्वास का प्रस्ताव क्यों, मंत्रिमण्डल को भंग करने का प्रस्ताव क्यों, नहीं किया जाय। जब आज स्थिति यह है कि राष्ट्रपति ने...

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि आप भाषण देने से पूर्व मुझको भी सुन लें। कृपया विराजिये। जब यह प्रस्ताव चर्चा के लिए लिया जाय तब आप यह प्रस्ताव पारित करवा सकते हैं, इसका आपको अधिकार है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भंग करने का अधिकार आपको नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : इसके लिए आलरेडी वर्डिक्ट हो चुका है, राष्ट्रपति का। क्या राजस्थान सरकार अलग है ?

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक, 1979

श्री उपाध्यक्ष : पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक। माननीय श्री सम्पतराम।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री बजरंग लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ना पक्ष जीता है, हां पक्ष नहीं। आप फिर से बुलवा लीजिये, आप स्वयं महसूस करेंगे, बहुत ताकत के साथ बोला है हमने।

श्री हरिश कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी आवाज तो दिल्ली में भी दब गई, यहां भी दब जायेगी।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस (द्रोह उद्दीपन) अध्यादेश, 1979 (अध्यादेश संख्या 2, सन् 1979) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दिग्विजयसिंह।

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1979

श्री दिग्विजय सिंह (पंचायत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं, हां और ना पक्ष की आवाज के बारे में शंका की जाती है तो नियमों में प्रक्रिया है, उसके अनुसार मैं निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको सदन के निर्णय की जानकारी दे दी है।

श्री मदनसिंह दांता : ठीक है, ठीक है।

(व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 14वां प्रतिवेदन

श्री सूर्यनारायण चौधरी (मंत्री, संसदीय कार्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन इस प्रकार है :–

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24 सितम्बर, 1979 को मध्यान्होत्तर 1.00 बजे से 1.50 बजे तक हुई। समिति सिफारिश करती है कि दिनांक 25 सितम्बर, 1979 से 4 अक्टूबर, 1979 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के समय का बंटवारा निम्न प्रकार से किया जाय :––

मंगलवार, दिनांक 25 सितम्बर, 1979, बुधवार, दिनांक 26 सितम्बर, 1979 : राज्य मंत्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा।

गुरुवार, दिनांक 27 सितम्बर, 1979 : बैठक नहीं होगी।

शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर, 1979 : राज्य मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं सरकार की ओर से उत्तर।

शनिवार, दिनांक 29 सितम्बर, 1979, रविवार, दिनांक 30 सितम्बर, 1979, सोमवार, दिनांक 1 अक्टूबर, 1979, मंगलवार, दिनांक 2 अक्टूबर, 1979 : बैठक नहीं होगी।

बुधवार, दिनांक 3 अक्टूबर, 1979, गुरुवार, दिनांक 4 अक्टूबर, 1979 : राज्य में बाढ़ एवं अकाल की स्थिति पर चर्चा एवं सरकार की ओर से उत्तर।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन हुआ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य सलाहकार समिति का 14वां प्रतिवेदन स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि कार्य सलाहकार समिति का 14वां प्रतिवेदन स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

श्री दिग्विजय सिंह !

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1979

श्री दिग्विजय सिंह (पंचायत मंत्री) : मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि आज्ञा प्रदान की जाए ?

(ध्वनि-मतदान के पश्चात्)

कई माननीय सदस्य : Noes have it.

कई माननीय सदस्य : Ayes have it.

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहें ! मैं एक सामान्य प्रक्रिया की ओर ध्यान दिलाना

(64)

(श्री उपाध्यक्ष)
चाहूंगा। सामान्यतः इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर बिल अपोज नहीं किया जाता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के माननीय सदस्यों का अधिकार है, वे कर सकते हैं। लेकिन इन्ट्रोडक्टरी स्टेज पर नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : पाली से आने वाले माननीय सदस्य, श्री डागा, ने जब प्राइवेट बिल रखा था तो सत्ता पक्ष की ओर से विरोध हुआ था। सत्तारूढ़ पक्ष ने ही परम्परा डाल दी है तो अब उस परम्परा से डेविएट क्यों हो रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः सदन की राय जानना चाहूंगा इस प्रश्न पर।

क्या सदन की सहमति है कि इस विधेयक का पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए?

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

श्री परसराम मदेरणा : Noes have it.

कई माननीय सदस्य : Ayes have it.

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, जिन्होंने ना पक्ष में मत दिया है, चाहते हैं कि डिवीजन करवाया जाए?

कई माननीय सदस्य : Yes.

श्री मूलचन्द डागा : यह काला कानून है। हम अपोज करेंगे। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : सत्ता पक्ष वाले लोकतंत्र की बात कह कर गांवों में जायेंगे तो पता लगेगा।

श्री नूरा : जो लोकतंत्र और पंचायत राज की दुहाई देते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए। सदन के जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर मत देना चाहते हैं वे लॉबीज में जाकर अपना मत दें, उसके बाद मैं सदन की राय बता सकूंगा। जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे हां पक्ष की लॉबी में जायेंगे। जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के विरुद्ध हैं वे ना पक्ष की लॉबी में जायेंगे।

(मत-विभाजन-सूचक घंटी)

क्या माननीय सदस्य डिवीजन चाहते हैं?

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रश्न को सदन में दुबारा रखें। हम डिवीजन चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी आप डिवीजन चाहते हैं?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) : जो हां और ना पक्ष के अलावा कोई सदस्य हो?

श्री उपाध्यक्ष : वे वहीं बैठे रहेंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हां या ना पक्ष में या न्यूट्रल रहना हो, अपना मत जाकर लॉबीज में दें।

(मतदान)

मतदान का परिणाम...

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की आज की कार्यवाही का समय बिजनैस पूरा होने तक के लिये बढ़ा...

श्री मूलचन्द डागा : अभी तो डिवीजन का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मतगणना का परिणाम सदन की जानकारी के लिये देना चाहूंगा। प्रस्ताव के पक्ष में 106 मत पड़े हैं...

(व्यवधान)

प्रस्ताव के विरोध में 79 मत पड़े हैं।*

विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाती है।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री रणजीत सिंह (ओसियां) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची को देखते हुए उसके पूरा होने तक सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया जाय।

श्री रणजीत सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

ऐसा है जिस समय गिनती होने लगी थी उस समय यह दरवाजा खुला था और 15 आदमी इधर से और लाये गये।

कई माननीय सदस्य : गलत है।

श्री बुलाराम : उस दरवाजे से माननीय सदस्य लाये गये हैं।

श्री डूंगर राम पंवार : कई माननीय सदस्य उधर से लाये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न इस पर लागू नहीं हो सकता है मत के परिणामों की घोषणा के बाद में। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मेरा प्रस्ताव है सदन की कार्यवाही का समय आज के निर्धारित कार्यक्रम की सूची के पूरा होने तक बढ़ाया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कितना समय बढ़ाना चाहते हैं?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जब तक सदन का आज का कार्य पूरा नहीं हो जाय तब तक के लिये।

श्री मूलचन्द डागा : जी, नहीं बढ़ा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन की कार्यवाही का समय तब तक के

*विभाजन सूची उपलब्ध नहीं है।

(66)

(श्री उपाध्यक्ष)
लिये बढ़ाया जाय जब तक कार्य सूची में दिया कार्य पूरा हो जाय ।

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय कार्य सूची में दिया गया कार्य पूरा होने तक बढ़ाया गया।

श्री **मूलचन्द डागा** : श्रीमान्, मेरा एक आब्जेक्शन है । हमने आब्जेक्शन किया है । रूल 11, 12 और 13 में You cannot move motion. आपका समय है हाउस का 11 से 5 । आज सदन का पहला दिन है और हमें अपने मोशन रखने के लिये 9.00 बजे यहां आना पड़ता है और 5, 5.30 बजे तक सदन में उपस्थित रहना पड़ता है । क्या आप चाहते हैं इससे भी ज्यादा समय तक यहां रुका जाय ? फिर हम अपने मोशन कब तैयार करेंगे अगर यहीं से 9-10 बजे जायेंगे ? आप कोई बिल लाते हैं और उसमें अगर हम पूरी भूमिका नहीं निभा सकेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा । मैं श्रीमान् को जानकारी देना चाहता हूं, ये आपके रूल्स हैं कि हाउस का समय 11.00 से 5.00 बजे होना चाहिए । जो उन्होंने मोशन रखा है उसका मैंने विरोध किया है ।

श्री **कौशल किशोर जैन** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप रूलिंग दे चुके हैं ।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : पाइन्ट आफ आर्डर । मेरा नम्र निवेदन है कि विपक्ष की तो ना करने की आदत पड़ गई है . . .

(व्यवधान)

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** (मुख्य मंत्री) : आप यह बतायें कि हाउस का सम्मान करते हैं या नहीं ? हाउस का निर्णय है, 5.00 बजे बाद बैठना पड़ेगा ।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : जब आप विपक्ष में बैठते थे, तब आप भी कहा करते थे, 5.00 बजे बाद नहीं बैठेंगे ।

श्री **मथुरादास माथुर** : ये रूल्स रोज नहीं बदले जा सकते हैं । मैं मानता हूं कभी जब आवश्यक काम हो, बजट के समय में, जब बजट को पास कराना पड़ता है, तब हम भी मान जाते हैं । लेकिन आज पहले ही दिन कहते हैं कि 5.00 बजे बाद बैठना पड़ेगा, फिर रूल्स क्यों बनाये गये हैं ?

श्री **रणजीत सिंह** : क्या बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में यह चर्चा चली थी कि आज का जो अजेन्डा है वह पूरा होगा ?

श्री **मथुरादास माथुर** : यह हुआ था, जिस दिन बहस होगी, उस दिन ज्यादा बोलने वाले होंगे ।

श्री **मदनसिंह दांती** : क्या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय कर लिया था ?

श्री **परसराम मदेरणा** : माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन में जो आज का बिजनैस है उसमें ज्यादा समय तो अधिसूचनाओं के एतराज में चला गया । आज इस सत्र का प्रथम दिवस है । प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों में उल्लेख है, 11.00 से 5.00 बजे तक का । 5 बजे के बाद समय बढ़ाने के लिये उसमें यह है कि सदन के सभी पक्षों की राय लेकर समय बढ़ाया जाता है । जो बिजनैस जरूरी है, बजट है, एप्रोप्रियेशन बिल वगैरह हैं वह पास हो जाय, उसके लिये तो समय बढ़ाना आवश्यक हो जाता है । अब मुख्य मंत्री जी को थोड़ा बहुत कान्सेन्शस ओपीनियन भी

(श्री परसराम मदेरणा)

आव्टेन करनी चाहिये। वे तो कहते हैं पांच बजे बाद जरूर बैठेंगे। हमारे यहां हार्ट के बीमार, हैं, हार्ट पेशेन्ट्स हैं, डागा जी स्वयं भी हैं, डागा जी पांच बजे बाद नहीं बैठ सकते हैं। मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी को दुबारा विचार करना चाहिये। मैं चाहता हूं, हाउस में पूर्व में विरोधी पक्ष को विश्वास में लेने की परम्परा रही है, उसको निभाया जाय। आज आप भी तैश में आ रहे हैं। आपकी भी आदत पड़ गई है। हमारी जो आदत पड़ गई है वह तो दो साल की है लेकिन इसके आप ज्यादा आदी हैं, वह कई सालों की है इसलिये मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा इनसिस्ट मत कीजिये। यह विरोधी पक्ष का मत नहीं है कि हम लेट बैठ कर सदन की कार्यवाही चलायें। आज सदन का प्रथम दिवस है। कोई भी, किसी भी दिन बिल को ला सकता है।

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे धर्म पर आक्षेप हो रहा है। हमारे नवरात्रा चल रहे हैं। अभी रोटी जाकर खायेंगे। मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा धर्म के ऊपर आघात क्या हो सकता है ? वह कौन सी बात है ? राज्य कर्मचारी नवरात्रा किए हुए होंगे, ये पुलिस के लोग नवरात्रा करे हुए हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, छः महीने के बाद तो आपने सदन बुलाया है। ये तो छः तारीख को बुलाते लेकिन जानबूझ कर जल्दी करने के लिए 24 तारीख को बुला लिया है। आप लोग आज जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आप विरोधी पक्ष में जब बैठते थे तब की आप प्रोसीडिंग्स उठा कर पढ़ लें, क्या क्या शब्द आप बोलते थे। आज छः महीने के बाद में सदन का प्रथम दिवस है। इसकी शुरुआत आप ऐसे करने जा रहे हैं। आज नवरात्रा का प्रथम दिवस है। आप हां ना करके, इस तरह से कानून पास करते हैं। आप इस तरह से जल्दबाजी करके कानून पास कराना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी दरख्वास्त है कि कृपा करके सदन की सहमति लेकर करिये और हठधर्मी मत करिये। पहले भी कानून आपने पास किए थे तो गवर्नर महोदय ने वापस लौटाए थे।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, शासन पक्ष को जनतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं को मद्देनजर रखते हुए, एक हद तक हमको अकामोडेट करना चाहिए। मैं तो निरन्तर विपक्ष में बैठा हूं। आज बहुत सारे मेरे साथी, विधि की विडम्बना के कारण, शासन पक्ष में हैं। जहां तक मेरा अनुभव है विपक्ष में बैठने का, प्रथम दिन जब शोकाभिव्यक्ति आदि होती हैं तब ठीक 5 बजे सदन की कार्यवाही बन्द हो जाती है। नियमों के अन्तर्गत भी साधारणतः 5 बजे सदन की कार्यवाही बन्द हो जानी चाहिए विपक्ष ने हमेशा शासन पक्ष का साथ दिया है। कोई असाधारण कारण हुआ हो, कोई ऐसा बिजनेस हो, कोई ऐसा काम हो तो हमने रात के बारह और दो दो बजाए हैं। दोनों हाथ से ताली बजती है। यह तो कम्प्रोमाइज की बात है। जनतंत्र में सिद्धान्त, समझौता, कान्सेन्सस, कम्प्रोमाइज, ये सब चीजें होती हैं। मैं यह आशा करता हूं कि शासन पक्ष 5 बजे आज की सदन की कार्यवाही स्थगित करने के लिए व्यवस्था करेगा। ब्रूट फोर्स

(श्री लक्ष्मणसिंह)

आफ मैजोरिटी प्रपोंड करके मेजोरिटी के आधार पर काम करना चाहें तो करिये। मेरा निवेदन है कि आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। इसके अतिरिक्त नवरात्रा महोत्सव भी है, बहुत सारे...

श्री मदनसिंह दांता : Why should we stay now? We go.

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बारे में विचार करेगी।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1979

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री गुल मोहम्मद : यह क्या बात हुई.....

(व्यवधान)

श्री विज्ञान मोदी : विरोधी पक्ष के नेता ने जो बात कही उसके बाद यह क्या हो रहा है?

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : हम वाक आउट कर जायं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये काला कानून फिर पास कर देंगे ना। हम गए नहीं कि ये दो मिनट में पास कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे प्रश्न रखना है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : Noes have it, Sir.

(व्यवधान)

Noes have it, Sir.

क्या ऐसे ही कार्यवाही चलाना चाहते हैं..

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1979 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं तो विरोधी पक्ष की बात भी सुननी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री गुल मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय नहीं बढ़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुल मोहम्मद जी, आप विराजिये। मैंने हाउस की राय ले ली है और उसके बाद ही सदन का समय बढ़ाया गया है।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)
माननीय मोदी जी आप भी बिराजिये। माननीय गुल मोहम्मद जी मैंने सदन की सहमति प्राप्त करके ही यह आदेश दिया था कि आज की कार्यवाही, जब तक आज का बिजनेस पूरा नहीं होता है, चलेगी ।

श्री नवनीत पालीवाल (नाथद्वारा) : आप कार्यवाही देखिये। यह नहीं है । आप प्रोसीडिंग्स देखिये ।

श्री गुल मोहम्मद : सदन की प्रोसीडिंग्स उठा कर देखिए ।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी है ।

श्री दुलाराम : आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है ।

श्री नवनीत पालीवाल : आप कार्यवाही देख लीजिए. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजिये ।

श्री दुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, सभी भूखे बैठे हैं और आप चाहते हैं कि शान्ति से काम करें तो शान्ति से कैसे काम करें सकते हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : विरोधी पक्ष के नेता ने कहा है, आज सत्र का पहला दिन है, अगर इस तरह से सदन की कार्यवाही चलाना चाहते हैं तो आपको काफी तकलीफ होगी,

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बिराजें । माननीय सदस्यगण, बिराजें ।

श्री दुलाराम : पाइन्ट आफ आर्डर. . .

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं । कोई भी अनावश्यक पाइन्ट आफ आर्डर रेंज करेंगे तो आवश्यक नहीं है कि मैं उस पर गौर करूं । मैंने सदन की सहमति समय बढ़ाने के लिए प्राप्त कर ली थी. . . .

श्री दुलाराम : आपने हां पक्ष, ना पक्ष कहा था । इस तरह से सदन की सहमति नहीं हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दुलाराम जी विराजिये । सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए एक प्रश्न पूछा था जिस पर हां पक्ष की ओर से हां कहा गया और ना पक्ष की ओर से ना कहा गया. . .

श्री दुलाराम : समय के लिए यह नहीं कहा गया । समय बढ़ाया ही नहीं गया ।

श्री नवनीत पालीवाल : अपनी कार्यवाही देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले मुझे पूरा सुन लीजिए । सुराणाजी ने जो प्रस्ताव रखा उस पर हां पक्ष वालों ने हां की स्वीकृति दी और उसके बाद ना पक्ष वालों ने नां कहा। जब मैंने हां पक्ष का निर्णय दिया तो माननीय प्रद्युम्नसिंह जी ने, विधेयक के सम्बन्ध में, कहा कि हमारा विरोध है । किस स्टेज पर जब कि विधेयक के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा। उसके बाद आप कहते हैं कि समय नहीं बढ़ाया जाए, यह तो बड़ी अजीब स्थिति है ।

(व्यवधान)

मैं विधेयक के सम्बन्ध में पुनः और प्रश्न पूछ लूंगा ।

श्री **दुलाराम** : हमने यह आपको रोषपूर्वक कहा है कि सत्ता पक्ष इस तरह से दबाव डालेगा तो हम नहीं मानेंगे।

श्री **नवनीत पालीवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, अगर ना पक्ष से पूछ लिया गया है तो हमें कुछ नहीं कहना है।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : पूछा गया है।

श्री **नवनीत पालीवाल** : मैं उपाध्यक्ष महोदय को निवेदन कर रहा हूं। कृपया सदन की मर्यादा रखें।

श्री **उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप विराजें। मुझे कहने दें।

सदन का समय बढ़ाने के लिए आसन के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था। हां पक्ष से पूछा, उनकी सहमति थी। ना पक्ष से पूछा, उनकी सहमति नहीं थी, असहमति प्रकट की गई थी। श्री परसराम जी मदेरणा ने जो कहा तो मैं यह कह सकता हूं कि दोनों पक्षों से प्रश्न पूछा गया। मैंने सदन की कान्सेन्शस मालूम की। हां पक्ष का बहुमत था इसलिए मैंने सदन का समय बढ़ाने की घोषणा की।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : बहुमत के आधार पर सदन का समय नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : यह गलत है। सदन को इस पर पुर्नविचार करना चाहिए। आप सदन को बहुमत से चलाना चाहते हैं। बहुमत के आधार पर सदन को नहीं चलाया जाना चाहिए। सदन का समय हमेशा सदन की सहमति से बढ़ाया जाता है। बहुमत से नहीं बढ़ाया जाता है और सर्वसम्मति से बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री **नवरंगसिंह** : मुख्य मंत्री महोदय को यह अभिमान है कि वे सदन को चला सकते हैं। मैं उनको चेलैन्ज करता हूं कि यह सदन उनके घमंड के कारण नहीं चल सकता है। सदन का समय नहीं बढ़ाया जा सकता।

(व्यवधान)

श्री **खेतसिंह राठौड़** : घमंड तो रावण का भी नहीं रहा।

श्री **गुल मोहम्मद** : आप दादागिरी से सदन को चलाना चाहते हैं। यह दादागिरी नहीं चलने वाली है।

(व्यवधान)

श्री **दुलाराम** : ना पक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है।

श्री **रामकृष्ण दास गुप्ता** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने सदन का समय बढ़ाया है। उनके पास में बहुमत है। इस इश्यु पर अगर उन्होंने मतदान कराया तो वे जीत जाएंगे, परन्तु उनको यह याद रखना चाहिये कि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था को कायम रखना है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और उसमें से केवल 55 दिन सैशन चलता है। 55 दिन ही सैशन चलने के कारण काफी विधायी काम जमा हो गया है। इस प्रकार जो विधायी कार्य शेष रह गया है उसकी जिम्मेदारी विरोधी पक्ष की नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार सदन के नेता महोदय हैं, मंत्रिमंडल के सदस्यगण हैं, जनता पक्ष के सदस्य जिम्मेदार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन का सब से गंभीर कार्य है, विधायी कार्य है, वह इस

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

समय होगा। इस समय सारे सदन के माननीय सदस्य थक गये हैं। इनमें से कई माननीय सदस्यों की काम करने की शक्ति कम हो चुकी है। वे अब अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते। इस समय में नेता महोदय भेड़ों की तरह हाथ उठा कर विधायी कार्य पारित करवाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि वे प्रजातन्त्र का गला घोटेंगे। यह गंभीर विषय है। आपने विरोधी पक्ष के नेता महोदय के आग्रह पर, उनके निवेदन पर, उनकी अपील पर ध्यान नहीं दिया। इसको आपने 16 मतों से ठुकरा तो दिया परन्तु मैं समझता हूं कि यह सदन भी जल्दी ही भंग होगा और आपको भी दुबारा वोट लेने के लिए जनता के पास जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा सदन के नेता महोदय से आग्रह है कि वे विरोधी पक्ष के नेता की बात को मान लें। आज आप इस सदन की कार्यवाही को एडजर्न होने दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप मान जाओ इसी में फायदा है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज को मानता हूं कि श्री भैरोंसिंह जी राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री ही नहीं बल्कि सदन के नेता भी हैं। उनकी जवाबदारी, इस सदन में मुख्य मंत्री के साथ-साथ सदन के नेता की हैसियत से भी है। हम लोग जो विरोध में हैं पर आज तक ढाई वर्षों में कभी भी असहयोग नहीं किया। नवरात्रों के समय विरोधी दल के नेता महोदय का, और सभी माननीय सदस्यों का यह विचार है तो उनको भी इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिये। आज तो बहुमत है परन्तु हमेशा सदन बहुमत से नहीं चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सदन के अन्दर मुख्य मंत्री की हैसियत से तवोज्जह नहीं दें, परन्तु उनको मैं सदन के नेता की हैसियत से कह रहा हूं। हमने रात के बारह, बारह बजे बैठ कर बिल पास किये हैं और हम इस बात को जानते हैं कि आपके आर्डिनेन्स लेप्स नहीं होने चाहिए। उनको पास करेंगे। यह सब हम समझते हैं। आज पहला दिन है। आज विधान सभा की कार्यवाही एक घंटा के लिए स्थगित रही शोकाभिव्यक्ति के लिए। अगर इतना को-आपरेशन होने के बावजूद भी सदन के नेता महोदय, विरोधी दल की भावनाओं को नहीं समझते हैं, उसके लिए तैयार नहीं हैं, और हम को धमकी देना चाहते हैं, इसके लिए मुझे खेद है। यह सदन की परम्परा रही है कि सदन में आज तक कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि वोट के जरिए टाइम बढ़ा दिया जाए। तो फिर हर बात पर वोट पड़ेंगे और वोट में ही काफी समय निकल जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि विरोधी दल के नेता महोदय के कहने पर, कांग्रेस आई के नेता महोदय के कहने पर, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की भावनाओं को देख कर, उनकी राय को देखते हुए, मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही आज यहीं पर स्थगित कर दें। आज का बिजनैस आगे के बिजनैस में एडजस्ट हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि बिजनैस नहीं होगा। आर्डिनेन्स जो लेप्स हुए हैं वे हमारी वजह से नहीं हुए हैं। वे आपकी वजह से हुए हैं। सदन की प्रोसीडिंग्स पहले भी काफी देर तक चली है। उसके लिए हमने बराबर समय दिया है। आज की परिस्थिति में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज प्रथम दिवस है। मुख्य मंत्री भी आज काफी इम्बेलेन्स दिखते हैं। मैं समझता हूं कि वे बेलेन्स में आएं और जैसा उनका सहयोग देने का तरीका

(श्री मथुरादास माथुर)
है उसका प्रदर्शन करेंगे । इतना ही आपसे निवेदन करना है, वरना उनकी जो भी पोजीशन होगी उससे हम को भी, सदन की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचेगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेताओं ने, अन्य दलों के नेताओं ने सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जाए, इस प्रकार की सदन में चर्चा की है । मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं उन व्यक्तियों में से हूं कि सदन की कार्यवाही निर्धारित समय से एक मिनट भी ज्यादा न चले । हमेशा मैं इस पक्ष में रहा हूं और आज भी इस पक्ष में हूं ।

(व्यवधान)

मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं, विरोधी दल के नेता महोदय से, अन्य दलों के नेता महोदयों से कि माननीय सदस्य स्वयं इस बात का अनुमान लगा लें, वे स्वयं अनुभवी हैं, कि क्या सदन में नोटिफिकेशन के क्वेश्चन को लेकर कभी दो-तीन घंटे का समय लगा है । वे खुद अन्दाजा लगा लें । मुझे कुछ नहीं कहना है, यह कोई नई बात नहीं है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मंत्रियों की टीम ठीक रखना अब ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, कहना सभी कुछ चाहते हैं और सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है यह कौन सी लोकतांत्रिक परम्परा है । जब आप कहते है तो हम में से कोई नहीं बोलता और हम कहते हैं तो आप सब खड़े हो जाते हैं—माथुर साहब, खेतसिंह जी, महारावल साहब, सभी । पहला सरकारी नोटिफिकेशन समय पर प्रस्तुत नहीं कर पाये जिसके लिए खेद प्रकट कर लिया, दुःख प्रकट कर लिया, माफी मांग ली, इसके उपरान्त भी आप लगातार पीछा करते जा रहे हैं । बल नहीं पेश कराने का आप लोगों ने तय कर लिया इस तरह की भ्रान्ति मेरी हो सकती है, आपकी नहीं होगी, क्योंकि आप तो बड़े आदमी हैं । मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि अगर सदन की कार्यवाही निर्धारित समय पर चलती रहे तो निर्धारित समय से बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं । सदन चलता है तो कितना खर्चा होता है इसका भी आप अन्दाजा लगायें । आपका जो इन्तजाम है उस पर कितना खर्चा होता है । आज आप विधान सभा में बैठे, आपने क्या काम किया? मैं ऐसा समझता हूं कि कोई भी साहसपूर्वक नहीं कह सकेगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया . .

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : He has no right to pass such comments. आप सदन के सदस्यों पर आक्षेप नहीं लगा सकते ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका भी जस्टिफिकेशन है । लेकिन बार-बार कहा गया है कि आज नवरात्रा स्थापना है । लोग व्रत कर रहे हैं । मैं भी इतना कठोर नहीं हो सकता कि आप लोगों की बात स्वीकार नहीं कर सकूं ।

श्री मथुरादास माथुर : नवरात्रा तो हम करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सहमति के अनुसार सदन की कार्यवाही कल दिनांक 25-9-79 के 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5-25 बजे मंगलवार, दिनांक 25 सितम्बर 1979 के म.पू. 11.00 बजे तक स्थगित की गयी)

परिशिष्ट

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

किशनगढ़ नगर की पेयजल समस्या

2. श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जनता सरकार के गठन से लेकर आज तक अजमेर ज़िले के किशनगढ़ नगर की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये गये हैं ? पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से किशनगढ़ नगर की पेयजल समस्या का निराकरण हो सका है ? यदि नहीं, तो इस नगर की भयंकर पेयजल समस्या के निराकरण हेतु राज्य सरकार के पास क्या योजना है तथा उसकी क्रियान्विति कब तक सम्भव है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) आंशिक रूप से समस्या का समाधान सम्भव हो सका है। नगर की पेयजल समस्या के पूर्ण समाधान हेतु राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही है जिनका संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

खण्ड एक का विवरण

(1) जनता सरकार के आने के बाद किशनगढ़ के विद्यमान जल स्रोतों की क्षमता बढ़ाकर जल उत्पादन अधिक करने के लिये तीन कुओं पर एक शिफ्ट और चालू की।

(2) पेयजल का उत्पादन और अधिक बढ़ाने की दृष्टि से दो कुओं को विभाग ने अपने अधीन लिया है। इन कुओं का नाम है:—ओसवाल वेल व मील वेल।

इन दोनों प्रयासों के फलस्वरूप किशनगढ़ नगर में पेयजल का उत्पादन एक लाख गैलन प्रतिदिन और बढ़ सका है अर्थात् 3.50 लाख गैलन प्रतिदिन के स्थान पर अब 4.50 लाख गैलन प्रतिदिन हो गया है।

(3) तीसरा प्रयास उच्च जलाशय का निर्माण है जिसके कारण भी नगर की पेयजल समस्या का कुछ सीमा तक निराकरण हो सका है।

खण्ड दो का विवरण

(1) अजमेर, ब्यावर एवं किशनगढ़ आदि शहरों की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु बनास योजना बनाई गयी है। इसके प्रथम चरण में इन्फिल्ट्रेशन गैलेरीज के माध्यम से बनास नदी से पेयजल उपलब्ध किया जा रहा है जिससे अजमेर नगर की जल समस्या का समाधान होगा। इसके बाद इस योजना के दूसरे चरण में नसीराबाद में बनास से आये पानी को स्टोर करके वहां से किशनगढ़ को पेयजल पम्प किया जावेगा। नसीरा-

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

बाद और किशनगढ़ के बीच दो पम्पिंग स्टेशन निर्माण किये जावेंगे। यह दूसरा चरण अभी स्वीकृत नहीं है केवल योजना में प्रस्तावित है। परन्तु ज्योंही प्रथम चरण समाप्त होगा राज्य सरकार इस योजना के द्वितीय चरण पर स्वीकृति हेतु सक्रियता से कार्यवाही प्रारंभ कर देगी।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में बकाया रकम की वसूली

3. **श्री शंकर लाल** (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के कई इलाकों में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण कई इलाकों में सूखे की स्थिति के कारण लोगों की हालत सरकारी बकाया रकम अदा करने की नहीं रही है ?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा ऐसे इलाकों के लोगों से बकाया रकम वसूल न करने के आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हाँ, तो कब ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सही स्थिति का पता लगाने के लिए गिरदावरी जल्दी कराई जा रही है। जिसके लिए समस्त जिलाधीशों को तार द्वारा दिनांक 17-9-79 को आदेश दिये गये हैं। गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही सही स्थिति ज्ञात हो सकेगी फिलहाल अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों तथा जोधपुर, नागोर, पाली, बाड़मेर, जालोर, सीकर एवं अजमेर में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में कृषकों से भू-राजस्व व तकावी की वसूलियां आवश्यकता अनुसार एक वर्ष तक स्थगित करने के लिए सम्बन्धित जिलाधीशों को अधिकृत कर दिया गया है।

(2) अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों में भू-राजस्व एवं तकावी स्थगन के आदेश दिनांक 1-8-79 को जारी किये जा चुके हैं। आदेश की प्रति संलग्न है।

अनावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में गिरदावरी रिपोर्ट आने पर उचित निर्णय लिया जावेगा।

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप 2) विभाग

संख्या प-4क14/ राज जयपुर, दिनांक 1 अगस्त, 1979.

आज्ञा

इस वर्ष राज्य के कुछ जिलों यथा जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालोर, सीकर, एवं अजमेर में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के काश्तकारों को भू-राजस्व एवं तकावी के चुकारे में कठिनाई महसूस हो रही है।

(राजस्व मंत्री)

अत: बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में कृषकों से भू-राजस्व व तकावी की वसूलियों को आवश्यकतानुसार एक वर्ष तक स्थगित करने के लिए सम्बन्धित जिलाधीशों को अधिकृत किया जाता है।

आज्ञा से,
हस्ताक्षर,
(सीताराम अग्रवाल)
उप-शासन सचिव।

प्रतिलिपि:—

(1) निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
(2) जिलाधीश, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालोर, सीकर, अजमेर।
(3) सचिव, मुख्य मंत्री।
(4) निजी सचिव, राजस्व मंत्री, सहायता मंत्री, मुख्य सचिव।
(5) वित्त/बजट/वसूली/विभाग 2।
(6) सहायता/सहकारिता विभाग।
(7) सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग।
(8) निदेशक, जनसम्पर्क विभाग।

हस्ताक्षर
उप-शासन सचिव।

लाडनूं की जलप्रदाय योजना हेतु कुए की खरीद

4. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं, जिला नागौर की जलदाय योजना के लिए श्री दीपचन्द पहाड़िया लाडनूं का निजी कुआ, जो उनके खुद के बंगले में था, को क्रय किया? यदि हां, तो कब और क्यों तथा किस अधिकारी द्वारा और उसका अब तक क्या उपयोग हुआ?

(2) उक्त कुए का कितना मूल्य कब चुकाया गया तथा उसका मूल्य किस अधिकारी द्वारा कब तय किया गया?

(3) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही चल रही है या किन्हीं अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही चल रही है या चल रही थी तो किन-किन के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही कब-कब से कहां-कहां पर चल रही है या चली? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इस संबंध में राज्य सरकार का अब और क्या कार्यवाही करने का विचार है?

उत्तर

(1) जी हां। 1965 में। लाडनूं जलप्रदाय योजना के आगमेन्टेशन के लिये इस कुए का तत्कालीन मुख्य अभियंता की

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

राय से क्रय किया था। विभाग की ओर से क्रय करने वाला अधिकारी तत्कालीन अधिशासी अभियंता, जोधपुर थे। नागरिकों के विरोध के कारण इस कुए का अभी तक उपयोग नहीं हो सका है।

(2) इस कुए का मूल्य रु. 22,700 सार्वजनिक निर्माण विभाग के मूल्यांकन के आधार पर तत्कालीन अधिशासी अभियंता, जोधपुर ने किया और इस मुख्य राशि का भुगतान दिनांक 8-6-65 को हुआ।

(3) जी हां। इस मामले में चार अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है जिनके नाम हैं:—श्री मोहन लाल जैन, श्री मघाराम परिहार, श्री आर. के. भार्गव, श्री बाबूलाल शर्मा। सरकार द्वारा इन संबंधित अधिकारियों को चार्ज-शीट दी गई थी, जिसका उत्तर अधिकारियों से राज्य सरकार को प्राप्त हो चुका है और जिसकी जांच की जा रही है। यह समस्त कार्यवाही पानी की क्वालिटी की रिपोर्ट पर आधारित है।

(4) मामला राज्य सरकार के जांच में है एवं नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

जन-जाति क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं

5. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज): क्या जन-जाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जन-जाति क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार हेतु राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

जन-जाति क्षेत्रों में वर्तमान समय में 32 उच्च माध्यमिक एवं 110 माध्यमिक विद्यालय, 422 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 2062 प्राथमिक विद्यालय चालू हैं। जिनमें से वर्ष 1977-78 और 1978-79 में निम्न विद्यालय खोले गये:–

	मद	77-78	78-79
1.	नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये।	55	100
2.	प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया।	–	108

वर्ष 1979-80 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिये 119.17 लाख रुपये का प्रावधान तथा महाविद्यालय शिक्षा कार्यक्रम पर 3.63 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। चालू वर्ष में 150 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, 642 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति, 5 आश्रम विद्यालयों के भवन निर्माण, 108 विद्यालयों में 108 अतिरिक्त कक्षा के कमरों का निर्माण, 150 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने, 18 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व 6 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के लक्ष्य रखे गये हैं।

उपयोजना क्षेत्र में प्रेरक सुविधा के अन्तर्गत प्रत्येक छात्र-छात्राओं को 20 रुपये पोषाक व 10 रुपये पुस्तकों के लिए स्वीकृति दी गई जिसके अन्तर्गत 43,529 छात्र-छात्राओं को गत वर्ष लाभान्वित किया गया व इस वर्ष 45,300 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

(जन-जाति विकास मंत्री)

इसके अतिरिक्त जन-जाति क्षेत्र में 200 शिशु क्रीड़ा केन्द्र खोले गये हैं, जिसमें आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के 6516 बालक-बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

जन-जाति क्षेत्र में वर्ष 1977-78 में 50 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई तथा वर्ष 1978-79 में 300 केन्द्र खोले गये।

जन-जाति क्षेत्र में अब तक 9 आश्रम विद्यालयों की स्थापना की गई जिनमें से 2 आश्रम स्कूल 1977-78 में और 3 वर्ष 1978-79 में खोले गये। इसी वर्ष 1979-80 में आश्रम स्कूलों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जन-जाति क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 6 कन्या छात्रावासों के भवन बनाये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में 400 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। इस वर्ष में एक नवीन संस्कृत पाठशाला की स्थापना भी की जा रही है।

चौमू को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का मामला

6. श्री रामेश्वर दयाल (चौमू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने चौमू, जिला जयपुर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया था ? अगर हां, तो अब तक उसमें क्या प्रगति हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने चौमू में 400 त कुवें को ऊनी मिल संयुक्त सैक्टर में स्थापित करने का निर्णय लिया था ? अगर हां, तो संयुक्त सैक्टर में किस फर्म या कम्पनी से अनुबन्ध किया गया है तथा उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, चौमू में ग्रामीण लघु औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिये 18 बीघा व 18 बिस्वा निजी भूमि एवं 15 बिस्वा राजकीय भूमि का चयन किया है। निजी भूमि को अवाप्त करने के लिये राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अन्तर्गत दिनांक 26-6-1979 को आदेश जारी हो चुके हैं। आदेशों की अनुपालना में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? जिलाधीश, जयपुर द्वारा राजकीय भूमि के लिये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अनुसरण में औद्योगिक प्रयोजनार्थ सुरक्षित करने के आदेश और निजी भूमि की अवाप्ति हेतु आगामी कार्यवाही के लिये राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 की धारा 6 एवं 17 (1), 17 (4) की अधिसूचना जारी करने के लिये जिलाधीश, जयपुर की सिफारिश अपेक्षित है।

(2) जी हां। श्री बलवन्त सिंह, प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स मोहता इलेक्ट्रो स्टील के साथ ज्वान्ट सैक्टर के लिये समझौता किया गया है। इस उद्योग की स्थापना कार्य में प्रगति निम्नानुसार है :—

1) इस ऊनी धागे के उद्योग को लगाने के लिये एक नई कम्पनी राजस्थान वूल टैक्स

(उद्योग मंत्री)
लिमिटेड बनाई गयी है और उसका पंजीकरण भी हो गया है।

2) उद्योग की स्थापना हेतु चौमू के निकट जेतपुर गाँव में 8 बीघा चरागाह भूमि का चयन किया गया है। इस भूमि को चरागाह से निकाल कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने हेतु जिलाधीश, जयपुर को निवेदन कर दिया गया है।

3) ऋण हेतु आवेदन-पत्र राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम लि., जयपुर को दे दिया गया है।

4) प्लान्ट और मशीनरी के लिये विशेष जानकारी प्राप्त करके उपयुक्त मशीन का चयन कर लिया गया है।

पीपल्दा क्षेत्र की डिस्पेन्सरीज में रिक्त पद

7. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पीपल्दा क्षेत्र की किन-किन डिस्पेन्सरियों पी. एच. सी. तथा स्वास्थ्य उप-केन्द्रों पर कहाँ-कहाँ पर किस-किस पद के रिक्त स्थान पड़े हुए हैं तथा क्यों? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार उक्त पदों को शीघ्र भरने के आदेश प्रदान करेगी?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हाँ।

(1) महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं प्रसाविकाओं के उपलब्ध होने पर नियुक्ति कर दी जावेगी।

(2) संगणकों व परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायकों के पदों के भरने के कार्यवाही भारत सरकार द्वारा प्रतिबन्ध उठाने पर ही संभव होगी।

(3) स्वास्थ्य निरीक्षक का पद शीघ्र ही भर दिया जावेगा।

पीपल्दा क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	संस्थान का नाम	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पदों का कारण
1	2	3	4	5
(1)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपल्दा।	महिला स्वास्थ्य कर्मिका	3	प्रशिक्षित अभ्यार्थियों के अभाव के कारण।
		परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक।	3	भारत सरकार के भरती पर प्रतिबंध के कारण।
		संगणक	1	,, ,,
		स्वास्थ्य निरीक्षक	1	अगस्त, 1979 में स्थानान्तरण के कारण।

(चिकित्सा मंत्री)

1	2	3	4	5
(2)	एडपोस्ट, सुहागढ़	प्रसाविका	1	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के अभाव।
(3)	उप-केन्द्र, मूनेरा	प्रसाविका	1	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के अभाव।
(4)	उप-केन्द्र, गंता	प्रसाविका	1	प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के अभाव।

भूपाल सागर शुगर मिल का गन्दा पानी

8. **श्रीमती श्यामा कुमारी** (कपासन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूपाल सागर शुगर मिल की डिस्टीलरी का गन्दा पानी वहीं पास ही नाली में छोड़ दिया जाता है तथा उस गन्दे पानी के पीने से कई मवेशी बीमार होकर मर जाते हैं? अगर हाँ, तो अब तक कितने मवेशी मर चुके हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार इस प्रकार का गन्दा पानी खुली नाली में नहीं छोड़ा जा सकता है। जिसमें जन हानि और मवेशी मर जाते हैं। यदि हाँ तो राज्य सरकार द्वारा भूपाल सागर शुगर मिल को इस प्रकार का पानी खुला नहीं छोड़ने और मवेशी मर जाते हैं। उन सबको बचाने के लिए क्या उपाय किये हैं और फैक्ट्री को कब-कब नोटिस देकर इसे बन्द कराने हेतु कहा गया है?

(3) क्या यह भी सही है कि इसे साल मीजवानपुरा, उमेदपुरा, जाकडखेड़ा, दांता झूपा, रोलिया, भगवानपुरा, गुमानपुर, कोलपुरा, घीडखेड़ा के निवासियों आदि की दरख्वास्त सरपंच, ग्राम पंचायत, रोलिया द्वारा भूपाल सागर फैक्ट्री और जिलाधीश, चित्तौड़ के पास भेजी गई फिर भी फैक्ट्री द्वारा पानी पास के नाले में छोड़ दिया गया। यदि हाँ, तो राज्य सरकार इस संबंध में क्या कोई ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है जिससे इस क्षेत्र में राहत मिल सके?

उत्तर

(1) जी हाँ। यह सही है कि भूपाल सागर शुगर मिल डिस्टीलरी का गन्दा पानी उच्छिष्ठ लगून से होकर पास के नाले में डाल दिया जाता है। जहाँ तक मवेशियों के पानी पीकर मरने का प्रश्न है। कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(2) कारखाना अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत बने नियम 17 के अनुसार कारखाने से निकलने वाले गन्दे पानी को छोड़ने की व्यवस्था के सम्बन्ध में लोकल आथोरिटी पब्लिक हैल्थ आफिसर की अनुमति ली जानी चाहिये। राज्य मंडल जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियम, 1975 के अन्तर्गत उद्योग को समय-समय पर उच्छिष्ठ उपचार व्यवस्था लगाने हेतु तथा उपचारित उच्छिष्ठ को निर्धारित मानदण्डों में लाने हेतु कार्यवाही करता है। उद्योग ने दिनांक 31-9-1978

(उद्योग मंत्री)

तक उपचार संयंत्र लगाने एवं उच्छिष्ठ को निर्धारित मापदण्डों में लाने हेतु लिखित रूप में आश्वासन दिया था। उद्योग ने उच्छिष्ठ उपचार हेतु न तो कोई उपयुक्त संयंत्र ही स्थापित किया है और ना ही सम्मति अवधि हेतु आवेदन किया है। यद्यपि राज्य मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में उद्योग को कई बार लिखा जा चुका है। अगली कार्यवाही राज्य मंडल के विचाराधीन है।

(3) इस बाबत जानकारी एकत्रित की जा रही है।

राज्य के यूनानी दवाखानों में हकीमों के रिक्त पद

9. श्री आलमअली खां (फतेहपुर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में यूनानी दवाखाने कितने हैं? तथा उनमें हकीमों के कितने पद अभी रिक्त पड़े हुए हैं।

(2) क्या सरकार पूर्व में दिये गये आश्वासन के अनुसार रिक्त हकीमों के पदों पर उन व्यक्तियों को जो, हकीम के पद की डिग्री ले चुके हैं या इस विभाग में कम्पाउन्डर हैं, नियुक्त कर चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यूनानी दवाखाने 57 हैं। हकीमों के 23 पद रिक्त हैं।

(2) हकीम पद के लिये 17 आशार्थियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से एक हकीम की नियुक्ति प्लान के पद पर की जा चुकी है शेष रिक्त पद नान-प्लान के हैं जिन पर नियुक्ति हेतु वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध है। प्रतिबन्ध में शिथिलता की कार्यवाही की जा रही है।

विभाग में कुछ कम्पाउन्डर उदतुल हुकमा की उपाधि प्राप्त हैं किन्तु उन्होंने यह उपाधि वर्ष 1968 के बाद प्राप्त की है जबकि उक्त उपाधि की वर्ष 1968 तक की मान्यता प्राप्त है। अतः ऐसे कम्पाउन्डरों को हकीम पद पर नियुक्त किया जाना संभव नहीं है।

सड़कों के राष्ट्रीयकरण हेतु केन्द्रीय सरकार के पास भेजे गये प्रस्ताव

10. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने कौन-कौनसी सड़कों का राष्ट्रीकरण करने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है?

(2) क्या जयपुर-भोपाल सड़क का भी प्रस्ताव भेजा गया था? यदि हां, तो उस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही हुई? राज्य सरकार ने अन्तिम पत्र कब लिखा व उसका अन्तिम प्रत्युत्तर क्या आया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने समय-समय पर जिन सड़कों को राष्ट्रीय उच्च मार्ग हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं वह निम्नलिखित हैं:—

1. जयपुर से ब्यावर,-भोपाल सड़क।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

2. ब्यावर-बर-पाली-अहमदाबाद रोड।

3. मुनाबाओं से सिपुरी (म. प्र.) वाया गडरा रोड, बाड़मेर-सिन्दरी-जालोर-सिरोही-उदयपुर-चित्तौड़-कोटा।

4. फाजिलका से कान्डला वाया गंगानगर-बीकानेर-जोधपुर-जालोर-मन्डोर-दीसा।

5. रतनगढ़ से फाजिलका वाया सरदार शहर-हनुमानगढ़ और गंगानगर।

6. लिकमोटास से पालनपुर वाया स्वरूपगंज।

7. अजमेर से खंडवा वाया भीलवाड़ा चित्तौड़-नीमच।

8. फाजिलका से इन्दौर वाया गंगानगर-बीकानेर,-नागौर-अजमेर-भीलवाड़ा-चित्तौड़-प्रतापगढ़-पीपल्दा,-रतलाम।

9. लिंक रोड कोसी राष्ट्रीय मार्ग नं. 3 पर से धौलपुर राष्ट्रीय मार्ग नं. 3 पर वाया कामा,-डीग,-भरतपुर-रूपावास-सेपऊ।

10. लिंक रोड होडल राष्ट्रीय उच्च मार्ग-2 से धौलपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-3 तक

(2) जी हां, इस सड़क को राष्ट्रीय उच्च मार्ग को बनाने हेतु मुख्य मंत्री द्वारा भारत सरकार को पत्र लिखा गया था जिस पर भारत सरकार ने दिनांक 8-6-79 को उत्तर भेजा है कि प्रस्तावों में शामिल कर लिया गया किन्तु धनराशि के लिये इन्तजाम करना पड़ेगा।

राज्य में प्रौढ़ शिक्षा पर हुआ व्यय

11. श्री बहादुर सिंह (नोहर):—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में प्रौढ़ शिक्षा पर दो वर्षों में कुल कितना धन खर्च किया गया तथा किन संस्थाओं के माध्यम से किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रौढ़ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? इस शिक्षा से कितने व्यक्तियों को रोजगार के काबिल बनाया गया तथा कितने व्यक्ति प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करके रोजी कमाने लगे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य में प्रौढ़ शिक्षा पर पिछले दो वर्ष में कुल 74,09,543 रुपये खर्च हुए हैं। संस्थावार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाकर उनमें सामाजिक चेतना का विकास करना तथा व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि करना है। अतः कितने व्यक्ति रोजी कमाने लगे हैं। यह प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत नहीं आता।

(शिक्षा मंत्री):

राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 77-78 एवं 78-79 का खर्च अलग-अलग संस्थाधार निम्नानुसार है:--

क्र.सं.	संस्था का नाम	1977-78	1978-79
1.	जिला शिक्षा अधिकारी, बूंदी	38,990	78,541
2.	जिला शिक्षा अधिकारी, डूंगरपुर	28,000	56,649
3.	जिला शिक्षा अधिकारी, बांसवाड़ा	..	60,926
4.	जिला शिक्षा अधिकारी, टौंक	..	50,044
5.	जिला शिक्षा अधिकारी, सिरोही	..	31,096
6.	जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर	..	73,139
7.	जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर	..	19,195
8.	जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर	..	17,839
9.	जिला शिक्षा अधिकारी, झालावाड़	..	59,863
10.	जिला शिक्षा अधिकारी, गंगानगर	..	52,216
11.	जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर	66,600	1,03,325
12.	जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर	66,600	1,26,998
13.	जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा	80,690	2,24,219
14.	जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं	1,03,000	84,900
15.	जिला शिक्षा अधिकारी, जालोर	1,00,000	28,374
16.	जिला शिक्षा अधिकारी, चूरू	40,990	58,632
17.	जिला शिक्षा अधिकारी, पाली	56,770	75,257
18.	जीवन निर्माण संस्थान, भरतपुर	66,600	1,18,366
19.	जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर	..	3,980
20.	बीकानेर प्रौढ़ शिक्षा समिति, बीकानेर	..	1,72,752
21.	सेवा मन्दिर, उदयपुर	51,823	2,66,716
22.	प्रौढ़ शिक्षण समिति, बाड़मेर	1,00,000	67,033
23.	प्रौढ़ शिक्षण समिति, भीलवाड़ा	87,321	78,475
	योग: ..	8,87,384	19,28,535

(शिक्षा मंत्री)

राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य जो स्वेच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है, तथा जिनको सत्र 1978-79 में भारत सरकार द्वारा राशि दी गई थी, उनकी सूची निम्न प्रकार से है :--

क्र.सं. 1	नाम संस्था 2		स्वीकृत राशि 3
1.	बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति, बीकानेर		45,175
2.	अजमेर प्रौढ़ शिक्षण समिति, अजमेर		1,74,500
3.	लोक शिक्षण संस्थान, जयपुर		49,500
4.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर		5,50,000
5.	सेवा मन्दिर, उदयपुर	(150)	2,17,914
6.	सेवा संघ, दीगोद (भीलवाड़ा)	(300)	4,31,525
7.	नारी चेतना संघ, जयपुर		38,600
		(4 प्रौढ़ पाठशाला)	86,540
		(30 केन्द्र)	49,500
8.	ग्रामीण नव जागरण संस्थान, करौली		49,555
9.	विकास समिति, जसवन्तपुरा, नागौर		49,555
10.	कुचामन विकास समिति, नागौर		49,555
11.	ग्राम सेवा सदन, मलारनाघोड़ (स.मा.)		49,555
12.	ग्रामोत्थान समिति, मारोठ (नागौर)		49,500
13.	रुपाहेली खादी ग्रामोद्योग उत्पादक समिति, भीलवाड़ा		49,500
14.	ग्रामोद्योग समिति, बांसवाड़ा		49,500
15.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षण संस्थान, जयपुर		99,000
16.	राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद्, उदयपुर		49,500
17.	मेरवाड़ा खादी ग्रामोद्योग समिति, ब्यावर (अजमेर)		49,500
18.	क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग समिति, लालसोट (जयपुर)		49,500
19.	राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान, उदयपुर		49,500
20.	मारवाड़ खादी संघ, जोधपुर		49,500
21.	पोकरण खादी ग्रामोद्योग संस्थान, जैसलमेर		49,500
22.	भरतपुर जिला खादी ग्रामोद्योग समिति, भरतपुर		49,500
23.	अलवर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, अलवर		49,500
24.	खादी ग्रामोद्योग विकास संघ, फतेहगढ़ (अजमेर)		49,500
25.	सघन क्षेत्रीय योजना समिति खीमेल (पाली)		49,500
26.	चूरू जिला प्रौढ़ शिक्षण समिति, चूरू		49,500
27.	रतनगढ़ प्रौढ़ शिक्षण समिति, रतनगढ़ (चूरू)		49,500
28.	नागौर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, नागौर		49,500
29.	सेवा सदन, भीलवाड़ा		49,500
30.	चित्तौड़ जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, कपासन (चित्तौड़)		49,500
31.	श्री गांधी सेवा सदन, बयाना (भरतपुर)		49,500
32.	जैसलमेर जिला खादी ग्रामोद्योग परिषद, जैसलमेर		49,500
33.	भीलवाड़ा जिला प्रौढ़ शिक्षा समिति, भीलवाड़ा		49,500

(84)

1	2	3
34.	मगन ज्ञान मन्दिर, गोगुन्दा (उदयपुर)	49,500
35.	बांसवाड़ा जिला सर्वोदय मंडल, परतापपुर	49,500
36.	हिण्डौन क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग समिति, सवाईमाधोपुर	49,500
37.	सीकर जिला खादी ग्रामोद्योग समिति, रींगस (सीकर)	49,500
38.	खंराड़ ग्रामोद्योग समिति, सावर (अजमेर)	49,500
39.	ग्रामोद्योग समिति, खण्डार (स.मा.)	49,500
40.	ग्राम सेवा मण्डल, करौली (स.मा.)	49,500
41.	राजस्थान खादी संघ, पोस्ट खादी बाग (जयपुर)	49,000
42.	खादी ग्रामोद्योग संघ विकास समिति, बस्सी (जयपुर)	49,500
43.	ग्रामोद्योग विकास मण्डल, देवगढ़ (उदयपुर)	49,500
44.	ग्राम भारती भवन, चित्तौड़गढ़	49,500
45.	बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुर	49,500
46.	जन सेवा मण्डल, मडुनी (चित्तौड़)	49,500
47.	बीकानेर जिला सर्वोदय मण्डल, बीकानेर	49,500
48.	नव निर्माण संघ, उदयपुर	49,500
49.	क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग समिति, बांदीकुई (जयपुर)	49,500
50.	ग्राम स्वराज्य समिति, डीडवाना (नागौर)	49,500
51.	जहाजपुर ग्राम सेवा समिति, जहाजपुर (भीलवाड़ा)	49,500
52.	ग्राम स्वराज्य समिति, मकराना (नागौर)	49,500
53.	श्री गंगानगर प्रौढ़ शिक्षण समिति, श्रीगंगानगर	49,500
54.	टोंक जिला खादी ग्रामोद्योग समिति, टोंक	93,200
55.	ग्राम स्वराज्य समिति, लाडनू (नागौर)	49,500
56.	राष्ट्रीय लोक कल्याण परिषद, जयपुर	49,500
57.	सेवन क्षेत्रीय विकास समिति, राजसमन्द (उदयपुर)	98,200
58.	राजस्थान खादी विकास मण्डल, गोविन्दगढ़ (जयपुर)	49,500
59.	खादी ग्रामोद्योग मण्डल, अमरसर (जयपुर)	49,500
60.	खादी ग्रामोद्योग समिति, डीडवाना (नागौर)	49,500
61.	खादी ग्रामोद्योग समिति, वेर (भरतपुर)	49,500
62.	मरुधर विकास मंडल, जोधपुर	49,500
63.	राजस्थान समग्र सेवा संघ, जयपुर	31,250
	कुल योग :	45,93,624

बोरावड़-मनाना-छोटी खाटू सड़क का निर्माण कार्य

12. श्री **अब्दुल अजीज** (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बोरावड़-मनाना-छोटी खाटू सड़क स्वीकृत होने के बावजूद भी किन कारणों से कार्य शुरू नहीं किया गया है ?

(2) खनिज क्षेत्र मकराना की स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य क्यों बन्द कर दिया गया है ? यह कार्य अब कब तक शुरू किया जायेगा ?

उत्तर

(1) यह सड़क अभी स्वीकृत नहीं है। इसलिए इस पर कार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) मकराना क्षेत्र में स्वीकृत सड़कों में एक में अलाइनमेंट के झगड़े के कारण व बाकी 4 सड़कों पर ठेकेदार द्वारा कंकट डालने से कार्य की प्रगति नहीं हो सकी किन्तु अब इन सड़कों पर शीघ्र कार्य शुरू करवा दिया जायेगा।

रामगंज मण्डी के किसानों को भूमि

13. श्री **हरीश शर्मा** (रामगंजमंडी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : --

(1) क्या रामगंजमण्डी तहसील के मौड़क गांव के किसानों को भूमि देने के लिये सहरावदा बीड़ को कृषि हेतु निकालने के लिए राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है?

(2) क्या यह सही है कि रामगंजमंडी तहसील में कोई भी राजस्व भूमि नहीं है ? क्या इस गांव के किसानों की भूमि राज्य सरकार द्वारा मंगलम सीमेन्ट फैक्ट्री के लिए अवाप्त कर ली गई थी ?

उत्तर

(1) तहसील रामगंज मण्डी के ग्राम चौसला व मोडक के किसानों को भूमि आवंटन करने के लिये ग्राम सहरावदा बतेलिया खोडी की बीड़ को कृषि हेतु निकालने के लिये कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। ग्राम चौसला व मोडक के किसानों की भूमि मंगलम सीमेंट फैक्ट्री हेतु अवाप्त की गई है।

वनौषधि हेतु आरक्षित किये गये फार्मस

14. श्री **नवलराय बच्चाणी** (अजमेर पश्चिम) : क्या आयुर्वेद मंत्र यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वनौषधि के लिए कितने फार्म आरक्षित किए गए थे ?

(2) ऐसे कितने फार्म वनौषधि के लिए परिवर्तित किए गए हैं ?

(3) ऐसे फार्मस में क्या-क्या लगाया गया है तथा इनका किस प्रकार विकास हो रहा है ?

उत्तर

(1) वनौषधि के लिये राज्य के विभिन्न 12 स्थानों पर भूमि प्राप्त की गई है।

(2) उपरोक्त 12 में से चार स्थानों पर वनौषधि उद्यान स्थापित करने की कार्य-

(आयुर्वेद मंत्री)

वाही चालू कर दी गई है। पांचवें स्थान के लये विवाद होने से मामला विचाराधीन है।

(3) वर्तमान में कुछ स्थानों पर अमलतास, नीम, गिलोय, कचनार, गुगल, शीसम, अडूसा, गवारपाठा, करंज आदि के पेड़-पौधे लगाये हुये हैं। चालू वित्तीय वर्ष में इन कार्मों के समुचित विकास के लिये 2.00 लाख रुपये का प्रावधान है। भूमि को कृषि योग्य बनाने, सिचाई हेतु कुंआ खुदवाने आदि का कार्य किया जा रहा है। माली एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा चौकीदार के पद सृजित किये गये हैं। सिचाई का साधन एवं भूमि कृषि योग्य हो जाने पर इनका और अधिक विकास होगा।

नगरपालिका क्षेत्र की भूमि पर सन् 1971 से पूर्व के अतिक्रमियों का नियमन

15. श्री **ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र की भूमि पर सन् 1971 से पूर्व जिन व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखे थे उन्हें नियमन करने के राज्य सरकार ने आदेश दिये थे? यदि हां, तो बूंदी नगरपालिका क्षेत्र में कितने व्यक्तियों की भूमि का नियमन किया गया है और ऐसे कितने व्यक्ति शेष हैं?

(2) क्या यह सही है कि बूंदी नगरपालिका क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा भूमि पर वर्तमान में भी अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने सन् 1971 के बाद अतिक्रमण किया है? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। नियमन की कार्यवाही चल रही है।

(2) जी हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1971 के पश्चात् लगभग 775 व्यक्तियों ने भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिन्हें हटाने के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।